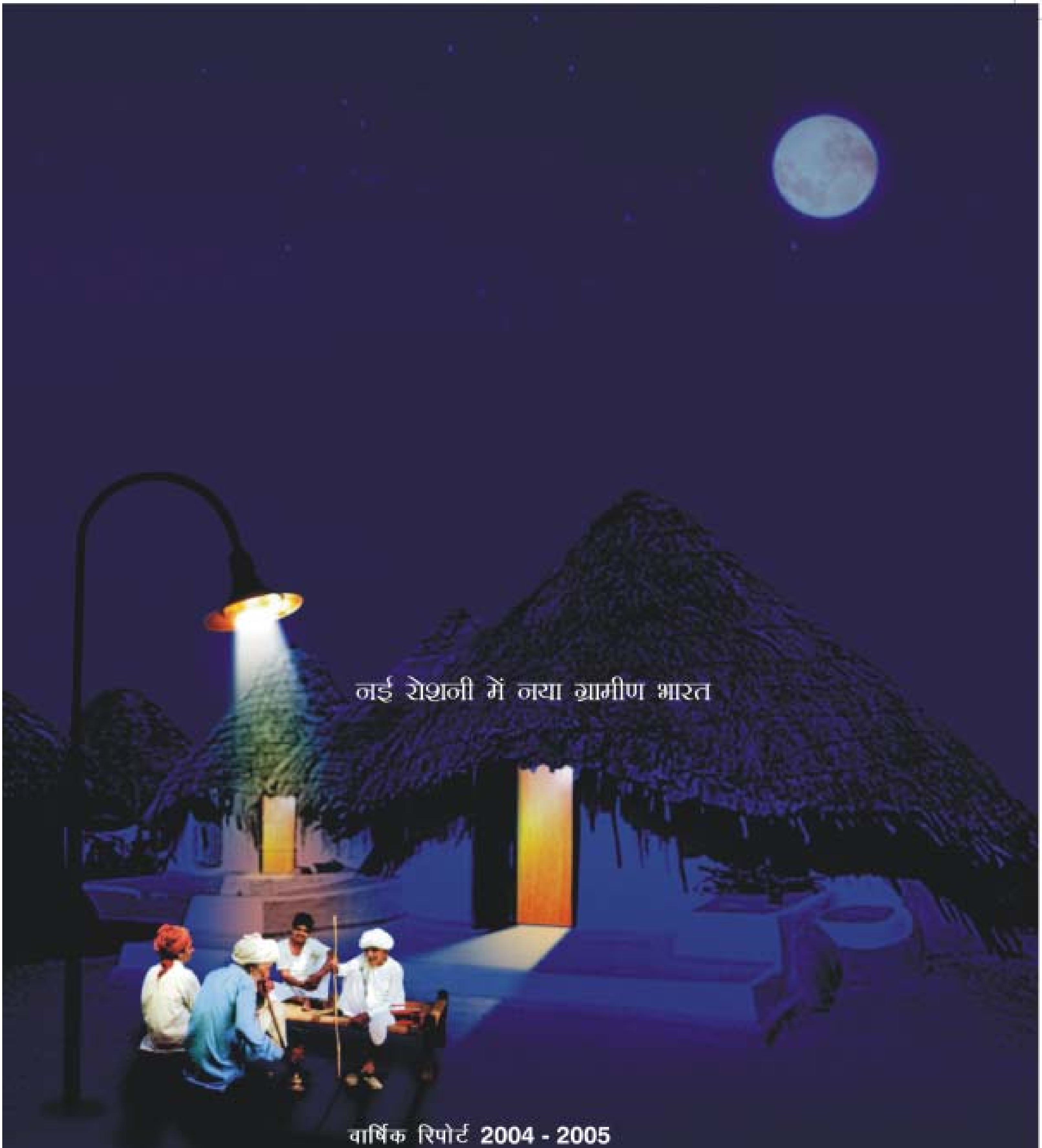

वार्षिक रिपोर्ट 2004 - 2005

आरईसी

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

- **कंपनी सचिव**
  श्री बी.आर. रघुनंदन

- **पंजीकृत कार्यालय**
  कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
  7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

- **सांविधिक लेखा परीक्षक**
  मैसर्स के.बी. चांदना एंड कंपनी,
  चार्टर्ड एकाउंटेंट

- **बैंकर्स**
  भारतीय रिजर्व बैंक
  भारतीय स्टेट बैंक
  स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
  विजया बैंक
  देना बैंक
  कारपोरेशन बैंक
  यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
  एच.डी.एफ.सी. बैंक
  सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
  आईसीआईसीआई बैंक
  आईडीबीआई बैंक
  सिंडिकेट बैंक

विषय सूची

निदेशक मंडल	2
मिशन एवं उद्देश्य	4
पंद्रह वर्ष एक नज़र में	6
नोटिस	8
अध्यक्ष का भाषण	12
निदेशकों की रिपोर्ट	18
खातों का विवरण	48
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	66
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	69
निदेशकों की रिपोर्ट का अनुशेष	70
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का शुद्धि पत्र	71
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी एवं इन पर आर ई सी के प्रबंधन का उत्तर	72
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की समीक्षा	73
आरईसी कार्यालयों के पते	78

निदेशक मंडल

1. **श्री एम.एन. प्रसाद** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1.8.2005 -पूर्वाह्न तक)
2. **श्री ए.के. लखीना** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1.8.2005 -अपराह्न से)
3. **श्री एच.डी. खुंटेटा** निदेशक (वित्त)
4. **श्री बाल मुकंद** निदेशक (तकनीकी)
5. **श्री अजय शंकर** निदेशक (6.9.2005 तक)
6. **श्री अरविंद जाधव** निदेशक
7. **श्री एम. साहू** निदेशक

श्री ए.के. लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

श्री बाल मुकंद
निदेशक (तकनीकी)

श्री अरविंद जाधव
संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय
एवं निदेशक आरईसी

श्री एम. साहू
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
विद्युत मंत्रालय एवं निदेशक आरईसी

मिशन एवं उद्देश्य

I. मिशन

(i) ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।

(ii) देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्त पोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहकों का ध्यान रखने वाली विकास परक संस्था के रूप में कार्य करना।

II. उद्देश्य

उपर्युक्त मिशन को आगे बढाते हुए निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए है:-

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर- पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन और विद्युत वितरण पर बल देते हुए परियोजनाओं को वित्त पोषित एवं प्रोत्साहित करना तथा भारत सरकार की सभी गांवों और सभी आवासों का 2009 तक विद्युतीकरण करने एवं अन्य संबंधित कार्यो का कार्यान्वयन करना।

2. दूर दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जन जातीय, तटवर्ती एवं अन्य कठिन/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन, नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्श सेवाएं, पारेषण, उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण एवं अनुरक्षण और आधुनिकीकरण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधता लाना।

3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने और राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, विद्युत इकाईयों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।

4. (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं लगाना (ii) बिजली की मांग का विकास (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास, और (iv) टेक्नालॉजी प्रोन्नत करने के निगमित लक्ष्यों को पूरा करते हुए इसके प्रचालनों हेतु आर्थिक और वित्तीय प्रतिलाभ की ऊंची दर प्राप्त करना।

5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।

6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत इकाईयों /राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

पंद्रह वर्ष एक नज़र में

विवरण	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-00
संसाधन						
(वर्ष के अंत में)						
(लाख रुपए)						
इक्विटी पूंजी	78060	78060	78060	78060	73060	68060
उधार						
(लाख रुपए)						
भारत सरकार से	14017	118336	220341	480947	566779	559894
बांड जारी करके	1360591	1197511	1049404	671927	372068	277573
जीवन बीमा निगम से	350000	150000	—	—	—	—
अन्य बैंकों से	213200	44000	20000	21000	—	—
आरक्षित एवं अधिशेष (निवल)	299830	248377	208105	168570	141769	121105
वित्तीय कार्यकलाप						
(वर्ष के दौरान) (लाख रुपए)						
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	1523	1322	1060	979	1301	1379
स्वीकृत वित्तीय सहायता	1631636	1597791	1212534	676394	630809	467820
संवितरण	788509	601704	660664	472193	410922	305105
कर्जदारों से ऋण वसूली	468324	358732	471594	266998	216262	155259
वर्ष के अंत में						
बकाया	2106218	1830470	1593565	1418534	1218919	1029368
परियोजनाओं के अंतर्गत						
उपलब्धियां						
विद्युतीकृत गांव						
वर्ष के दौरान	765	122	—	207	581	1996
वर्ष के अंत तक	305829	305064	304942	304942	304735	304154
ऊर्जायित पंपसेट						
वर्ष के दौरान	175772	132914	134583	139917	206071	252877
वर्ष के अंत तक	8383254	8207482	8074568	7939985	7800068	7593997
कार्यकारी परिणाम						
(वर्ष के लिए) (लाख रुपए)						
कुल आय	230209	199671	205389	166466	141961	129401
कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय	4434	4659	5866	4972	3141	2544
उधार पर ब्याज	120475	114220	120274	109879	93216	79189
मूल्यहास	115	103	104	151	621	623
कर से पूर्व लाभ	103665	80154	76663	50120	44647	41936
कर के लिए प्रावधान	23590	18915	18811	11355	10958	10502
कर के पश्चात् लाभ	80075	61239	57852	38765	33690	31434
इक्विटी पर लाभांश	23450	18300	17400	12000	6700	5000

1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91
68060	63060	58260	53460	48660	44260	39010	36260	32260
501749	455591	422402	394369	363936	332669	303740	277651	251571
209102	197517	179901	162456	154501	141353	123760	128008	122757
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2491	3541
89827	65307	56843	49522	47967	46074	38905	48282	40351
1468	1261	1290	1224	2286	1623	1169	1320	1990
287873	121368	113645	102822	126402	73687	50223	95415	96183
220260	109381	78721	82893	102797	69198	47426	58784	70909
111024	41483	26574	39188	41764	21226	17429	23692	14322
884231	779923	715081	662897	619192	565463	517491	487524	452615
2502	3045	3274	3728	3541	3217	3354	5574	10219
302158	299661	296616	293342	289713	286172	282955	279601	274027
279201	242173	300792	335446	398877	323429	330827	398837	513400
7341120	70611919	6819746	6518954	6183501	5784631	5461202	5130375	4731538
113631	79596	71428	59040	53898	52687	33021	50340	43861
2400	1792	1647	1261	1088	957	949	861	755
69372	63163	58509	52743	47187	42373	39395	36201	32632
607	601	585	570	2124	25	23	26	21
38454	12073	8552	1987	1927	6702	(-) 9377	12531	10474
8530	2576	1300	—	—	—	—	3890	2984
29924	9497	7252	1987	1927	6702	(-) 9377	8641	7490
5000	1000	—	—	—	—	—	704	664

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की **छत्तीसवीं वार्षिक महासभा** निगम के पंजीकृत कार्यालय, कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली में **मंगलवार 22 सितंबर, 2005 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित होगी** जिसमें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगीः

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2005 के तुलन पत्र और इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षित लाभ व हानि खाते और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

2. वर्ष 2004–05 के लिए लाभांश घोषित करना।

3. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना।

विशेष कार्य

4. निम्नलिखित संकल्प पर **विशेष संकल्प के रूप** में विचार करना और अगर उचित हो तो उसे संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि

निगम के संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अनुच्छेद 84(2) को निम्नलिखित अनुच्छेद में प्रतिस्थापित करके निगम के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन किया जाए।"

"**84.** पूर्ववर्ती अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त सामान्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों तथा (कंपनी) अधिनियम की धारा 292, 293, 294 एवं 297 के प्रावधानों की व्यवस्थाओं के अनुसार निदेशकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे अर्थात

(2) **पूंजी प्रकृति का कार्यः** बिना भारत सरकार का अनुमोदन मांगे पूंजी व्यय पर 300 करोड़ रुपए तक या निगम की नेटवर्थ के बराबर तक की राशि, जो भी कम हो, लगाना।

5. निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना और अगर उचित हो तो उसे संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि

कंपनी अधिनियिम, 1956 की धारा 293(1)(डी) के प्रावधानों के अधीन निगम के निदेशक मंडल को निगम के कारोबार के उद्देश्य से 25,000 करोड़ रुपए (केवल पच्चीस हजार करोड़ रुपए) की कुल सीमा को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए (केवल पैंतीस हजार करोड़ रुपए) करने की सदस्यों की सहमति है और अनुमति प्रदान की जाती है, भले ही उधार ली जाने वाली राशि, निगम द्वारा पहले उधार ली गई राशि को मिलाकर(कारोबार के लिए सामान्य रूप से बैंकरों से प्राप्त किए गए अस्थायी ऋणों को छोड़कर) निगम की प्रदत्त पूंजी और इसके मुक्त आरक्षित कोष से ज्यादा हो जाए।"

निदेशक मंडल के आदेश से,
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

बी.आर. रघुनंदन

(बी.आर. रघुनंदन)
महा प्रबंधक (विधि) एवं कंपनी सचिव

नई दिल्ली
दिनांक : 6 सितंबर, 2005

सेवा में

1. निगम के सभी सदस्य।
2. आरईसी के सांविधिक लेखा परीक्षक।

टिप्पणी :

1. जिस सदस्य को बैठक में उपस्थित होने और मत देने का अधिकार है उसे अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिपत्री (प्रॉक्सी) के रूप में बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए नियुक्त करने का अधिकार है तथा प्रतिपत्री (प्रॉक्सी) के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 के अनुसरण में प्रस्तावित विशेष कार्य के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण संलग्न किया जाता है।

3. वार्षिक महासभा बुलाने और नोटिस का परिचालन करने के लिए 21 दिनों से कम समय के अन्दर सूचना तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेज देने के लिए सभी सदस्यों की सहमति ली जा रही है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में नोटिस के मद सं. 4 एवं 5 के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 4

आरईसी के संस्था अंतर्नियम का अनुच्छेद 84 "निदेशकों के विशिष्ट अधिकारों" से संबंधित है जिसमें यह व्यवस्था है कि निदेशकों को पूंजी प्रकृति के कार्य के व्यवसाय को प्राधिकृत करने का अधिकार होगा बशर्ते कि 15 लाख रूपए से अधिक के पूंजी खर्च वाले सभी मामले प्राधिकृत करने से पहले अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजे जाएं।

पूंजी खर्च करने की 15 लाख रुपए की उपर्युक्त सीमा वर्ष 1972 में नियत की गई थी तथा इसके बाद संशोधित नहीं की गई, यद्यपि आरईसी के कारोबार की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। गत 3 दशकों में आरईसी के कारोबार में अत्यधिक वृद्धि हुई एवं इसके साथ–साथ मिनि रत्न ग्रेड–1 की वर्तमान स्थिति, जिसके अंतर्गत निदेशक मंडल को 300 करोड़ रुपए तक की पूंजी खर्च करने के अधिकारों के प्रत्यायोजन को बढ़ाया गया है, को ध्यान में रखते हुए आरईसी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 84(2) में समुचित संशोधन के लिए आरईसी के निदेशक मंडल एवं विद्युत मंत्रालय का अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है बशर्ते कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन यथा अपेक्षित महासभा में कंपनी का अनुमोदन पुनः प्राप्त कर लिया जाए।

तदनुसार निदेशक मंडल संलग्न नोटिस के मद सं. 4 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करते हैं।

इस संकल्प में कंपनी के किसी भी निदेशक की कोई अभिरूचि या संबंध नहीं है।

मद संख्या 5

निगम के सदस्यों द्वारा 16 सितम्बर, 2004 को आयोजित अपनी पैंतीसवीं वार्षिक महासभा में कंपनी अधिनियम की धारा 293(1)(डी) के अंतर्गत निगम के निदेशक मंडल को अपने कारोबार के उद्देश्य से 25,000 करोड़ रुपए की कुल राशि तक उधार लेने की अनुमति दी गई थी।

31.03.2005 को 780.60 करोड़ रुपए की चुकता इक्विटी पूंजी एवं 2998.30 करोड़ रुपए के आरक्षित कोष की तुलना में उधार की कुल राशि 19,600 करोड़ रुपए थी। अगले वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान उधार का अनुमानित स्तर 25,000 करोड़ रुपए की वर्तमान अनुमति योग्य सीमा से अधिक हो जाएगा। अतः निगम की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निगम की 25,000 करोड़ की कुल उधार सीमा को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

निगम के निदेशक मंडल की 30 अगस्त, 2005 को आयोजित 295वीं बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया बशर्ते कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 393 (1)(डी) की शर्तों के अनुसार निगम की महासभा में शेयरधारकों की सहमति भी प्राप्त कर ली जाए तथा इस संबंध में अन्य सांविधिक एवं कार्यविधिक औपचारिकताएं पूरी की ली जाएं।

तदनुसार निदेशक मंडल संलग्न नोटिस के मद सं. 5 में दिए गए साधारण संकल्प को पारित करने की सिफारिश करते हैं।

इस संकल्प में कंपनी के किसी भी निदेशक की कोई अभिरूचि या संबंध नहीं है।

गांव के विद्युतीकरण से
नई पीढ़ी का जीवन
जगमग हो सकेगा।

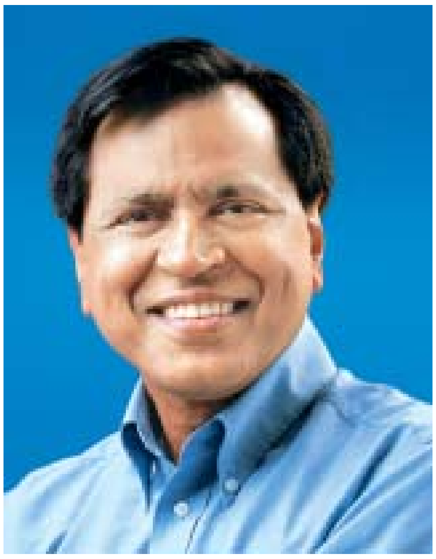

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय सदस्यगण,

आपके निगम की छत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

दिनांक 1 अगस्त, 2005 को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने के साथ ही निगम को इसके इतिहास में इस स्थान से आगे ले जाना मेरे लिए एक गौरव की बात होने के साथ–साथ एक चुनौती भी है। निगम ने कार्य निष्पादन और लाभकारिता, दोनों में ही तेजी से विकास किया है तथा उच्चतर लाभांश घोषित करते हुए लगातार पिछले रिकार्डों को ध्वस्त किया है। समीक्षाधीन वर्ष 2004–05 भी कोई अपवाद नहीं रहा है।

वर्ष 2004–05 के कार्यनिष्पादन की रूपरेखा प्रस्तुत करने से पूर्व मैं वर्तमान विद्युत परिदृश्य, गतिशीलता और उपलब्धियों की आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन की भावी कार्यनीति और पहलों को चालित करेगा।

भारत एक महान शक्ति बनने के कगार पर बैठा है और यह भारतीय ग्रामीण क्षेत्र है, जो उस महान विकास को चालित करने जा रहा है। विश्वस्तरीय विद्युत संरचना उच्चतर सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास को बनाए रखने के लिए एक पूर्वापेक्षा है ।

देशी विद्युत क्षेत्र क्षमता की अत्यधिक कमियों, पारेषण, वितरण और वाणिज्यिक हानियों के उच्च स्तर, ग्रिड अनुशासन की कमी, अनावश्यक अत्यधिक कार्यबल, पुराने हो रहे नेटवर्क और वाणिज्यिक उन्मुखीकरण की कमी द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। संस्थापित क्षमता 11.7% की व्यस्ततम कमी के साथ मांग से 7.3% कम है। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के सृजन से लेकर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) आरंभ करने जैसे विभिन्न प्रयास किए हैं । इन उपायों के लिए वर्ष 2012 तक लगभग 8,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी । **आरईसी पर्याप्त अवसरों की प्राप्ति के द्वार पर है।**

शक्तियों से परिपूर्ण कार्यनिष्पादन

निगम ने पिछले वर्ष में 15978 करोड़ रुपए की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 16316 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए। पिछले वर्ष में हुए 6017 करोड़ रुपए के संवितरण की तुलना में 7885 करोड़ रुपए का संवितरण हुआ (31% वृद्धि)। ब्याज सहित वसूलियों की राशि पिछले वर्ष में 5003 करोड़ रुपए की तुलना में 6817 करोड़ रुपए तक पहुंच गई (36% वृद्धि)। कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष के 803 करोड़ रुपए (29% वृद्धि) की तुलना में 1038 करोड़ रुपए रहा, जिसने पहली बार 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। आपके निदेशकों ने पहले अदा किए गए 58 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित अब तक के अधिकतम 234.50 करोड़ रुपए के लाभांश (28% वृद्धि) की सिफारिश की है, जबकि पिछले वर्ष 183 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित किया गया था। इस वर्ष के लिए लाभांश निगम की 780.60 करोड़ रुपए की चुकता इक्विटी पूंजी पर 30% है ।

वर्ष के दौरान, निगम ने अपने व्यावसायिक प्रचालनों के लिए बाजार से 8501 करोड़ रुपए की राशि जुटाई। इसमें प्राथमिकता/गैर–प्राथमिकता क्षेत्र के बांडों, पूंजी अभिलाभ कर छूट बांडों और इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडों द्वारा जुटाई गई 5029 करोड़ रुपए की राशि शामिल हैं। आरईसी के ऋण लिखतों को एएए श्रेणी मिलना जारी रहा, जो क्रिसिल, केयर और फिच द्वारा दी गई उच्चतम श्रेणी है। वर्ष के दौरान, लगभग 90,000 निवेशकों की पर्याप्त वृद्धि हुई थी, जिससे मार्च, 2005 के अंत में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के बांडों में कुल निवेशक आधार लगभग 2,00,000 हो गया।

आरईसी ने प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाकर उधार लेने की अपनी लागत को न्यूनतम बनाए रखा। सरकारी ऋणों की सामयिक वापसी–अदायगी और बांडों के परिशोधन के अतिरिक्त, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन ने 976.73 करोड़ रुपए की उच्च लागत वाले ऋण का सरकार को समय पूर्व भुगतान और ब्याज की उच्चतर दर वाली चार श्रृंखलाओं के संबंध में कॉल ऑप्शन के प्रयोग द्वारा बांड धारकों को 2194.55 करोड़ रुपए का समय पूर्व भुगतान किया। इससे इसने अपनी उधार लेने की औसत दर में कमी की । आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन विदेशी वाणिज्यिक उधार लेने की संभावनाएं खोज रहा है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक रूप से देय 8% की ब्याज दर वाले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1414.80 करोड़ रुपए की राशि के बांड निर्गम के पुनः समय निर्धारण पैकेज द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की अतिदेयताओं का निपटारा किया गया है । झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड से अतिदेयताओं का नकद भुगतान द्वारा पूर्णतः निपटारा किया गया। असम राज्य विद्युत बोर्ड से अतिदेयताओं का भी चालू वर्ष 2005–06 के दौरान पुनः समय निर्धारित किया गया है और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ एक करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपके निगम ने 1% से कम नगण्य अनुपात तक एनपीए स्तर बनाए रखा है ।

भारी अंशदान

वर्ष 2004–05 के दौरान आरईसी ने केंद्रीय राजकोष में 1649 करोड़ रुपए की राशि अदा की है। इसमें 1043 करोड़ रुपए के सरकारी ऋण पर 101 करोड़ रुपए का ब्याज, 213 करोड़ रुपए का आयकर, 241 करोड़ रुपए का लाभांश, 31 करोड़ रुपए का लाभांश कर और 20 करोड़ रुपए के पिछले वर्ष के लिए आय कर की वापसी अदायगी की राशि शामिल हैं ।

विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

आपके निगम ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन के संदर्भ में लगातार 11वें वर्ष ''उत्कृष्ट'' कार्यनिष्पादन की श्रेणी प्राप्त की है । निगम लगातार 12वें वर्ष (2004–05) एक बार फिर ''उत्कृष्ट'' श्रेणी प्राप्त करने वाला है । हमने वर्ष 2005–06 के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अनेक नए कार्यनिष्पादन संकेतक शामिल हैं । पहली बार, विद्युत उत्पादन के लिए स्वीकृतियों और संवितरणों तथा अन्य योजनाओं के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । तदनुसार, आपका निगम विद्युत अवसंरचना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन व्यवसाय खंडों में आगे बढ़ेगा।

ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण – राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

भारत सरकार ने अपनी मुख्य प्राथमिकता के रूप में साधारणतया ग्रामीण आर्थिक विकास और विशेषतया ग्रामीण अवसंरचना विकास को अपनाया है। ग्रामीण विद्युतीकरण शीर्ष लक्ष्य है। आपके निगम को संपूर्ण देश में लगभग 5 लाख गांवों और 78 मिलियन आवासों में विद्युत सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस कार्यक्रम में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी और इसे वर्ष 2009 तक पूरा किया जाना है ।

आरजीजीवीवाई में दो सुस्पष्ट संघटक हैं। एक प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे के अविद्युतीकृत आवासों को अंतिम स्थल संपर्क प्रदान करना है। दूसरा प्रशुल्क के संग्रहण, वितरण प्रणाली के रख–रखाव और आय की सततता के लिए विशेषाधिकारी (फ्रेंचाइजी) विकास को प्रोत्साहन देना है। विशेषाधिकारी निचले स्तर पर बेहतर निजी व्यावसायिक उद्यम बनेंगे । आपके निगम की संगतता प्रभावशाली रूप से बढ़ जाएगी, जब वांछित भूमिका और अपूर्व व्यावसायिक

आरईसी अध्यक्ष, श्री ए.के. लखीना, माननीय विद्युत मंत्री, श्री पी.एम. सईद को वर्ष 2004-05 का लाभांश का चैक भेंट करते हुए।

अवसर मांगते हुए अगले 3 से 5 वर्षों के भीतर लाखों विशेषाधिकारी सृजित किए जाएंगे ।

राज्य विद्युत बोर्डों और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में शामिल किया गया है । आपका निगम वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ करार करने में सफल हो चुका है । 54,159 गांवों और 23,45,412 आवासों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 4326 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय स्वीकृत किया गया था ।

वर्ष के दौरान आपका निगम देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए अवसंरचनात्मक आधार प्रदान करने के लिए विभिन्न वोल्टता स्तरों के 309 उप–केन्द्र स्थापित करने में सफल रहा है। निगम ने कुटीर ज्योति और गरीबी रेखा से नीचे के कार्यक्रम के अधीन 765 गांवों, 6561 दलित बस्तियों, 5907 पुरवों, 1,75,772 पंपसेटों और 56,492 आवासों के विद्युतीकरण में सहायता प्रदान की है ।

राज्य विद्युत बोर्डों का विकास (रा.वि.बो.)

आपके निगम के व्यवसाय का बहुत बड़ा भाग राज्य विद्युत बोर्डों के साथ संचालित किया जाता है । सामान्य धारणा यह है कि राज्य विद्युत बोर्डों की घटती हुई वित्तीय व्यवहार्यता रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के दीर्घावधिक स्थायित्व पर प्रभाव डालती है। विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए सुधार इस धारणा को बदल रहे हैं । अखंडित और एकाधिकारी राज्य विद्युत बोर्डों के असमूहीकरण में पिछले कुछ वर्षों में काफी परिवर्तन हुए हैं । आपका निगम अभी हाल तक 30 राज्य विद्युत बोर्डों के साथ व्यवसाय कर रहा था। वे प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे और निजी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 60 विकेन्द्रीकृत यूनिटों (उत्पादन, पारेषण और वितरण) में विकसित हो गए हैं। राज्य विद्युत बोर्ड और उनकी उत्तराधिकारी यूनिटें सहायक भूमिका निभा रही हैं और अभी भी वितरण के 90 प्रतिशत और विद्युत उत्पादन के लगभग आधे पर नियंत्रण रखती हैं। इसलिए आरईसी की दोहरी भूमिका निम्नवत है :–

(i) उन्हें भारी विद्युत उत्पादन, पारेषण और उप पारेषण कार्यकलापों के लक्षित विकास तथा पारेषण और वितरण हानियों में कमी करने में संलग्न करना; और

(ii) इन नव सृजित उपक्रमों को उनमें वर्तमान और भावी परिसंपत्तियों पर संरचित वित्तीय समाधान प्रदान करके व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक संगठनों के रूप में सुदृढ़ करना ।

आमूल – चूल परिवर्तन के प्रारंभ सहित पारेषण और वितरण हानियों में दृष्टिगोचर कमी, पारेषण अवसंरचना में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में सुधार हो चुका है । अधिकांश राज्यों ने मध्यावधिक व्यवसाय योजनाएं तैयार की हैं और वे अपनी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और अपनी वित्तीय दक्षताओं के आकलन में लगे हुए हैं। वे आगामी 5 वर्षों के भीतर या तो लाभ–अलाभ की स्थिति में होंगे अथवा अधिशेष सृजित करने के मार्ग पर होंगे । हम यह देखकर संतुष्ट हैं कि अधिकांश डिस्कॉम आपके निगम द्वारा प्रदान की गई निधियों से प्रणाली सुधार में गंभीरतापूर्वक शामिल हैं और वे हानियों में कमी ला रहे हैं । आपका निगम राज्य विद्युत बोर्डों और उनकी उत्तराधिकारी कंपनियों को पुनरूज्जीवित होने के लिए प्रोत्साहन देता रहेगा और उनके लाभकारी संगठन बनने तक विश्राम नहीं लेगा ।

बढ़ी हुई भूमिका निभाना

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने किसी भी आकार और स्थिति वाली सभी श्रेणियों की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए वर्ष 2002 में आरईसी के व्यवसाय अधिदेश का विस्तार किया था । आपके निगम ने वर्ष के अंत तक सरकारी और निजी, दोनों

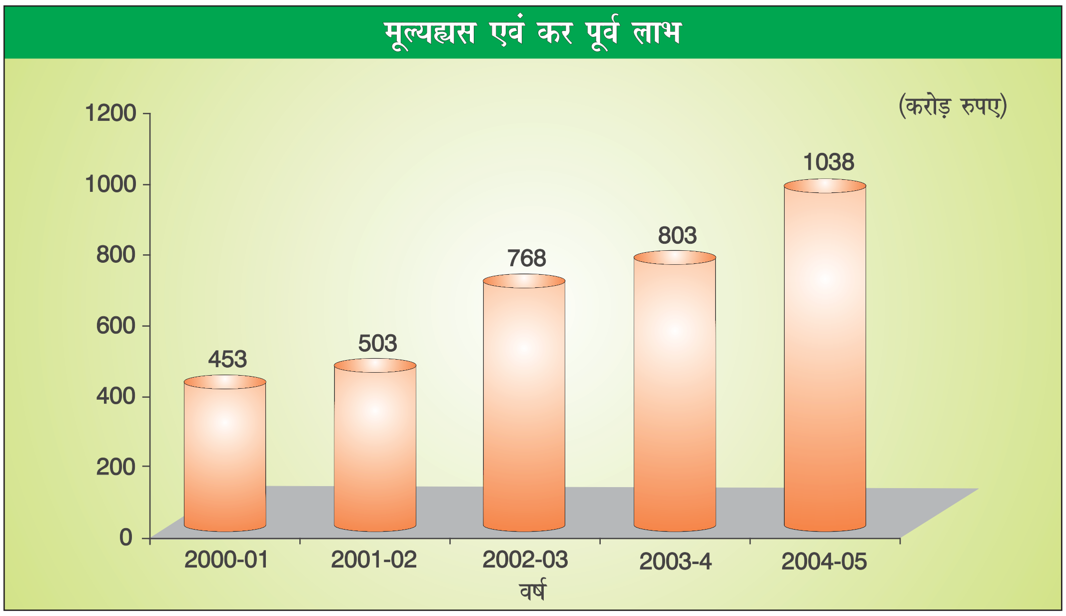

क्षेत्रों में केवल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 14,357 करोड़ रुपए के कुल व्यवसाय की पर्याप्त राशि प्राप्त की है। आरईसी विद्युत उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं के वित्तपोषण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आक्रामक प्रयास जारी रखेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

आरईसी सस्ती अंतर्राष्ट्रीय निधियां और आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करके ग्रामीण विद्युतीकरण के विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रहा है । रियायती शर्तों पर आरईसी के विभिन्न कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए जेबीआईसी, केएफडब्ल्यू, विश्व बैंक और यूएसएआईडी जैसी विदेशी बहुपक्षीय अभिकरणों से संपर्क करने हेतु एक नया प्रभाग स्थापित किया गया है। आपके निगम को विश्वास है कि आने वाले वर्षों में इन अभिकरणों से ऋण प्राप्त होंगे, इसके औसत मार्जिन में वृद्धि होगी और अधिकाधिक लाभ प्राप्त होगा ।

भावी कार्य

आज आरईसी भारत का एक विराट संगठन होने के साथ–साथ एकीकृत प्रणाली उन्नयन, विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत संवितरण, पंपसेट ऊर्जायन, ग्रामीण आवास विद्युतीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य कार्यों का एक स्वीकृत स्रोत है । इसके पास 666 कर्मचारीगण हैं, जो कि 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात हैं।

आगामी वर्षों में आपके निगम के महत्वपूर्ण परिणाम वाले क्षेत्र वित्तीय प्रणालियों पर ध्यान देना और महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यनिष्पादन सूचक होंगे। इनमें आपके लिए पूंजी पर आय, हमारे शेयर धारक, निवेशक एवं सभी अन्य हितधारक, कार्यक्षेत्र का विस्तार, सेवाएं तथा तुलन–पत्र शामिल होंगे । हमारा उद्देश्य ग्रामीण विद्युतीकरण के अधिदेश को सुरक्षा और दक्षता के साथ प्राप्त करना, पूंजी आधार का विस्तार करना, निधियों की लागत में कमी लाना, विवेकशील वित्तीय प्रबंध सुनिश्चित करना, सुस्पष्ट परिसंपत्ति देयता प्रबंध प्रणाली की स्थापना करना और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन एवं संवितरण करने वाली कंपनियों के मूल्य में वृद्धि करना है ।

आरईसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने की आकांक्षा रखता है ताकि यह अन्य जरूरतमन्द देशों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों में अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर सके। एक नई भूमिका निभाने के दृष्टिकोण से आरईसी एक मजबूत व्यवसाय योजना विकसित करने, इंजीनियरी और वित्तीय क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्रवाई आरंभ करने, निगमित संचार व्यवस्था स्थापित करने और विद्युत क्षेत्र में संलग्न सरकारी, निजी एवं गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव करता है। इसकी भावी योजना इसके अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य बिजली बोर्डों में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास एवं संवर्धन करने की होगी। वर्ष 2005–06 में इन दिशाओं में किए गए प्रयास दिखाई देंगे ताकि अधिकाधिक व्यवसाय प्राप्त हो सके और इसके अधिशेषों में वृद्धि हो सके।

आभार

अपने सभी प्रयासों के दौरान और उपलब्धियों के लिए आरईसी को विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से निरन्तर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है।

आपका निगम माननीय विद्युत मंत्री श्री पी.एम. सईद और सचिव (विद्युत), भारत सरकार, श्री आर.वी. शाही से प्राप्त भारी समर्थन के लिए अत्यंत आभारी है। उनके निरन्तर मार्गदर्शन के बिना आरईसी इस वर्ष के दौरान इतनी उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकता था। आरईसी वर्ष 2004–05 की संपूर्ण अवधि के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत रहे श्री एम.एन. प्रसाद, आईएएस का भी आभारी है।

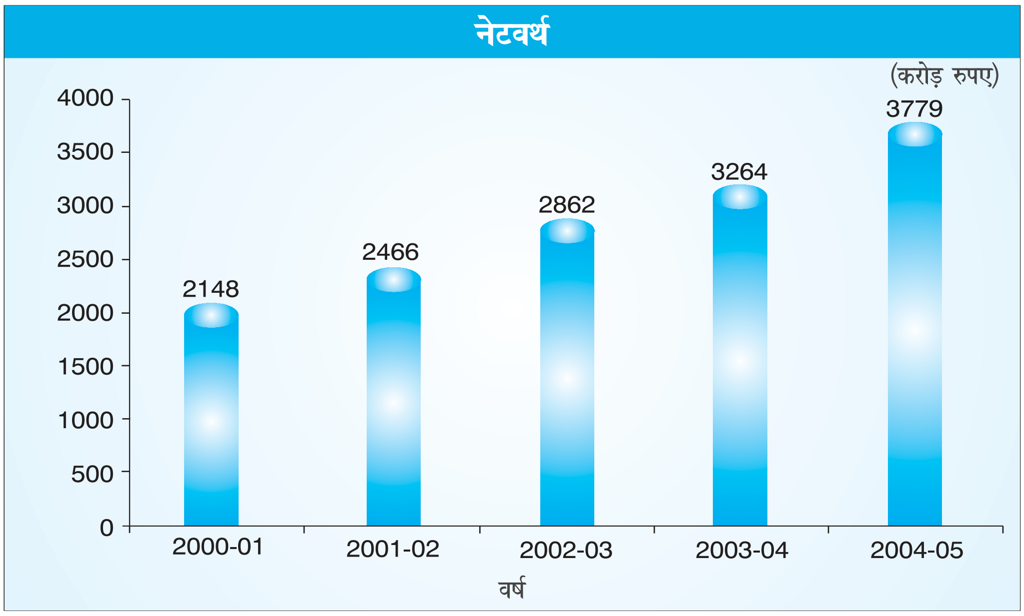

मैं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त बेशकीमती मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन के लिए आरईसी की ओर से आभार दर्ज करना चाहूंगा।

आरईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बैंकों द्वारा समय पर उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता और हमारे सम्मानित निवेशकों, जिन्होंने निगम द्वारा समय–समय पर जारी बांडों में उदारतापूर्वक अंशदान किया है, द्वारा हमारे ऊपर व्यक्त निरंतर विश्वास के लिए हार्दिक आभार करती है।

मैं आरईसी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जिनके कारण हम लगातार इस वर्ष भी उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

अनिल कुमार लखीना

(ए.के. लखीना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
22 सितंबर, 2005

विद्युतीकरण से गांव में **कुटीर**
उद्योग बढ़ेगें और बहुत जल्दी
वहां **औद्योगिक क्रांति** आ जाएगी।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

शेयर धारक

निदेशक मंडल को निगम की छत्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है ।

2. कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य बातें

2.1 गत आठ वर्षों के दौरान निगम ने कार्यनिष्पादन के मानदंडों में पर्याप्त वृद्धि रिकार्ड की और वर्ष 2004-05 के दौरान पहली बार कर-पूर्व लाभ 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया ।

2.2 वर्ष 2004-05 के दौरान स्वीकृत कुल ऋण राशि बढ़कर 16316 करोड़ रुपए हो गई, जबकि गत वर्ष 15978 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे । कुल संवितरित राशि गत वर्ष के संवितरित 6017 करोड़ रुपए की तुलना में अब तक की सर्वाधिक के रूप में 7885 करोड़ रुपए रही । वसूल की गई राशि भी सर्वाधिक के रूप में 6817 करोड़ रुपए रही, जबकि गत वर्ष यह 5003 करोड़ रुपए थी । कर-पूर्व लाभ एवं मूल्यह्रास गत वर्ष के 803 करोड़ रुपए के मुकाबले अब तक का सर्वाधिक 1038 करोड़ रुपए रहा ।

3. वित्तीय समीक्षा

3.1 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश निम्न प्रकार है :-

(करोड़ रुपए)

	2004-05	2003-04
स्वीकृत राशि	**16316.00**	15977.91
संवितरण	**7885.09**	6017.04
सकल आय	**2302.09**	1996.71
कर-पूर्व लाभ और मूल्यह्रास	**1037.80**	802.57
मूल्यह्रास	**1.15**	1.03
आयकर और धनकर के लिए प्रावधान	**235.90**	189.15
निवल लाभ	**800.75**	612.39
विशेष आरक्षित कोष को स्थानांतरण अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए	**380**	245.65
आरक्षित कोष को स्थानांतरण	**35**	27.69
सामान्य आरक्षित कोष को स्थानांतरण	**95**	129.00
प्रस्तावित लाभांश/अंतरिम लाभांश	**234.50**	183.00
लाभांश कर	**32.33**	23.45
अग्रेनीत शेष	**4.53**	0.38

3.2 वर्ष 2004-05 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं हुआ तथा 31 मार्च, 2005 को 1200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के मुकाबले प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 780.60 करोड़ रुपए रही ।

3.3 वर्ष 2004-05 के दौरान बाजार से 8501 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाई गई, जिसमें 2000 करोड़ रुपए की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम से सावधि ऋण के जरिए, 1472 करोड़ रुपए वाणिज्यिक बैंकों से समूह ऋण, 2440 करोड़ रुपए की राशि पूंजी लाभ पर कर की छूट वाले बांडों और इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडों एवं 2589 करोड़ रुपए

ऋण राशि आबंटन

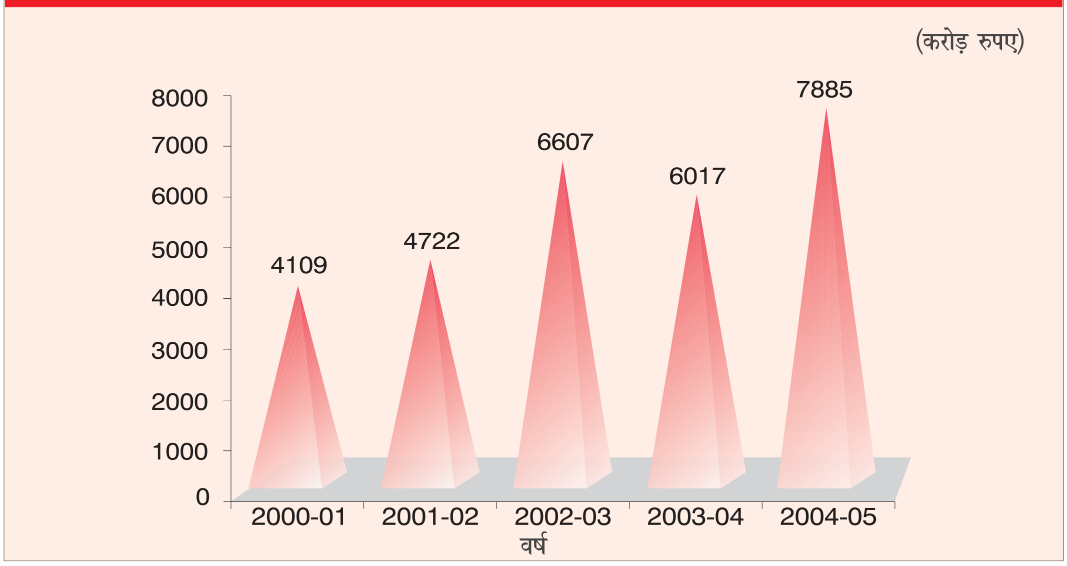

दीर्घावधिक निधि के रूप में अदला-बदली (स्वैप) विकल्प के साथ आयोजित सौदे के माध्यम से 250 करोड़ रुपए सहित प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बांडों के माध्यम से शामिल थी । इसके अलावा, दैनिक प्रचालनों के लिए विभिन्न बैंकों से 1200 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा सुनिश्चित की गई । आरईसी के ऋण दस्तावेजों को 'एएए' रेटिंग मिलनी जारी रही, जो क्राइसिल, केयर एवं फिच द्वारा प्रदान की गई उच्चतम रेटिंग है ।

3.4 वर्ष के दौरान निगम ने सरकार को कुल 1043.19 करोड़ रुपए की राशि लौटाई, जिसमें 976.73 करोड़ रुपए का पूर्व भुगतान शामिल है। निगम ने गैर-प्राथमिकता/प्राथमिकता क्षेत्र में बांड धारकों को 2524.55 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया, जिसमें तीन बांड श्रृंखलाओं के लिए 330 करोड़ रुपए की मोचन राशि शामिल है, जो मोचन के लिए देय हो गई थी तथा 2194.55 करोड़ रुपए ब्याज की ऊंची दर वाली चार श्रृंखलाओं के संबंध में निगम द्वारा कॉल ऑप्शन का रास्ता अपनाने के कारण देय हो जाने पर बांड धारकों को भुगतान किया गया । इसके अलावा, 914.16 करोड़ रुपए के पूंजी लाभ कर छूट वाले तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड भी विमोचित किए गए ।

3.5 निगम ने ईसीबी जुटाने के लिए कदम उठाए थे, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति न मिलने के कारण यह लेन-देन नहीं हो सका। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, आयकर अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के कारण आयकर अधिनियम की धारा 88 के अधीन बांड जुटाने की सुविधा के साथ दिनांक 31.3.2005 से प्राथमिकता क्षेत्र के बांडों के माध्यम से निधियां जुटाने की सुविधा भी समाप्त हो गई है । इससे वर्ष 2005-06 के दौरान उधार की लागत बढ़ जाने की संभावना है।

3.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निवेशक आधार में काफी वृद्धि हुई और पोर्टफोलियो में लगभग 90,000 निवेशक शामिल किए गए । इस प्रकार 31.3.2005 के अनुसार आरईसी बांड में निवेशकों की संख्या बढ़कर लगभग 2 लाख हो गई है ।

3.7 31.03.2005 को समाप्त वर्ष के लिए 1037.80 करोड़ रुपए का मूल्यह्रास एवं कर-पूर्व लाभ हुआ । मूल्यह्रास, कर, पूर्व-अवधि समायोजन, पहले वर्षों के लिए आय/ब्याज कर का समायोजन तथा 415 करोड़ रुपए की राशि के सांविधिक आरक्षित कोष के लिए आवश्यक विनियोग की व्यवस्था करने के पश्चात, **आपके निदेशकों को वर्ष 2003-04 के 183 करोड़ रुपए के घोषित लाभांश की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान पहले भुगतान किए जा चुके 58 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित 234.50 करोड़ रुपए के लाभांश के भुगतान की सिफारिश करते हुए हर्ष हो रहा है।** 95 करोड़ रुपए की बाकी अधिशेष राशि को सामान्य आरक्षित कोष में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है ।

3.8 वित्तीय वर्ष 2004-05 की समाप्ति पर निगम के कुल संसाधन 23156.98 करोड़ रुपए के थे, जिसमें 780.60 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर पूंजी, 2998.30 करोड़ रुपए के आरक्षित एवं अधिशेष, 140.17 करोड़ रुपए के सरकारी ऋण, 5632 करोड़ रुपए के भारतीय जीवन बीमा निगम तथा वाणिज्यिक बैंको से कैश क्रेडिट/लघु अवधि ऋण, 13605.91 करोड़ रुपए के बाजार के उधार शामिल हैं । इन निधियों को 21062.18 करोड़ रुपए के दीर्घ/लघु अवधि ऋण एवं 25.55 करोड़ रुपए की अचल परिसंपत्तियों, 1417.22 करोड़ रुपए के निवेश तथा 652.03 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी के रूप में विनियोजित किया गया ।

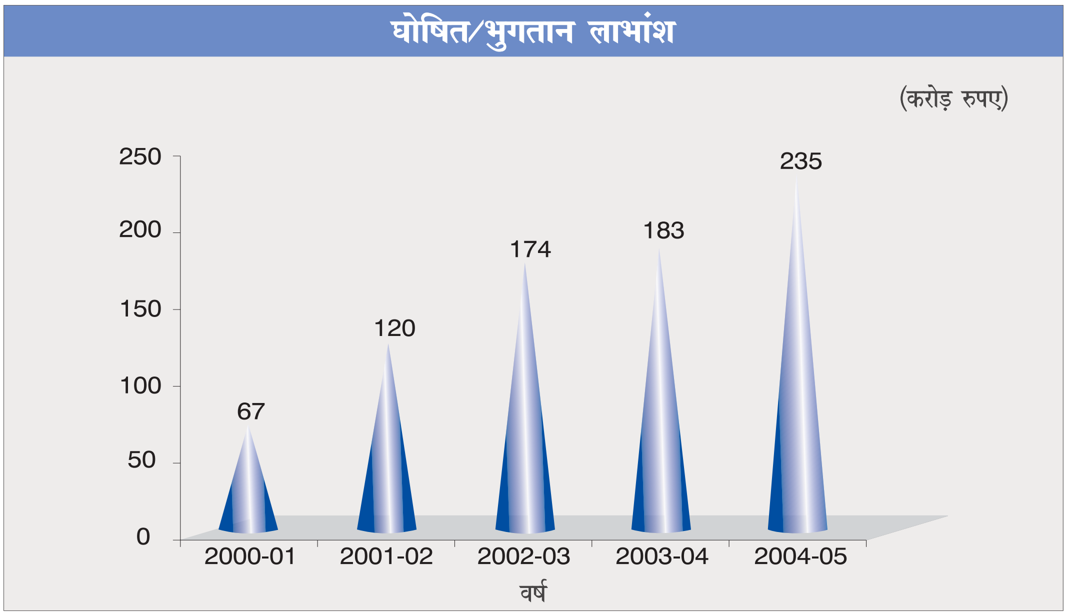

4. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अनुसरण में आपके निदेशक प्रमाणित करते हैं कि :-

(i) वार्षिक खाते तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया तथा महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दे दिए गए हैं;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया और ऐसे फैसले एवं आकलन किए, जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण हों, ताकि कंपनी की उक्त अवधि के लाभ एवं हानि खाते तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज के बारे में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखेबाजी रोकने तथा पता लगाने के लिए एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप यथेष्ट लेखा रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;

(iv) निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक खाते प्रचालनरत संस्था के आधार पर तैयार किए हैं ।

5. एक लाख गांवों और एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण

5.1 “एक लाख गांवों और एक करोड़ आवासों के त्वरित विद्युतीकरण कार्यक्रम” के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 12 मई, 2004 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार की इस नई योजना की शुरूआत के बारे में सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया था और इस सुविधा का लाभ उठाने तथा अविद्युतीकृत गावों एवं आवासों के शीघ्र विद्युतीकरण हेतु उपयुक्त कार्य योजना तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया था ।

5.2 निगम ने चार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों अर्थात्; पावरग्रिड, एनएचपीसी, डीवीसी और एनटीपीसी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके अंतर्गत वे राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने 2004-05 के दौरान अपनी परियोजनाओं के लिए इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सेवाएं प्राप्त की हैं ।

5.3 कार्यक्रम के कारगर एवं त्वरित क्रियान्वयन हेतु आरईसी के निम्नलिखित दिशानिर्देशों को परियोजना क्रियान्वयन के लिए अंतिम रूप दिया गया और राज्य सरकारों तथा 12 राज्यों (उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तरांचल, मेघालय, मध्य प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान) के संबंधित राज्य विद्युत संस्थाओं तथा पावरग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी एवं डीवीसी जैसे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अधिकारियों के साथ सितम्बर, 2004 में नई दिल्ली में आयोजित तकनीकी कार्यशाला में विचार-विमर्श के बाद लागू किया गया ।

(i) योजना तैयार करना ।

(ii) उप-पारेषण और संवितरण प्रणालियों के लिए उपस्कर सामग्री विनिर्देशन एवं निर्माण मानक ।

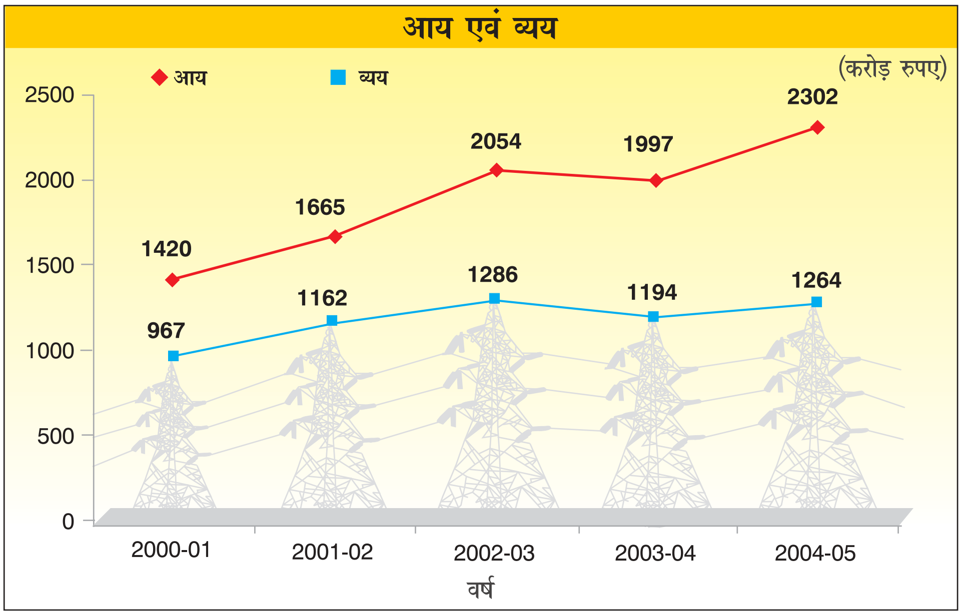

4 अप्रैल, 2005 को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुभारम्भ

(iii) मदों और सेवाओं की खरीद ।

(iv) बोली प्रक्रिया ।

5.4 कार्यक्रम के कारगर और शीघ्र क्रियान्वयन हेतु आरईसी ने 2004-05 के दौरान निम्नलिखित करार किए :-

(i) पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा आरईसी, राज्य सरकार, राज्य विद्युत यूटीलिटीज और संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बीच चार पक्षीय करार ।

(ii) पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में आरईसी, राज्य सरकार और राज्य विद्युत यूटीलिटीज के बीच त्रिपार्टी करार ।

5.5 परियोजनाएं शीघ्र तैयार करने को सुविधाजनक बनाने के लिए आरईसी ने बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में कार्यशालाएं भी आयोजित की थीं ।

परियोजना स्वीकृति

5.6 उपर्युक्त क्रियान्वयन ढांचे के साथ वित्तीय वर्ष 2004-05 की समाप्ति पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर निगम ने 432557.79 लाख रुपए के कुल परिव्यय से 54,159 गांवों और 23,45,412 आवासों (18, 29, 823 गरीबी रेखा से नीचे के आवासों सहित) के विद्युतीकरण वाली 111 परियोजनाओं को स्वीकृत किया है, जिसका विवरण **सारणी - 1** में दिया गया है ।

5.7 इसके अलावा, भारत सरकार की योजना के अनुसार राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटियों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर निगम ने 18 राज्यों के विद्युतीकृत गावों में 5,29,934 गरीबी रेखा से नीचे के आवासों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 350 जिलों के लिए योजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनका विवरण **सारणी - 2** में दिया गया है ।

निधियों का उपयोग

5.8 वर्ष के दौरान, पूंजीगत आर्थिक-सहायता के रूप में 525 करोड़ रुपए जारी करने के आरईसी के अनुरोध की तुलना में विद्युत मंत्रालय द्वारा पूंजीगत आर्थिक-सहायता के रूप में जारी 400 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का आरईसी ने पूरा उपयोग किया है । तथापि, इस संबंध में प्रगति 444.36 करोड़ रुपए (पूंजीगत आर्थिक - सहायता - अनंतिम) की थी । आरईसी द्वारा किए गए कुल संवितरण में 1022.77 करोड़ रुपए की स्वीकृत परियोजनाएं थीं जिसमें 444.36 करोड़ रुपए की पूंजीगत आर्थिक-सहायता और 578.41 करोड़ रुपए की आरईसी द्वारा ऋण सहायता शामिल है, जिसका विवरण **सारणी - 3** में दिया गया है ।

6. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ

6.1 सभी आवासों को बिजली प्रदान करने, ग्रामीण बिजली ढांचे में सुधार करने के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय के दिनांक 18 मार्च, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/19/2004-डी (आरई) के अनुसार भारत सरकार ने "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" नामक एक नई योजना अनुमोदित की है ।

6.2 यह योजना माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में औपचारिक तौर पर आरम्भ की गई । 14 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों अर्थात् आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा लक्षद्वीप में वीडियो - कांफ्रेसिंग के माध्यम से इस योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया ।

6.3 इस योजना के अंतर्गत "एक लाख गांवों और एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण" और ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यकता

कार्यक्रम (एमएनपी) को मिला दिया गया और इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण आवासों को बिजली पहुंचाना है । इस योजना में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :-

(i) परियोजना की समग्र लागत के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक - सहायता प्रदान की जाएगी ।

(ii) इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित के माध्यम से अनिवार्य आधारभूत ढांचा स्थापित किया जाएगा :-

(क) ग्रामीण बिजली संवितरण आधार (आरईडीबी) : प्रत्येक खण्ड में पर्याप्त क्षमता के कम से कम एक 33/11 केवी (अथवा 66/11 केवी) के उपकेन्द्र का प्रावधान ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण आधारभूत ढांचा (वीईआई): प्रत्येक आवास स्थान में संवितरण ट्रांसफार्मर के साथ प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण ।

(ग) विकेंद्रीकृत संवितरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति (डीडीजी) : जिन गांवों में ग्रिड संयोजन व्यवहार्य अथवा सस्ता नहीं है, उनमें डीडीजी प्रणाली स्थापित करना ।

(iii) गरीबी रेखा से नीचे वाले (बीपीएल) आवासों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना ।

(iv) बिजली आपूर्ति के राजस्व समर्थन को सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित करना, जो कि गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), प्रयोक्ता संगठन, पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से सहकारिताएं अथवा व्यक्तिगत उद्यमी हो सकते हैं।

(v) ग्रामीण और शहरी आवासों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई भेदभाव नहीं ।

(vi) जो राज्य केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सेवाएं लेने के इच्छुक हैं, उन्हें इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उनकी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ।

7. ऋण पुनर्वित्तपोषण

निगम ने 16 दिसम्बर, 2002 से ऋण पुनर्वित्तपोषण की एक नई योजना आरम्भ की, जिसके अंतर्गत राज्य विद्युत संगठन, केन्द्रीय सरकारी उद्यम, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक इत्यादि अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऊंची दर पर लिए गए ऋण वापस करने के लिए उन ऋणों की जगह आरईसी से कम ब्याज दरों पर ऋण ले सकते है। वर्ष 2004-05 के दौरान निगम ने ऋण पुनर्वित्तपोषण की इस योजना के अन्तर्गत 477 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की ।

8. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना

8.1 भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच 28.1.2000 को निष्पन्न ऊर्जा संरक्षण एवं वाणिज्यिकरण (ईसीओ) परियोजना संबंधी करार के अंतर्गत यह निर्णय किया गया है कि विद्युत संवितरण सुधार कार्यकलापों के माध्यम से बिजली और पानी तक पहुंच बढ़ाने के लिए संवितरण सुधार, उन्नयन और प्रबंध (डीआरजीएम) शीर्षक नामक परियोजना चलाई जाए, जिसमें संवितरण/खुदरा आपूर्ति स्तर पर तकनीकी-वाणिज्यिक मॉडल तैयार करने में क्षमता निर्माण में सुधार शामिल होगा और जिससे प्रबंधकीय, वाणिज्यिक और प्रौद्योगिकीय पद्धतियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा, जिससे 'अंतिम स्थल' तक विद्युत संवितरण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। डीआरयूएम परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप यह होगा कि व्यापक संवितरण सुधार को सहायता प्रदान करने के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण/उधार देने की प्रणाली विकसित करने में सहायता मिलेगी। इस प्रयोजनार्थ संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग (यूएसडीए) के रूरल यूटिलिटी सर्विसिज (आरयूएस) से सहभागी अभिकरण सेवा करार (पीएएसए) के अंतर्गत रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन जैसे भारतीय घरेलू वित्तीय संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ।

8.2 डीआरयूएम परियोजना औपचारिक तौर पर 14 अक्तूबर, 2004 को आरंभ की गई थी और आरयूएस, यूएसडीए और आरईसी द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें उन्होंने मॉडलों के विकास, परीक्षण और प्रतिकृति तैयार करने में डीआरयूएस परियोजना के अंतर्गत सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी, जिसके परिणामस्वरूप भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार होगा । इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य संयुक्त राज्य अमरीका के बीच ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी श्रेष्ठ पद्धतियों, प्राप्त ज्ञान और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना है, जिससे आरईसी के निम्नलिखित कार्यक्रम का संवर्धन हो सके :-

(i) मजबूत उधार संबंधी सिद्धांतों के आधार पर ग्रामीण विद्युत संवितरण के लिए वित्तीय कार्यक्रम तैयार करना ।

(ii) उन्नत विद्युत सेवा प्रावधान और ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण के लिए विद्युत सहकारिताओं जैसे वैकल्पिक मॉडलों को क्रियान्वित करने के लिए संस्थागत क्षमता विकसित करना ।

(iii) भारतीय ग्रामीण विद्युत संवितरण कंपनियों के लिए संगत वित्तीय कार्यनिष्पादन, तकनीकी और इंजीनियरी मानक स्थापित करना ।

8.3 आरईसी-आरयूएस सहयोग कार्यकलाप आरईसी और आरयूएस द्वारा संयुक्त रूप में विकसित एक कार्य योजना के अनुसार जनवरी,2005 में आरंभ किए गए थे ।

9. ऋण मंजूरी, संवितरण और वसूली

9.1 गत वर्ष के 15978 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष के दौरान कुल 1523 परियोजनाओं के लिए 16316 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया । वर्ष के दौरान मंजूर ऋण राशि का राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण क्रमशः **सारणी-4 और 5** में दिया गया है । वर्ष के दौरान 7885 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई । 2004-05 के दौरान संवितरण, कर्जदारों द्वारा अदायगी तथा 31.3.2005 को संचयी आंकड़े एवं बकाया राशि का राज्यवार विवरण **सारणी - 6** में दिया गया है । वर्ष 2004-05 के अंत तक मंजूरी की राज्यवार स्थिति का संचयी विवरण **सारणी - 7** में दिया गया है ।

9.2 गत वर्ष 5590.37 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष के दौरान 5316.88 करोड़ रुपए, चूककर्त्ता राज्य बिजली बोर्डों को मिलाकर, वसूली के लिए देय थे । 5217.69 करोड़ रुपए की राशि केवल चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त होनी थी। निगम ने कुल 6816.64 करोड़ रुपए की राशि वसूल की। 1.4.2004 को चूककर्त्ता उधारकर्ताओं की अतिदेय राशि, वर्ष के दौरान दी गई राशि, वर्ष में की गई वसूलियां और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अतिदेय राशि के विवरण **सारणी-8** में दिए गए हैं । निगम इन राशियों की वसूली/समाधान का हर संभव प्रयास करता रहा है ।

10. वास्तविक कार्यनिष्पादन

10.1 गांवों और दलित बस्तियों का विद्युतीकरण

वर्ष के दौरान 765 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की सूचना प्राप्त हुई । मार्च, 2005 के अंत तक आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों की राज्यवार संचयी स्थिति **सारणी-9** में दी गई है । वर्ष के दौरान 6561 दलित बस्तियों के विद्युतीकरण की सूचना मिली है । इसके साथ ही 31.3.2005 को निगम की वित्तीय सहायता से विद्युतीकृत ऐसी दलित बस्तियों की कुल संख्या 177315 हो गई है । राज्यवार विवरण **सारणी-10** में दिए गए हैं ।

10.2 पंपसेट ऊर्जायन

वर्ष के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 175772 विद्युत सिंचाई पंपसेटों के ऊर्जायन की सूचना मिली है। राज्यवार विवरण एवं 31.3.2005 तक की संचयी स्थिति **सारणी-11** में दी गई है ।

10.3 गरीबी रेखा से नीचे वाले आवासों का विद्युतीकरण (पूर्व - कुटीर ज्योति कार्यक्रम)

वर्ष 2004-05 के दौरान भारत सरकार ने "एक लाख गांवों और एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण" नामक एक नई योजना अनुमोदित की है । यह योजना कुटीर ज्योति कार्यक्रम के स्थान पर आरंभ की गई है । इस नई योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों में कुटीर ज्योति योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे वाले आवासों के विद्युतीकरण के लिए 100 प्रतिशत अनुदान पात्र था । क्रियान्वयन संस्थाओं से अनुरोध के आधार पर 82.62 करोड़ रुपए की अनुदान राशि से 5.29 लाख बीपीएल कनेक्शन स्वीकृत किए गए । क्रियान्वयन अभिकरणों ने वर्ष के दौरान 5.65 लाख कनेक्शन जारी करने की सूचना दी है ।

10.4 तंत्र सुधार

पारेषण एवं वितरण क्षतियों में कमी और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विद्युत वितरण तंत्र बेहतर बनाने की स्कीमों पर विशेष ध्यान देना जारी रहा । वर्ष 2004-05 के दौरान 2635.43 करोड़ रुपए की ऋण परिव्यय वाली कुल 410 तंत्र सुधार स्कीमें मंजूर की गई । इसमें विद्युत मंत्रालय के त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अधीन 210.11 करोड़ रुपए की ऋण परिव्यय वाली 61 स्कीमें शमिल हैं । तंत्र सुधार स्कीमों में ट्रांसफार्मर और मीटर जैसे आवश्यक उपस्करों के अधिष्ठापन के जरिए तंत्र में निवेशों के वित्तपोषण के लिए 368.04 करोड़ रुपए के ऋण परिव्यय वाली 38 स्कीमें भी शामिल हैं ।

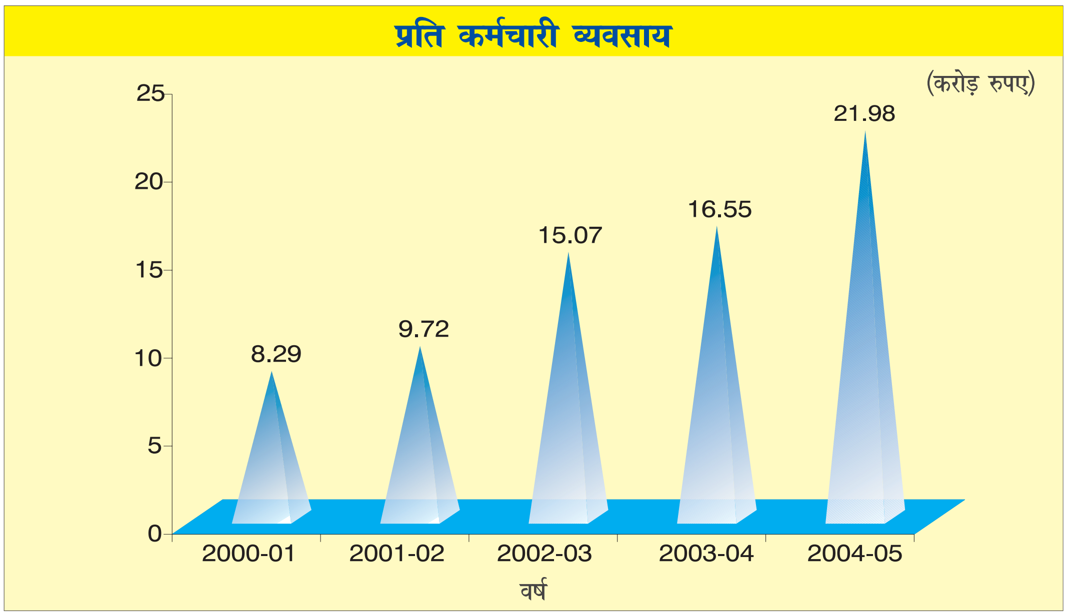

10.5 उत्पादन

पारेषण और उत्पादन सहित सभी विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के इसके विस्तृत कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, निगम ने 2004-05 के दौरान अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ कंसोर्टियम फाइनैंसिंग सहित 5586.37 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली (आर एण्ड एम परियोजनाओं को मिलाकर) 21 उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत की । वर्ष 2002-03 से लेकर 31 मार्च, 2005 तक कुल मिलाकर आरईसी ने 12214.52 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वाली जलीय और ताप विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं । देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इससे लगभग 6196.25 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादक क्षमता पैदा होगी। वर्ष 2004-05 के दौरान आरईसी ने उपर्युक्त स्वीकृत योजनाओं के लिए 1180.35 करोड़ रुपए का संवितरण किया, जोकि गत वर्ष की तुलना में लगभग 450 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्शाता है ।

11. पूर्वोत्तर राज्यों में गतिविधियां

11.1 वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए आरईसी ने 880 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में दो बड़ी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण स्वीकृत किया है और इस सावधि ऋण की राशि 1324.05 करोड़ रुपए है, जिसमें 94.00 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मेघालय में पहले स्वीकृत परियोजना के लिए स्वीकृत किया गया था । वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 87.15 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया है।

11.2 वर्ष 2004-05 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों ने पारेषण एवं वितरण कार्यक्रमों के अंतर्गत 23.13 करोड़ रुपए की ऋण सहायता आहरित की, जबकि 2003-04 के दौरान 12.02 करोड़ रुपए की राशि आहरित की गई थी । सघन विद्युतीकरण श्रेणी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान 23.28 करोड़ रुपए के ऋण परिव्यय वाली 23 योजनाएं स्वीकृत की गईं ।

12. केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद की गतिविधियां

12.1 वर्ष 2004-2005 के दौरान, आरईसी के हैदराबाद स्थित केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान ने कुल 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 12 ओपन कार्यक्रम और 4 प्रायोजित कार्यक्रम शामिल हैं। ओपन कार्यक्रमों में मीटर और बिल संवितरण में प्रवृत्तियां और विकास, स्विच गियर और सुरक्षा, ग्राहक प्रबंध और विद्युत में सूचना प्रणालियां, विद्युत क्रय करार, ऊर्जा लेखा-परीक्षा और मांग प्रबंध, विद्युत क्षेत्र सुधार और एपीडीआरपी परियोजनाएं ईएसएएआर और जीएपीपी के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र के लिए विधायी पहलू, विद्युत गुणवत्ता मुद्दे, चुनौतियां, रणनीतियां और समाधान, संवितरण स्वचःकरण, भार प्रबंध और एससीएडीए (स्काडा) प्रणालियां तथा विद्युत एवं संवितरण ट्रांसफार्मर इष्टतम कार्यनिष्पादन और उपयोग शामिल हैं ।

12.2 प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान ने आंध्र प्रदेश सेन्ट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एपीसीपीडीसीआइ) के इंजीनियरों के लिए कृषि पंपिग प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए "मांग पक्ष प्रबंध उपाय" पर तीन एक दिवसीय कार्यक्रम तैयार किए हैं और ये कार्यक्रम उनके संस्थान परिसरों में परिसर - बाह्य कार्यक्रम के रूप में आयोजित किए गए। इसी प्रकार विद्युत विभाग, पांडिचेरी के कार्यरत इंजीनियरों के लिए पांडिचेरी में "विद्युत अधिनियम, 2003" पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

12.3 केन्द्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कुल 309 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो 940 प्रतिभागी दिवसों के बराबर थे । इस कार्यक्रम में राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों और आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा आदि की वितरण कंपनियों और टारेंट पावर एसीई, एनटीपीसी, एपजेनको नामक कंपनियों तथा एपीईआरसी, एईआरसी, यूपीईआरसी आदि जैसे विनियामक आयोगों के प्रतिभागी शामिल थे ।

केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान के भवन और परिसर को बेहतर बनाना

12.4 निगम ने आधारभूत सुविधाएं सुधारने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य के लिए के.लो.नि.वि. के जरिए 2.64 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च पर बिल्डिंग परिसर को सुन्दर बनाने का काम शुरू किया है । छात्रावास और 36 कमरों का कार्य पूरा हो चुका है तथा भोजन कक्ष वातानुकूलित कर दिया गया है । प्रशासनिक खण्ड एवं शिक्षण खण्ड का नवीकरण और परिसर सुधार के साथ-साथ जोगिंग पथ तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ।

13. मानव संसाधन विकास

वर्ष 2004-05 के दौरान निगम ने देश के भीतर और बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों/निकायों द्वारा चलाए गए सेमिनारों/कार्यशालाओं तथा राजभाषा हिंदी पर कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 290 अधिकारियों को प्रायोजित/नामांकित किया ।

14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया गया । 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के समूहवार विवरण **सारणी-12** में दिए गए हैं ।

15. औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध सद्भावना और मैत्रीपूर्ण बने रहे । कर्मचारियों में टीम भावना पैदा करने और उन्हें अपनी क्षमता के पूर्ण विकास के लिए उत्साहित करने के प्रयास किए गए ।

16. कर्मचारी कल्याण

16.1 वर्ष के दौरान कर्मचारियों के कल्याण का पूरा ध्यान रखा गया तथा इनके कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए, जिनमें ये शमिल हैं :-

नियमित कर्मचारियों पर लागू योजना "सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा सुविधा संबंधी आरईसी की अंशदायी योजना" के अन्तर्गत शामिल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के इन्डोर इलाज के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों के सम्बन्ध में चिकित्सा व्यय के सीधे भुगतान की सुविधा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी प्रदान की गई ।

निगम मुख्यालय/परियोजना कार्यालयों में कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की इन्डोर डाक्टरी चिकित्सा के लिए निम्नलिखित अस्पतालों को सीधे भुगतान योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल किया गया हैः-

- सीताराम भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
- विवेकानन्द पोली - क्लिनिक, लखनऊ
- दि हार्ट सेन्टर, नई दिल्ली
- एस्कार्टस अस्पताल, फरीदाबाद

16.2 महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

17. कार्मिक

निगम ने पूरे वर्ष और या उसके किसी भी भाग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं किया, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अधीन 24 लाख रुपए प्रतिवर्ष या 2 लाख रुपए प्रतिमाह से अधिक पारिश्रमिक ले रहा हो ।

18. लोक शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने हेतु एक शिकायत निवारण समिति गठित की है। समिति के कार्यक्षेत्र को लोक शिकायतों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों के प्रभागाध्यक्षों द्वारा शिकायतें सुनने के लिए सप्ताह में एक दिन बैठक के दिन के रूप में निर्धारित किया गया है ।

19. सतर्कता

19.1 मुख्य सतर्कता अधिकारी (कार्यकारी निदेशक के रैंक में) की अध्यक्षता में सतर्कता प्रभाग, व्यावसायिकता, संगठनात्मक नीतियों और कार्य संस्कृति का संवर्धन करने के लिए कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा के मूल्य स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है ।

19.2 हालांकि, सतर्कता संगठन छोटा होते हुए भी निगम के कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के लिए एक कारगर प्रबंधकीय अस्त्र रहा है । निगम के किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी सीबीआई मामला नहीं है और इस समय केवल एक शिकायत लंबित है, जो कि सतर्कता प्रभाग की कारगरता का संकेत है ।

19.3 कपटपूर्ण, प्रेरित और कर्त्तव्यों के निष्पादन में लापरवाही के कारण होने वाली हानि को रोकने के प्रयास के तौर पर ग्रामीण विद्युत सहकारिताओं की विशेष आरक्षित निधि की सावधि जमा रसीदों (एफडीआर), जिनकी वैधता अवधि काफी पहले समाप्त हो गई थी, उन्हें पूर्व प्रभाव से पुनः वैध करवाया गया । उधारकर्ताओं की चल परिसंपत्तियों को बंधक रखने की प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई और उन्हें उचित रूप में रखने के लिए अनुदेश जारी किए गए । गुणवत्ता वाले और योजनाबद्ध निर्माण कार्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना कार्यालयों के कार्यालय भवनों के निर्माण स्थलों पर सीटीई-जैसे निरीक्षण किए गए ।

19.4 निवारक सतर्कता पर पूरा जोर दिया गया । सतर्कता निरीक्षणों के दौरान कर्मचारियों को जागरूक किया गया और नियमित वार्तालापों के दौरान उन्हें बताया गया कि नियमों में कार्रवाईयों के पालन में लापरवाही करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है । निगम के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 1.11.2004 से 6.11.2004 तक आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान इस संदेश पर विशेष रूप से जोर दिया गया है ।

19.5 सूचनाओं/आसूचनाओं की सतर्कता आधारित सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल की गई । कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति संबंधी विवरणी की विधिवत जांच की गई, जहां आवश्यक था स्पष्टीकरण मांगे गए और आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश दिए गए । सतर्कता प्रभाग ने कुछ पद्धति संबंधी असफलताओं को देखने के बाद कार्यालय प्रणालियों को व्यवस्थित और मजबूत बनाने के लिए उपाय आरंभ किए । इस प्रकार सतर्कता प्रभाग ने संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक और उपयुक्त भूमिका निभाई है ।

19.6 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्थानीय शाखाओं के साथ गहन विचार-विमर्श के पश्चात् दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय के अलावा आरईसी के सभी 18 परियोजना कार्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में सहमत सूचियों को अंतिम रूप दिया गया है । संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों की सूची बनाई गई है।

19.7 वर्ष के दौरान, 7 वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों को सीबीआई एकाडमी, गाजियाबाद, मारकोस इवांस (इंडिया), आरआईपीए इंटरनेशनल और लोक उद्यम विभाग तथा आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित सतर्कता-संबद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

19.8 सतर्कता प्रभाग के कार्यनिष्पादन की मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी, आरईसी द्वारा की गई लगातार समीक्षाओं के अलावा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, विद्युत मंत्रालय, मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की गई ।

20. हिंदी का प्रगामी प्रयोग

20.1 निगम ने राजभाषा नीति के कारगर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान अपने प्रयास जारी रखे ।

20.2 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम पर लक्ष्यों की प्राप्ति और भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श किया गया । दैनिक सरकारी कामकाज में हिन्दी के सरल और व्यवस्थित क्रियान्वयन और अधिकाधिक प्रयोग के लिए एक कार्य योजना भी बनाई गई और वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गहन प्रयास किए गए । दिनांक 1.9.2004 से 14.9.2004 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसके दौरान हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को हिन्दी साहित्य की पुस्तकें, नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। मुख्यालय के पांच प्रभागों और छह परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण किया गया ताकि नीति संबंधी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके । वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने भी आरईसी के कोलकाता स्थित परियोजना कार्यालय में हिन्दी में किए जा रहे कार्य का निरीक्षण किया ।

20.3 निगम ने दैनिक सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास जारी रखे । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मुख्यालय में तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। मुख्यालय में छह हिन्दी कार्यशाला और परियोजना कार्यालयों में दो हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, ताकि हिन्दी में दैनिक कामकाज करने में कर्मचारियों की हिचक को दूर किया जा सके। इन कार्यशालाओं में 58 अधिकारियों और 72 कर्मचारियों ने सक्रियता से भाग लिया। राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए एनपीटीआई कार्यालय, फरीदाबाद में कई कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित सभी प्रोत्साहन स्कीमें आरईसी में क्रियान्वित की जा रही हैं । हिन्दी में पत्राचार को प्रोत्साहित करने के लिए मानक पत्र और प्रपत्र लेन पर उपलब्ध कराए गए हैं । वर्ष के दौरान हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर पुस्तकालय बजट का लगभग 68 प्रतिशत व्यय किया गया । चंडीगढ़ परियोजना कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चंडीगढ़ द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया ।

21. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

21.1 भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के साथ वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार निगम के कार्यनिष्पादन को 'उत्कृष्ट' की श्रेणी प्रदान की गई है । निगम को वर्ष 1993-94, जब सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, से लगातार 11वें वर्ष 'उत्कृष्ट' की श्रेणी प्रदान की गई है ।

21.2 वर्ष 2004-05 के लिए भी निगम 'उत्कृष्ट' की श्रेणी प्राप्त करने की स्थिति में है । निगम ने सभी कार्यनिष्पादन सूचकों के संबंध में 'उत्कृष्ट' श्रेणी के लिए लक्ष्यों को प्राप्त/पार कर लिया है । निगम ने नई स्वीकृतियों और संवितरण में नए लक्ष्य प्राप्त किए हैं ।

22. निगम सुशासन का अनुपालन

22.1 चूंकि, निगम द्वारा जारी कुछ ऋण प्रतिभूतियों और बांडों को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए निगम निगमित सुशासन से संबंधित सामान्य सूचीकरण करार के लागू खंड 49 का अनुपालन कर रहा है । ऋण प्रतिभूतियों के सूचीकरण के लिए आदर्श सूचीकरण करार लागू करने हेतु सेबी द्वारा दिनांक 1.11.2004 को जारी परिपत्र के बाद निगम को कंपनियों पर यथा लागू आदर्श सूचीकरण करार के खण्डों 1 और 3 का अनुपालन करना अपेक्षित है, जिनके डिबेंचर/बांड केवल निजी तौर पर अनुबंध दिए जाने के आधार पर जारी किए जाते हैं । तदनुसार, निगम ने आदर्श सूचीकरण करार के लागू खण्डों 1 और 3 का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं ।

22.2 आदर्श सूचीकरण करार के खण्ड 3.5 के अनुसार आदर्श सूचीकरण करार के खण्ड 2.18 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं सिफारिश किस्म की हैं और इन्हें जारीकर्ता कंपनी के विवेक के अनुसार क्रियान्वित किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में कंपनी इन्हें अपनाए जाने हेतु, यदि कोई, अपनी वार्षिक रिपोर्ट अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज में प्रकट करने के लिए सहमत है । निगम ने करार के खंड 2.18 को औपचरिक तौर पर न अपनाने का निर्णय किया है, लेकिन फिर भी कंपनी निगमित सुशासन की अपेक्षाओं का पालन करना जारी रखे हुए है और इसके साथ-साथ खण्ड 2.18 में उल्लिखित अतिरिक्त अपेक्षाओं का एक चरणबद्ध तरीके से अनुपालन करने के प्रयास कर रही है । तदनुसार, प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुबंध-1**, निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट **अनुबंध-2** और एक अनुभवी कंपनी सचिव द्वारा निगमित सुशासन पर जारी प्रमाणपत्र **अनुबंध-3** में संलग्न हैं ।

23. निदेशक मंडल

श्री एम.एन. प्रसाद ने 1 अगस्त,2005 के पूर्वाह्न से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपना पदभार त्याग दिया और श्री ए.के. लखीना ने 1 अगस्त, 2005 के अपराह्न से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया । इस समय आरईसी के निदेशक मण्डल में श्री ए.के. लखीना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एच.डी. खुंटेटा निदेशक (वित्त), श्री बाल मुकंद निदेशक (तकनीकी), पूर्णकालिक निदेशक के रूप में और श्री अजय शंकर, श्री अरविन्द जाधव तथा श्री एम. साहू अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में शामिल हैं ।

24. सांविधिक लेखा परीक्षक

24.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स के.बी. चांदना एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट को वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया ।

24.2 सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के खातों की समीक्षा की। लेखा परीक्षकों की 29 अप्रैल, 2005 की रिपोर्ट के साथ उक्त अवधि के लेखा परीक्षित खाते एवं कैश फ्लो (नकदी प्रवाह) विवरण, नॉन-बैंकिग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा निर्धारित अनुबंध **इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं ।**

24.3 लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(3) के अंतर्गत अपेक्षित आरईसी के प्रबंधन वर्ग का पैरावार उत्तर इस रिपोर्ट के अनुबंध के साथ संलग्न है ।

24.4 लेखा परीक्षकों से 29 अप्रैल, 2005 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का शुद्धिपत्र उनके दिनांक 8 अगस्त, 2005 के पत्र के साथ प्राप्त हुआ, जोकि **रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।** उसकी एक प्रति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अग्रेसित कर दी गई है ।

25. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उन पर निगम का उत्तर तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निगम के उक्त खातों की समीक्षा **इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।**

26. आभार

26.1 निगम, भारत सरकार विशेष रूप से विद्युत एवं वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सहयोग और लगातार सहायता के लिए आभारी है ।

26.2 निदेशकगण, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत संगठनों और भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा अन्य उधारकर्ताओं को निगम की वित्तीय सहायता में उनके लगातार और अधिक रूचि दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं ।

26.3 निदेशकगण, आरईसी के पूंजी जुटाने के कार्यक्रम में सम्मानित निदेशकों, बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए अनवरत सहयोग और फिर से विश्वास प्रकट करने की सराहना करते हैं ।

26.4 निदेशकगण, सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स के.बी. चांदना एण्ड कंपनी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं ।

26.5 निदेशकगण, निगम के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी प्रशंसा और सराहना करते हैं, जिनके कारण पिछले वर्ष की तरह इस बार भी उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण कार्यनिष्पादन प्राप्त किया जा सका ।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार लखीना

(ए.के. लखीना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 30 अगस्त, 2005
नई दिल्ली

सारणी-1 : वर्ष 2004-05 के दौरान ''एक लाख गांवों और एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण'' के अधीन आरईसी द्वारा स्वीकृत योजनाएं

मंजूरी

क्र. सं.	राज्य		जोड़ (वर्ष 2004-05 के लिए)		
		परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की अनुमानित लागत (लाख रुपए)	शामिल किए गए अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए गए अविद्युतीकृत आवासों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पश्चिम बंगाल	13	38503	4283	145918
2	बिहार	28	161804	18602	928217
3	उत्तर प्रदेश	62	229141	30802	1258844
4	राजस्थान	8	3110	472	12433
	जोड़	**111**	**432558**	**54159**	**2345412**

सारणी-2 : वर्ष 2004-05 के दौरान विद्युतीकृत गांवों में गरीबी रेखा से नीचे वाले/कुटीर ज्योति आवासों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	राज्य विद्युत संस्था	वर्ष 2004-05 के दौरान स्वीकृत योजनाएं		
			शामिल किए गए जिलों की संख्या	शामिल किए गए गरीबी रेखा से नीचे वाले आवासों की संख्या	अनुदान राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	एपट्रांस्को	22	100000	1500
2	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग	14	25000	450
3	असम	एएसईबी	26	20000	360
4	बिहार	बीएसईबी	38	25800	387
5	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	16	80000	1200
6	गुजरात	जीईबी	25	3000	45
7	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	7	5000	75
8	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	11	1000	18
9	झारखंड	जेएसईबी	13	16000	240
10	कर्नाटक	केपीटीसीएल	-	-	-
11	केरल	केएसईबी	14	100000	1500
12	मध्य प्रदेश	एमपीएसईबी	45	22634	339.51
13	महाराष्ट्र	एमएसईबी	33	8000	120
14	मिजोरम	विद्युत विभाग	8	3500	63
15	नगालैंड	विद्युत विभाग	11	3000	54
16	पंजाब	पीएसईबी	17	20000	300
17	राजस्थान	(i) जयपुर वीवीएनएल	12	15000	225
	राजस्थान	(ii) जोधपुर वीवीएनएल	11	15000	225
	राजस्थान	(iii) अजमेर वीवीएनएल	10	15000	225
18	तमिलनाडु	टीएनईबी	-	-	-
19	त्रिपुरा	विद्युत विभाग	4	12000	216
20	उत्तर प्रदेश	यूपीपीसीएल	-	-	-
21	उत्तरांचल	यूपीसीएल	13	40000	720
		जोड़	**350**	**529934**	**8262.51**

सारणी-3 : वर्ष 2004-05 के दौरान ''एक लाख गांवों और एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण'' कार्यक्रम के अधीन आरईसी द्वारा संवितरण

31.3.2005 के अनुसार

क्र. सं.	राज्य	आरईसी द्वारा संवितरण						
		परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की अनुमानित लागत	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या	विद्युतीकृत किए जाने वाले ग्रामीण आवासों की संख्या	कुल संवितरित राशि	ऋण राशि	कुल पूंजीगत आर्थिक सहायता
			(लाख रुपए)			(लाख रुपए)	(लाख रुपए)	(लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पश्चिम बंगाल	12	38473.75	4280	145803	11449	6869	4580
2.	बिहार	13	66746.59	7604	316251	20024	12014	8010
3.	उत्तर प्रदेश	61	213320.75	28862	1154241	63996	38398	25598
4.	राजस्थान	8	3109.76	472	12433	933	560	373
	जोड़	**94**	**321650.85**	**41218**	**1628728**	**96402**	**57841**	**38561**
	विद्युतीकृत गांवों में गरीबी रेखा से नीचे वाले आवासों/ कुटीर ज्योति कनेक्शन जारी करने के लिए प्रदत्त अनुदान का संवितरण					**5875**		**5875**
	कुल संवितरण					**102277**	**57841**	**44436**

सारणी-4 : आरईसी की वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 2004-05 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

क्र सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि (लाख रुपए)	शामिल			
				पंपसेट	दलित बस्तियां	गांव	आवास
1	2	3	4	5	6	7	8
	पारेषण एवं संवितरण परियोजनाएं						
1	आंध्र प्रदेश	256	68762	41070	5936*	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	798	—	—	—	—
3.	गुजरात	9	5387	490	—	—	—
4.	हरियाणा	17	15562	—	—	—	—
5.	हिमाचल प्रदेश	4	614	—	—	—	—
6.	कर्नाटक	183	28022	—	12554	—	—
7.	केरल	109	25671	586**	408	—	—
8.	मध्य प्रदेश	24	17809	—	—	—	—
9.	महाराष्ट्र	186	47450	45386	—	—	—
10.	नगालेंड	9	1530	—	—	—	—
11.	पंजाब	61	34156	15850	—	—	—
12.	राजस्थान	87	13865	4860	—	—	—
13.	तमिलनाडु	78	42962	11950	—	—	—
14.	उत्तर प्रदेश	7	7931	—	—	—	—
15.	डीवीसी	1	48726	—	—	—	—
	उप जोड़	**1045**	**359245**	**120192**	**18898**	**—**	**—**
	उत्पादन परियोजनाएं						
1.	राज्य क्षेत्र	12	500284	—	—	—	—
2.	निजी क्षेत्र	5	58353	—	—	—	—
	उप जोड़	**17**	**558637**	—	—	**—**	**—**
	ऋण पुनर्वित्तपोषण						
1.	हरियाणा	—	12725	—	—	—	—
2.	मध्य प्रदेश	—	33689	—	—	—	—
	उप जोड़	—	**46414**	—	—	**—**	**—**
	लघु अवधि ऋण						
1.	आंध्र प्रदेश	—	10000	—	—	—	—
2.	बिहार	—	5000	—	—	—	—
3.	गुजरात	—	70000	—	—	—	—
4.	हिमाचल प्रदेश	—	10000	—	—	—	—
5.	कर्नाटक	—	10000	—	—	—	—
6.	महाराष्ट्र	—	15000	—	—	—	—
7.	उड़ीसा	—	30000	—	—	—	—
8.	राजस्थान	—	15000	—	—	—	—
9.	उत्तर प्रदेश	—	60000	—	—	—	—
10.	सीसीआई-निजी पार्टी	—	1519	—	—	—	—
	उप जोड़	—	**226519**	—	—	**—**	**—**
	एआरईपी परियोजनाएं ***						
1.	बिहार	28	161803	—	—	18602	928217
2.	राजस्थान	8	3110	—	—	472	12433
3.	उत्तर प्रदेश	62	229141	—	—	30802	1258844
4.	पश्चिम बंगाल	13	38504	—	—	4283	145918
	उप जोड़	111	432558	—	—	54159	2345412
	बीपीएल परियोजनाएं****	**350**	**8263**	—	—	—	529934
	कुल जोड़	**1523**	**1631636**	**120192**	**18898**	**54159**	**2875346**

* कमजोर वर्ग की कालोनियां/द.ब.-130 संख्या, पीःआईई श्रेणी के अंतर्गत
** पीःआईई श्रेणी के अंतर्गत
*** एआरईपी परियोजना के अधीन स्वीकृत परियोजना परिव्यय में पूंजीगत आर्थिक-सहायता और ऋण शामिल हैं।
**** गरीबी रेखा से नीचे के अधीन स्वीकृत परियोजना परिव्यय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान है।

सारणी-5 : आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 2004-05 के दौरान श्रेणीवार स्वीकृत परियोजनाएं

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि (लाख रुपए)	शामिल			
					पंपसेट	दलित बस्तियां	गांव	आवास
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पारेषण एवं संवितरण परियोजनाएं							
1.	परियोजना : गहन विद्युतीकरण पीःआईई	पीःआईई	125	26800.2	586	130*	—	—
2.	विशेष परियोजना कृषि : पंपसेट ऊर्जायन	एसपीएःपीई	258	38025	119606	—	—	—
3.	परियोजना : तंत्र सुधार	पीः एसआई संवितरण	252	71393	—	—	—	—
4.	परियोजना : तंत्र सुधार	पीःएसआई पारेषण	59	134336	—	—	—	—
5.	परियोजना : दलित बस्ती	पीडीबी	252	30877	—	18768	—	—
6.	एपीडीआरपी	एपीडीआरपी	61	21011	—	—	—	—
7.	तंत्र सुधार : मीटर	एस.आई : मीटर	18	10033	—	—	—	—
8.	तंत्र सुधार : ट्रांसफार्मर	एसआईःट्रांसफार्मर	20	26770	—	—	—	—
	उप जोड़		**1045**	**359245**	**120192**	**18898**	—	—
9.	परियोजनाः विद्युत उत्पादन	पीःउत्पादन	17	558637	—	—	—	—
10.	ऋण पुनर्वित्तपोषण			46414	—	—	—	—
11.	लघु अवधि ऋण	एसटीएल		226519	—	—	—	—
12.	एआरईपी परियोजनाएं (बीपीएल सहित)**		461	440821	—	—	54159	2875346
	कुल जोड़		**1523**	**1631636**	**120192**	**18898**	**54159**	**2875346**

* कमजोर वर्ग की कालोनियां/द.ब.-130 संख्या

** एआरईपी परियोजना के अधीन स्वीकृत परियोजना परिव्यय में पूंजीगत आर्थिक-सहायता और ऋण शामिल हैं । गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना परिव्यय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त एक अनुदान है।

सारणी-6 : वर्ष 2004-05 के दौरान राज्यवार एवं कार्यक्रमवार संवितरण एवं कर्जदारों द्वारा अदायगी और 31.3.2005 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	उधारकर्ताओं के नाम	कार्यक्रमवार संवितरण: पी:आईई/ ओए	पी:वीई/ ओबी	पी:एचई	डीबी/ एचबी	एसपीए/ बीपी ओपी	सीईएन/ एसआई	एसआई (ई एचवी)	एसआई (एम)	एसआई (टी)	एसआई (कोन./ (री.)	एस आई (केप)	एसआई (वीसीबी/ सीबी)	एसआई (लाइनें)	उत्पादन: एसपीडी जीएस	उत्पादन: ब्रिज लोन	पी:आर एच एचई	अग्रिम: टीएनईबी	जेबी आईसी (ओईसी एफ)	एसटी एल/ ऋण पुनर्वित्त	वर्ष के कुल संवितरण (3से21)	वर्ष के अंत तक संवितरण	अदायगी: वर्ष के दौरान	अदायगी: वर्ष के अन्त तक	वर्ष के अन्त तक बकाया 31 मार्च 05 (23-25)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	आंध्र प्रदेश	0	1571	3122	11660	8903	42411	0	1048	9425	2122	0	47	5568	2891	0	0	0	0	5000	93768	718898	109096	320065	398833
2	अरुणाचल प्रदेश	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	378	15852	966	5106	10746
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26477	0	4645	21832
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12014	0	0	6519	18533	40084	1254	10031	30053
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42599	0	0	0	0	0	42599	75479	0	32817	42662
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1479	181	1144	335
7	गुजरात	0	0	0	0	756	8067	0	1235	651	0	0	0	0	1419	0	0	0	0	70000	82128	391716	33266	258112	133604
8	हरियाणा	529	0	0	0	211	2519	7251	0	998	0	160	0	1583	0	0	0	0	0	11966	25217	142652	19584	87035	55617
9	हिमाचल प्रदेश	1074	0	0	0	0	401	0	0	14	0	0	0	0	550	0	0	0	0	10000	12039	102389	3217	33483	68906
10	जम्मू एवं कश्मीर	428	115	0	0	21	2649	0	0	0	0	0	0	0	670	18000	0	0	0	0	21883	58124	5621	23378	34746
11	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15334	12537	15334	0
12	कर्नाटक	2574	0	0	0	0	19854	0	0	0	0	0	0	0	197	0	0	0	0	1500	24125	278863	31886	192545	86318
13	केरल	6401	0	0	0	734	10911	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18371	317559	45776	213575	103984
14	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33400	33400	190642	91311	120962	69680
15	महाराष्ट्र	817	0	0	0	6403	14038	0	5004	3534	3652	0	0	356	0	0	0	0	1155	15000	49959	475536	46711	306106	169430
16	मणिपुर	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	15241	208	2425	12816
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5832	0	0	0	0	0	5832	24839	75	11977	12862
18	मिज़ोरम	0	0	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2750	0	0	0	0	0	3408	13302	660	2324	10978
19	नगालैंड	306	0	0	0	0	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1303	8864	529	3995	4869
20	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	30000	30140	91603	6114	35730	55873
21	पंजाब	5278	0	0	0	51	9154	0	1355	1086	2129	344	25	3394	30374	0	0	0	0	0	53190	348691	9475	234494	114197
22	राजस्थान	2274	0	0	0	5270	9946	0	523	971	0	0	0	0	0	0	560	0	0	5000	24544	428128	37131	276167	151961
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3442	175	2127	1315
24	तमिलनाडु	7702	0	0	0	3884	31696	0	0	0	0	0	0	525	4800	0	0	15000	0	0	63607	276553	11800	99324	177229
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11055	701	5021	6034
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4621	0	0	0	0	0	38398	0	0	60000	103019	247586	19	37882	209704
27	उत्तरांचल	0	4836	1574	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	1120	0	0	0	0	0	8185	35938	0	1581	34357
28	पश्चिम बंगाल	0	1758	8565	3702	0	885	0	0	0	0	0	0	0	6559	0	6869	0	0	0	28338	95696	31	11274	84422
29	विंड ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3013	0	158	2855
	कुल	27735	8280	13261	16020	26233	153528	7906	9165	17004	12524	504	72	11426	100034	18000	57841	15000	1155	248385	744073	4455035	468324	2348817	2106218
	कुटीर ज्योति / बीपीएल अनुदान एवं एआरईपी सब्सिडि																				44436				
	कुल जोड																				788509	4455035	468324	2348817	2106218

संबंधित राज्यों में जोड़े गए ग्रा.वि.स.स./ह.ब./एसडीआर संवितरण

सारणी-7 : आरईसी परियोजनाओं के अधीन 31.3.2005 तक गत 35 वर्षों के दौरान राज्यवार संचयी मंजूरी

(लाख रुपए)

क्र. स.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर ऋण
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	5677	1168839
2	अरुणाचल प्रदेश	209	117576
3	असम	419	33344
4	बिहार	1730	222462
5	छत्तीसगढ़	18	272800
6	दिल्ली	8	48140
7	गोवा	16	2007
8	गुजरात	1878	557797
9	हरियाणा	1308	209042
10	हिमाचल प्रदेश	453	139955
11	जम्मू एवं कश्मीर	527	142684
12	झारखंड	13	240
13	कर्नाटक	2751	517589
14	केरल	1737	424565
15	मध्य प्रदेश	5181	348013
16	महाराष्ट्र	5206	662840
17	मणिपुर	146	20696
18	मेघालय	106	44751
19	मिजोरम	60	13337
20	नगालैंड	92	10509
21	उड़ीसा	1638	152881
22	पंजाब	1461	626451
23	राजस्थान	3347	554423
24	सिक्किम	36	2910
25	तमिलनाडु	3394	399817
26	त्रिपुरा	177	50148
27	उत्तर प्रदेश	3106	570507
28	उत्तरांचल	63	36044
29	पश्चिम बंगाल	1450	444068
30	डीवीसी	1	48726
31	उत्पादन-निजी पार्टी	11	122543
32	सीसीआई-निजी पार्टी	-	1519
33	नीपको	-	10000
	कुल जोड़	**42219**	**7977223**

सारणी-8 : 31.3.2005 को भुगतान में चूक करने वाले उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि का विवरण

(करोड़ रुपए)

	एएसईबी	बीएसईबी	जेएसईबी	एमपीएसईबी	अन्य**	जोड़
1.4.2004 को अतिदेय राशि	343.68	256.65	225.58	2276.10	217.41	3319.42
वर्ष के दौरान देय राशि (एनपीए पर ब्याज सहित, लेखा बहियों में लेखाबद्ध नहीं किया गया)	71.23	27.96	0.00	0.00	5217.69	5316.88
अन्य समायोजन (जेएसईबी और एमपीएसईबी की देयता पुनः अनुसूची)	0.00	0.00*	-55.58	-861.30	0.00	-916.88
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	0.00	30.29	170.00	1414.80	5201.55	6816.64
31.03.2005 को अतिदेय राशि	414.91	254.32	0.00	0.00	233.55	902.78

* बीएसईबी के मामले में 254.32 करोड़ रुपए की अतिदेय राशि को पुनः निर्धारित समय-सारणी के अनुसार समायोजित नहीं किया गया है, क्योंकि बीएसईबी और आरईसी के बीच अभी समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए जाने हैं ।

** कुछ दिनों से देरी के कारण भुगतान करने वाले राज्यों की वर्ष के अंत में अस्थायी एवं सहकारी समितियों, निजी उधारकर्ताओं आदि की अतिदेय राशि को दर्शाता है ।

सारणी-9 : 2004-05 के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत विद्युतीकृत गांव एवं 31.3.2005 तक की संचयी स्थिति

क्र. सं.	राज्य	2004-05 के दौरान उपलब्धि	31.03.2005 तक संचयी उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	—	14907
2	अरुणाचल प्रदेश	—	1316
3	असम	—	16363
4	बिहार	—	32490
5	गुजरात	—	7712
6	हरियाणा	—	90
7	हिमाचल प्रदेश	—	11143
8	जम्मू एवं कश्मीर	2	4416
9	कर्नाटक	—	8907
10	केरल	—	151
11	मध्य प्रदेश	—	54411
12	महाराष्ट्र	—	13322
13	मणिपुर	—	1720
14	मेघालय	—	2321
15	मिजोरम	—	531
16	नगालैंड	—	793
17	उड़ीसा	—	26648
18	पंजाब	—	3908
19	राजस्थान	—	26477
20	सिक्किम	—	277
21	तमिलनाडु	—	807
22	त्रिपुरा	—	3223
23	उत्तर प्रदेश	—	49881
24	उत्तरांचल	458	458
25	पश्चिम बांगाल	305	23557
	जोड़	**765**	**305829**

सारणी-10 : आरईसी द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम के अंतर्गत 2004-05 के दौरान दलित बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए मंजूर परियोजनाएं और 31.3.2005 तक की संचयी स्थिति

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या		मंजूर ऋण (लाख रुपए)		विद्युतीकृत दलित बस्तियां	
		2004-05 के दौरान	31.3.2005 तक	2004-05 के दौरान	31.3.2005 तक	2004-05 के दौरान	31.3.2005 तक
1	आंध्र प्रदेश	96	709	8154	31198	4766	35338
2	बिहार	—	204	—	1959	—	21554
3	गुजरात	—	22	—	52	—	2063
4	हरियाणा	—	43	—	431	—	5967
5	हिमाचल प्रदेश	—	1	—	9	—	81
6	जम्मू एवं कश्मीर	—	46	—	488	—	994
7	कर्नाटक	142	426	21676	43403	—	9110
8	केरल	14	84	1046	1520	—	3113
9	मध्य प्रदेश	—	264	—	2920	—	19655
10	महाराष्ट्र	—	34	—	365	—	7503
11	उड़ीसा	—	179	—	1303	—	6219
12	पंजाब	—	6	—	46	—	467
13	राजस्थान	—	424	—	791	—	15393
14	तमिलनाडु	—	3	—	18	—	457
15	उत्तर प्रदेश	—	4	—	28	—	46576
16	पश्चिम बंगाल	—	79	—	13852	1795	2825
	जोड़	**252**	**2528**	**30876**	**98383**	**6561**	**177315**

सारणी-11 : आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत 2004-05 के दौरान ऊर्जायित पंपसेट और 31.3.2005 तक की संचयी स्थिति

क्र. सं.	राज्य	2004-05 के दौरान उपलब्धि	31.03.2005 तक संचयी उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	64600	1446505
2	असम	—	1922
3	बिहार	—	113354
4	गुजरात	1403	415789
5	हरियाणा	1346	223257
6	हिमाचल प्रदेश	411	5474
7	जम्मू एवं कश्मीर	209	7805
8	कर्नाटक	213	862387
9	केरल	14168	316777
10	मध्य प्रदेश	—	1054106
11	महाराष्ट्र	42945	1556010
12	मणिपुर	—	29
13	मेघालय	—	58
14	नगालैंड	—	164
15	उड़ीसा	—	63015
16	पंजाब	8614	469065
17	राजस्थान	9960	470790
18	तमिलनाडु	31903	913471
19	त्रिपुरा	—	1530
20	उत्तर प्रदेश	—	379544
21	पश्चिम बंगाल	—	82202
	जोड़	**175772**	**8383254**

सारणी-12 : 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का समूहवार विवरण

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ए	174 (162)	14 (15)	4 (4)
बी	199 (202)	22 (24)	8 (8)
सी	184 (182)	33 (32)	1 (1)
डी	112 (120)	35 (37)	5 (6)
कुल जोड़:	**669 (666)**	**104 (108)**	**18 (19)**

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष की तदनुरूप स्थिति दर्शाते हैं।)

अनुबंध-I

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

(स्टॉक एक्सचेंज के साथ आदर्श सूचीकरण करार के खण्ड 2.18 के अनुसरण में)

(क) उद्योग ढांचा एवं विकास

ग्रामीण विद्युतीकरण ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों में बिजली को निवेश का रूप प्रदान करके रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा आर्थिक विकास में तेजी लाना है एवं ग्रामीण मकानों, दुकानों, सामुदायिक केंद्रों तथा सभी गांवों के सार्वजनिक स्थानों को बिजली प्रदान करके ग्रामीण लोगों के रहन-सहन की गुणवत्ता में सुधार करना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत संगठनों द्वारा अपने संबंधित राज्य की योजनाओं में अनुमोदित तथा प्रदान की गई योजना निधियों से बनाए जाते हैं । विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए पारस्परिक प्राथमिकताएं और उनकी सम्पूर्ण मात्रा का निर्धारण करने का निर्णय भी राज्य सरकारों/राज्य विद्युत संगठनों द्वारा किया जाता है, जो राज्यों में राज्य सरकारों की नीतियों एवं निदेशों के अनुसार वितरण प्रणाली अपने आप चलाते हैं तथा उनका प्रचालन करते हैं । केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार देश के 5.87 लाख आबादी वाले गांवों में से 4.99 लाख गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं । इसी प्रकार, 196 लाख गांव विद्युत सिंचाई पंपसेटों के लिए कुल अनुमानित संभाव्यता में से मार्च, 2005 तक 144 लाख पंपसेट ऊर्जायित किए जा चुके हैं । ऐसे कार्यों के लिए निवेश का वित्तपोषण या तो संबंधित सगठनों के अपने संसाधनों से या उधार ली गई निधियों के जरिए किया जाता है ।

विशेषकर बिहार एवं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, उड़ीसा, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ी संख्या में शेष बचे अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण पर जोर देने के लिए सरकार ने एक नई योजना "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" आरम्भ की है । इस योजना से राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के पांच वर्ष में सभी आवासों को बिजली उपलब्ध कराने और ग्रामीण विद्युत आधारभूत ढ़ांचे में सुधार करने के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

यह योजना माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में औपचारिक तौर पर आरम्भ की गई । राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यथा आन्ध्रप्रदेश असम, बिहार, झारखण्ड, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा लक्षद्वीप ने वीडियो - कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया ।

इस योजना में "एक लाख गांवों और एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण" और ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) नामक विद्यमान योजना मिला दी गई है और इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण आवासों को बिजली पहुंचाना है । इस योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) परियोजना की समग्र लागत के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक - सहायता प्रदान की जाएगी ।

(ii) इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित के माध्यम से आवश्यक आधारभूत ढांचा स्थापित किया जाएगा :-

(क) ग्रामीण बिजली संवितरण आधार (आरईडीबी) : प्रत्येक खण्ड में पर्याप्त क्षमता के कम से कम एक 33/11 केवी (अथवा 66/11 केवी) के उपकेन्द्र का प्रावधान ।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण आधारभूत ढांचा (वीईआई): प्रत्येक आवास स्थान में संवितरण ट्रांसफार्मर के साथ प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण ।

(ग) विकेंद्रीकृत संवितरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति (डीडीजीएंडएस) : जिन गांवों में ग्रिड संयोजन व्यवहार्य अथवा सस्ता नहीं है, उनमें डीडीजी प्रणाली स्थापित करना ।

(iii) गरीबी रेखा के नीचे वाले (बीपीएल) आवासों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना ।

(iv) बिजली आपूर्ति के राजस्व समर्थन को सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित करना, जोकि गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), प्रयोक्ता संगठन, पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से सहकारिताएं अथवा व्यक्तिगत उद्यमी हो सकते हैं।

(v) ग्रामीण और शहरी आवासों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई भेदभाव नहीं ।

(vi) जो राज्य केंद्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसयू) की सेवाएं प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उनकी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ।

(ख) अवसर, खतरे, जोखिम एवं चिंताएं

राज्य बिजली बोर्डों को अपने विद्युत क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए निधियों की सख्त जरूरत है तथा निगम के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरह के ऋण वर्ग उपलब्ध हैं । भारत सरकार के त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अधीन वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना की 50 प्रतिशत लागत परस्पर वित्तपोषण के रूप मे दी जाती है, जो निगम को उनकी उप-पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को धनराशि उपलब्ध कराने की विपुल संभावनाएं प्रदान करता है ।

संसद द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रित, वितरण उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण के कार्यक्षेत्र को सहकारी समितियों, स्थानीय निकायों और निजी उद्यमियों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र तथा वाणिज्यिक बैंकों आदि को सम्मिलित करके बढ़ाए जाने की संभावना है। तद्नुसार, निगम व्यवहार्य प्रस्तावों के संबंध में ऐसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपने आपको तैयार कर रहा है। "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम" को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए आरईसी और एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी, डीवीसी के बीच समझौता ज्ञापनों पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं ।

मुद्रा बाजार में धन की तरलता में हुई वृद्धि तथा उधार लेने की कम प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप अन्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिक रियायती दरों पर धन उधार देने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है । राज्य बिजली बोर्डों द्वारा सुधार कार्य किए जाने के बावजूद बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि पर्याप्त प्रतिफल न मिलने के कारण राज्य बिजली बोर्डों को ऋण लेने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता।

निगम ने अपनी गतिविधियों में विस्तार लाने के भी उपाय किए हैं और कारोबार विकास के लिए अलग से यूनिट की स्थापना की है, ताकि वाणिज्यिक क्षेत्रों के अलावा वित्तपोषण के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाया जा सके । विश्व बैंक, जेबीआईसी, यूएसएआईडी इत्यादि से अंतर्राष्ट्रीय उधार लेकर संसाधन जुटाने के भी उपाय किए गए हैं ।

(ग) खण्डवार या उत्पादवार कार्यनिष्पादन

निगम एक वित्तीय संस्थान के रूप में राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत संगठनों/राज्य विद्युत विभागों को वित्तीय सहायता देने के लिए उनके द्वारा प्रायोजित ग्राम विद्युतीकरण के विभिन्न घटकों समेत कीमतों के लिए ब्याज पर ऋण प्रदान करके संसाधनों में योगदान करता है । आरईसी ने कई ऋण वर्ग पहले ही शुरू कर लिए हैं तथा ऋण लेने वाले विद्युत संगठनों की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल वह उनमें लगातार संशोधन, नवीकरण और विस्तार भी करता रहता है ।

वर्ष के दौरान निगम ने 16,316 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की एवं 7,885 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की। आरईसी के प्रचालन क्षेत्रों का विस्तार करते हुए पिछले वर्ष सरकार द्वारा किए गए जनादेश के अनुरूप विद्युत क्षेत्र की सभी परियोजनाओं, पारेषण और उत्पादन परियोजनाओं को मिलाकर, का वित्तपोषण शामिल है, चाहे उनकी जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और उत्पादन परियोजनाओं का आकार कुछ भी हो । आरईसी की स्वीकृतियों का मुख्य घटक उत्पादन स्कीमों के लिए था, जिसमें 5,586 करोड़ रुपए शामिल थे। इसके अलावा, एआरईपी के अंतर्गत 4,326 करोड़ रुपए, कुटीर ज्योति/गरीबी रेखा से नीचे वाले आवासों के लिए 83 करोड़ रुपए, पारेषण एवं संवितरण के अंतर्गत 3,592 करोड़ रुपए और अल्पावधि ऋण के अंतर्गत 2,265 करोड़ रुपए तथा ऋण पुनर्वित्तपोषण के अंतर्गत 464 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए । संवितरण में विद्युत उत्पादन के लिए 1,180 करोड़ रुपए, एआरईपी के अधीन 964 करोड़ रुपए और इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे वाले/कुटीर ज्योति आवासों के लिए 59 करोड़ रुपए, पारेषण एवं संवितरण स्कीमों के लिए 3,198 करोड़ रुपए तथा अल्पावधि ऋण हेतु 2,030 करोड़ रुपए एवं ऋण पुनर्वित्तपोषण के अन्तर्गत 454 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

(घ) दृष्टिकोण

सुधार लागू करने वाले संगठनों की निवेश आवश्यकताओं के सरलीकरण द्वारा सुधार प्रक्रिया में तेजी लाकर हाल ही में भारत सरकार ने आरईसी के प्रचालन क्षेत्रों को बढ़ाया है एवं संसद द्वारा बिजली विधेयक के अधिनियमन तथा भारत सरकार द्वारा "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" नामक जारी नए कार्यक्रम के अधीन पांच वर्ष में सभी आवासों का ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने से विद्युत उत्पादन और यूटिलिटियों की पारेषण क्षमताओं की बढ़ी हुई योजनाओं के कारण आगामी वर्षों में राज्य बिजली बोर्डों/संगठनों/राज्य विद्युत विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान करके निगम को अपना व्यवसाय बढ़ाने की काफी संभावनाएं बढ़ जाएंगी ।

ङ) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनका औचित्य

निगम में एक अलग आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग है, जोकि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है और परिशुद्धता तथा दक्षता प्राप्त करने, भुगतान और व्यय की जांच पड़ताल करने, गलतियों का पता लगाने उन्हें रोकने और निगम के वित्तीय, तकनीकी एवं सांख्यिकी और अन्य रिकार्डों की जांच करने के लिए उत्तरदायी है।

देश के विभिन्न भागों में स्थित परियोजना कार्यालयों और निगम मुख्यालय में निगम के विभिन्न प्रभागों की वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा की जाती है, जिससे प्रचालनात्मक दक्षता प्राप्त करने और नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में सहायता मिलती है ।

आंतरिक लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण जांचों को निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को सूचनार्थ और लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है । इससे कार्य की दक्षता में और सुधार आता है तथा निगम का कानून लागू होता है । लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई सूचित करने के लिए समय-समय पर समीक्षाएं भी की जाती हैं ।

च) प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर परिचर्चा

निगम अपनी लाभकारिता में भारी वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम रहा है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2004-05 के दौरान कर एवं मूल्यह्रास

के पश्चात निवल लाभ में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात यह वर्ष 2003-04 के दौरान 612.39 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 800.75 करोड़ रुपए हो गया है । वर्ष 2004-05 के दौरान स्वीकृत ऋण वर्ष 2003-04 के दौरान 15,978 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 16,316 करोड़ रुपए हो गया है । वर्ष 2004-05 के दौरान संवितरण वर्ष 2003-04 के दौरान 6,017 करोड़ रुपए की तुलना में काफी बढ़कर 7,885 करोड़ रुपए हो गया । इसी प्रकार, वर्ष 2004-05 के दौरान वसूलियां भी वर्ष 2003-04 के दौरान 5,003 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 6,817 करोड़ रुपए हो गई ।

छ) नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं

(1) निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए अपनी प्रथम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जनवरी, 2003 में लागू की थी । कुल 221 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प दिया और निगम ने 211 कर्मचारियों के विकल्प को स्वीकार कर लिया था। निगम ने 211 पदों का परित्याग कर दिया ।

(2) निगम ने अपनी अधिशेष मानव शक्ति में और कमी लाने के लिए जून, 2004 के दौरान अपनी दूसरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की थी । अपनी दूसरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के दौरान निगम के 6 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को अपनाया था ।

(3) वित्तीय वर्ष 2004-05 की समाप्ति अर्थात 31.3.2005 के अनुसार निगम की कुल मानव शक्ति 669 थी, जिसमें 260 कार्यपालक और 409 गैर-कार्यपालक व्यक्ति शामिल थे ।

(4) राजभाषा के प्रयोग सहित विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए निगम के 290 कर्मचारियों को भेजा गया । इस संख्या में वे कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं, जो विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गए थे।

अनुबंध-II

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

आरईसी की पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार या भारत सरकार के प्रतिनिधि के पास होने के कारण यह एक सरकारी कंपनी है । स्टॉक एक्सचेंज में इसके कुछ ऋण पत्रों की श्रृंखलाओं के सूचीबद्ध होने के कारण यह सूचीबद्ध कंपनी है। आदर्श सूचीकरण करार के अनुसार निगमित सुशासन से संबंधित करार का खण्ड 2.18 कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। तथापि, निदेशक मण्डल ने निर्णय किया है कि आरईसी फिर भी निगमित सुशासन संबंधी अपेक्षाओं का पालन करना जारी रखेगी और अतिरिक्त अपेक्षाओं का चरणबद्ध तरीके से पालन करने का प्रयास करेगी। तदनुसार खण्ड 2.18 में किए गए प्रावधान के अनुसार निगमित सुशासन के कुछ पहलुओं का नीचे उल्लेख किया गया है :-

1. सुशासन संहिता पर निगम की विचारधारा

आरईसी अपने सभी शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा, प्रोन्नत एवं संरक्षण करने तथा उपर्युक्त पारदर्शी प्रणाली द्वारा समर्थित अच्छे निगमित सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है ।

आरईसी देशभर में बिजली उत्पादन, संरक्षण, पारेषण और वितरण संबंधी परियोजनाओं को प्रोन्नत करने तथा वित्तपोषित करने के लिए ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखने वाले प्रतिस्पर्धात्मक एवं विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

आरईसी ग्रामीण और अर्धशहरी जनता के रहन-सहन को समृद्ध बनाने एवं उनके विकास में तेजी लाने के लिए बिजली पहुंचाने में मदद करने हेतु भी प्रतिबद्ध है ।

2. निदेशक मण्डल

आरईसी की संस्था अंतर्नियमावली में न्यूनतम 3 एवं अधिकतम 15 निदेशकों का प्रावधान है ।

आरईसी के निदेशक मण्डल की वर्तमान संख्या 6 है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

कार्यकारी निदेशक

ए. के. लखीना	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एच. डी. खुंटेटा	-	निदेशक (वित्त)
श्री बाल मुकन्द-		निदेशक (तकनीकी)

गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री अजय शंकर	-	अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय
श्री अरविंद जाधव	-	संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय
श्री एम. साहू	-	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान इस समय आरईसी पर लागू नहीं होते, क्योंकि आरईसी के ऋण प्रतिभूतियां/बांड सार्वजनिक अथवा राइट इश्यू के माध्यम से जारी नहीं किए जाते और ये केवल प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर जारी किए जाते हैं । तथापि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित अनुमोदन के अनुसार आरईसी को मिनीरत्न, श्रेणी - 1 का दर्जा प्रदान कर दिया गया है । इसलिए, आरईसी को कम से कम तीन गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके अपने निदेशक मण्डल का पुनर्गठन करना है, ताकि यह लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित के अनुसार मिनी रत्न सरकारी उद्यमों के लिए लागू प्राधिकार के बढ़े हुए प्रत्यायोजन का प्रयोग करने के लिए पात्र हो सके ।

किसी भी सरकारी कंपनी पर प्रयोज्य छूट के साथ गठित आरईसी के संस्था - अन्तर्नियमों की शर्तों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित संख्या में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मण्डल की बैठकें और निदेशकों की उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान निदेशक मण्डल की 22.04.2004, 30.04.2004, 10.07.2004, 30.07.2004, 26.08.2004, 16.09.2004, 26.10.2004, 24.12.2004, 21.02.2005 एवं 28.03.2005 तक दस बैठकें हुई अन्तिम वार्षिक महासभा 16.09.2004 को आयोजित हुई ।

निदेशक मंडल की उपर्युक्त बैठकों और वार्षिक साधारण बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

निदेशकों के नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें वे उपस्थित थे	वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अभ्युक्ति
सर्वश्री				
1. अरविंद जाधव, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10	10	हां	23.5.2002 से निदेशक 23.2.2004 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त और 3.6.2004 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से मुक्त।
2. एम. एन. प्रसाद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	8	8	हां	4.06.2004 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त
3. एच. डी. खुंटेटा निदेशक (वित्त)	8	8	हां	5.5.2004 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त
4. बाल मुकन्द निदेशक (तकनीकी)	8	8	हां	24.5.2004 से निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त
5 अजय शंकर निदेशक	10	10	हां	_
6. एम. साहू निदेशक	10	8	नहीं	_

दिनांक 31.3.2005 को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के प्रत्येक निदेशक द्वारा अन्य बोर्डों अथवा बोर्ड समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता के बारे में विवरण निम्नलिखित है :-

निदेशक का नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद की संख्या	अन्य कंपनी के बोर्डों की समितियों में सदस्यता की संख्या	अन्य कंपनी के बोर्डों की समितियों में अध्यक्षता की संख्या
श्री एम.एन. प्रसाद	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	-	-
श्री एच. डी. खुंटेटा	कार्यकारी निदेशक	-	-	-
श्री बाल मुकंद	कार्यकारी निदेशक	-	-	-
श्री अजय शंकर	सरकार द्वारा नामित	2	1	-
श्री अरविंद जाधव	सरकार द्वारा नामित	5	2	-
श्री एम. साहू	सरकार द्वारा नामित	4	2	1

निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	नाम		वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ
1.	श्री एम. एन. प्रसाद	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	560733	23014
2.	श्री एच. डी. खुंटेटा	- निदेशक (वित्त)	500034	261411
3.	श्री बाल मुकंद	- निदेशक (तकनीकी)	496724	250585

निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति में 31.3.2005 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः-

1. श्री अजय शंकर - अध्यक्ष, गैर-कार्यपालक
2. श्री अरविंद जाधव - निदेशक, गैर-कार्यपालक
3. श्री एम. साहू - अध्यक्ष, गैर-कार्यपालक

समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व सूचीकरण करार और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए में दिए गए हैं।

वर्ष 2004-05 के दौरान दिनांक 30.4.2004, 26.10.2004 और 25.1. 2005 को समिति की तीन बैठकें आयोजित हुई। लेखा परीक्षा समिति की सभी तीन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति पूरी थी, केवल 25.1.2005 को आयोजित बैठक में एक सदस्य अनुपस्थित था।

4. पारिश्रमिक समिति

आरईसी के संस्था-अंतर्नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और/या अन्य भत्ते भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अतः इस प्रयोजन के लिए निदेशकों की कोई समिति गठित नहीं की गई।

5. निवेशक शिकायत समिति

निदेशक मण्डल द्वारा गठित निवेशक शिकायत समिति में 31.3. 2005 को निम्नलिखित सदस्य शामिल हैः-

1. श्री अरविन्द जाधव - गैर-कार्यकारी निदेशक और समिति के अध्यक्ष
2. श्री एम. साहू - गैर-कार्यकारी निदेशक
3. श्री एच. डी. खुंटेटा - निदेशक (वित्त)

वर्ष 2004-05 के दौरान समिति की एक बैठक 18.3.2005 को आयोजित की गई थी जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे।

6. महासभा की बैठकें

महासभा की पिछली तीन वार्षिक बैठकें दिनांक 29.5.2002 (स्थगित और 31.5.2002 को आयोजित), 28,8,2003 16.9.2004 को निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई थी।

7. संबंद्ध पार्टी लेनदेन के बारे में स्पष्टरूप से महत्वपूर्ण और अपरिपालन, यदि कोई हो, तो उसके विवरणों का प्रकटीकरण

शून्य.

8. संप्रेषण के साधन

निगम के तिमाही एवं छमाही गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं तथा उनकी प्रतियां स्टॉक एक्सचेंज को भेजी जाती हैं और निगम की वेबसाइट (वेबसाइट **www.recindia.nic.in**) मे दर्ज किए जाते हैं। प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

9. सामान्य शेयर धारकों को सूचना

निगम की पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति या उसके नामित व्यक्ति के पास है। वार्षिक महासभा का विवरण उपर्युक्त (6) में दिया गया है। निदेशक मण्डल ने दिनांक 29.4.2005 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2004-05 के लिए 234.50 करोड़ रुपए (58 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित) के लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।

अनुबंध-III

निगमित सुशासन पर प्रमाण पत्र

कंपनी की पंजीकरण संख्या : 5095

सांकेतिक पूंजी : रु. 1200 करोड़

सदस्यगण,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

हमने 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निगमित शासन की निर्धारित शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त निगम के सूचीकरण करार के खण्ड 49 में नियत किए गए हैं और सेबी द्वारा 1.11.2004 को अधिसूचित आदर्श सूचीकरण करार द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद, जैसा कि आदर्श सूचीकरण करार के खण्ड 2.18 में प्रावधान किया गया है, हालांकि यह खण्ड वर्तमानतः निगम पर लागू नहीं है, लेकिन निवेशकों के हित में और बेहतर निगमित सुशासन के लिए निगम ने निगमित सुशासन की शर्तों का एक चरणबद्ध तरीके से पालन करने का निर्णय किया है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है । हमारी जांच निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा इसके बारे में अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित है । यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है ।

हमारी राय में और हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने निम्नलिखित को छोड़कर उपयुक्त उल्लिखित सूचीकरण करार में दिए गए निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है :-

(क) सूचीकरण करार के खण्ड 49 1(क) और 49 2(क)(1) की शर्तों के अनुसार निदेशक मण्डल में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं हैं ।

हमें सूचित किया गया था कि निदेशकों की नियुक्ति, जिनमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जानी है । निगम ने उपयुक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू की है ।

(ख) दिनांक 30 जुलाई, 2004 को तीन गैर-कार्यकारी निदेशकों के साथ लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया। वर्ष के दौरान पूर्व में लेखा परीक्षा समिति के सदस्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे, जबकि निगमित सुशासन की शर्तों के अनुसार इस समिति के सभी सदस्य गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए। तथापि, उस समय के दौरान केवल दो गैर-कार्यकारी निदेशक ही निदेशक मण्डल के सदस्य थे।

कृते पी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
कंपनी सचिव

प्रमोद पी. अग्रवाल
प्रोपराइटर
सी.पी.सं. 4994

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 जुलाई, 2005

मकानों के **विद्युतीकरण** से
महिलाओं का **सशक्तिकरण** होगा और
राष्ट्र **ऊर्जावान** बनेगा।

31 मार्च, 2005 को यथास्थिति तुलनपत्र

(लाख रुपए)

	अनुसूची सं.	31.03.2005 को	31.03.2004 को
निधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां:			
पूंजी	ए	**78,060.00**	78,060.00
आरक्षित एवं अधिशेष	बी	**299,830.36**	248,377.46
ऋण निधियां			
सुरक्षित ऋण	सी	**1,744,938.18**	1,345,689.57
असुरक्षित ऋण	डी	**192,901.28**	164,240.58
जोड़		**2,315,729.82**	1,836,367.61
निधियों का प्रयोग			
अचल परिसंपत्तियां :	ई1		
सकल ब्लॉक		**3,558.89**	3,250.50
घटाएं : मूल्यह्रास		**1,003.81**	897.17
निवल ब्लॉक		**2,555.08**	2,353.33
पूंजी खर्च के लिए अग्रिम राशि		**-**	87.16
निवेश	ई2	**141,722.37**	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम राशिः	एफ		
नकद और बैंक में शेष		**48,545.43**	7,609.93
अन्य चालू परिसपंत्तियां		**11,331.04**	6,449.18
ऋण एवं अग्रिम राशि		**2,266,576.76**	1,961,962.66
		2,326,453.23	1,976,021.77
घटाएं:			
चालू देयताएं एवं प्रावधान :	जी		
देयताएं		**53,075.00**	62,943.85
प्रावधान		**101,925.86**	79,150.80
		155,000.86	142,094.65
निवल चालू परिसंपत्तियां		**2,171,452.37**	1,833,927.12
जोड़		**2,315,729.82**	1,836,367.61
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	एल		
खातों पर टिप्पणियां	एम		

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.बी. चांदना एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एच. डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

एम.एन. प्रसाद
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी. के. गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या 16521

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल 2005

31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(लाख रुपए)

	अनुसूची सं.	31.03.2005 को समाप्त वर्ष	31.03.2004 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालनों से आय	एच	**219,981.12**	198,488.61
अन्य आय	आई	**10,227.75**	1,182.11
जोड़		**230,208.87**	199,670.72
व्यय			
उधार लेने की लागत			
- सरकारी ऋण		**4,960.66**	16,051.65
- आर ई सी बांड		**92,209.82**	96,287.38
- बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण		**23,092.13**	1,880.79
एआरईपी आर्थिक-सहायता पर ब्याज		**212.25**	-
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	जे	**3,289.66**	3,972.76
स्थापना और अन्य व्यय	के	**1,144.18**	686.70
बांड/ऋण दस्तावेज जारी करने पर हुआ खर्च		**1,520.34**	534.20
जोड़		**126,429.04**	119,413.48
कर एवं मूल्यह्रास पूर्व लाभ		**103,779.83**	80,257.24
मूल्यह्रास		**114.85**	103.15
आयकर के लिए प्रावधान		**23,511.86**	18,870.00
आस्थगित कर के लिए प्रावधान		**77.76**	45.46
कर एवं मूल्यह्रास के बाद लाभ		**80,075.36**	61,238.63
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)		**10.65**	-
पिछले वर्षों के लिए आय/ब्याज कर		**1,928.41**	321.94
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**78,136.30**	60,916.69
विनियोजन:			
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष प्रारक्षित निधि अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए		**38,000.00**	24,565.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन प्रारक्षित निधि		**3,500.00**	2,769.00
प्रस्तावित लाभांश		**17,650.00**	18,300.00
अंतरिम लाभांश		**5,800.00**	-
लाभांश कर		**3,233.40**	2,344.69
सामान्य प्रारक्षित निधि में स्थानांतरण		**9,500.00**	12,900.00
तुलन पत्र में लाया गया अधिशेष		**452.90**	38.00
		78,136.30	60,916.69
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	एल		
खातों पर टिप्पणियां	एम		

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.बी. चांदना एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एच. डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

एम.एन. प्रसाद
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी. के. गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या 16521

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल 2005

अनुसूची : ए - शेयर पूंजी

(लाख रुपए)

	31.03.2005 को	31.03.2004 को
प्राधिकृत		
प्रति 10 रुपए के 1200,000,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रति 10 रुपए के 1200,000,000 इक्विटी शेयर)	**120,000.00**	120,000.00
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतया प्रदत्त 780,600,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रति 10 रुपए के 780,600,000 इक्विटी शेयर)	**78,060.00**	78,060.00
जोड़	**78,060.00**	78,060.00

अनुसूची : बी - आरक्षित एवं अधिशेष

(लाख रुपए)

	01.04.2004 को अथशेष समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियां/ शेष	**31.03.2005 को इति शेष**
क) पूंजी प्रारक्षित निधि (यूएसएआईडी से अनुदान)	10,500.00	**-**	-	**10,500.00**
ख) वित्तीय वर्ष 1996-97 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष आरक्षित निधि	5,173.77	**-**	-	**5,173.77**
ग) वित्तीय वर्ष 1997-98 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत गठित विशेष आरक्षित निधि	120,106.00	38,000.00	-	**158,106.00**
घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए आरक्षित निधि	10,919.13	3,500.00	-	**14,419.13**
ङ) बांड विमोचन आरक्षित	8,850.00	-	-	**8,850.00**
च) सामान्य आरक्षित	91,631.05	9,500.00	-	**101,131.05**
छ) अधिशेष	1,197.51	452.90		**1,650.41**
जोड़	248,377.46	51,452.90	**-**	**299,830.36**
गत वर्ष	208,105.46	40,272.00	-	**248,377.46**

अनुसूची : सी - सुरक्षित ऋण

(लाख रुपए)

	31.03.2005 को	31.03.2004 को
1. बैंकों से सावधि ऋण		
(बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत निगमों की वसूली योग्य राशि के लिए सुरक्षित)		
सिंडीकेट बैंक	**20,000.00**	-
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	**9,700.00**	-
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	**10,000.00**	-
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	**10,000.00**	-
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**22,500.00**	-
केनरा बैंक	**20,000.00**	-
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**10,000.00**	-
उपर्युक्त पर अर्जित ब्याज	**0.95**	-
2. बैंकों से नकद उधार सीमा		
(बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत निगमों की वसूली योग्य राशि के लिए सुरक्षित)		
केनरा बैंक	**-**	17,000.00
कारपोरेशन बैंक	**-**	17,000.00
भारतीय स्टेट बैंक	**-**	10,000.00
3. एलआईसी से ऋण	**350,000.00**	150,000.00
(बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत निगमों की वसूली योग्य राशि के लिए सुरक्षित)		
4. आरईसी बांड		
(संचयी और गैर-संचयी) राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत निगमों इत्यादि को दिए गए अग्रिम विनिर्दिष्ट ऋणों के विरूद्ध चार्ज द्वारा रक्षित और महाराष्ट्र में अचल संपत्तियों पर संबंधित न्यासियों की संतुष्टि और प्राइवेट प्लेसमेंट की शर्तों पर		
I. कर मुक्त सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी बांड		
क) लघु अवधि		
8.75% 17.11.2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय (33 वीं शृंखला)	**-**	20,000.00
8.35% 23.01.2005 को सममूल्य पर प्रतिदेय (34 वीं शृंखला)	**-**	10,000.00
8.7% 25.09.2005 को सममूल्य पर प्रतिदेय (36वीं शृंखला -I)	**10,000.00**	10,000.00
8.0% 26.11.2005 को सममूल्य पर प्रतिदेय (36वीं शृंखला-2)	**3,500.00**	3,500.00
ख) दीर्घ अवधि		
8.25% 22-02-2010 को सममूल्य पर प्रतिदेय (41वीं शृंखला)	**7,500.00**	7,500.00
7.10% 23-03-2011 को सममूल्य पर प्रतिदेय (53वीं शृंखला)	**5,000.00**	5,000.00
II. कर योग्य सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी बांड		
दीर्घ अवधि		
11.75% 08.09.2006 को सममूल्य पर प्रतिदेय (39वीं शृंखला)	**-**	30,000.00
11.25% 31.12.2006 को सममूल्य पर प्रतिदेय (40वीं शृंखला)	**-**	23,700.00
10.85% 24.03.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय (42वीं शृंखला)	**-**	9,000.00
11.20% 24.03.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय (43वीं शृंखला)	**-**	15,855.00
10.85% 31.03.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय (44वीं शृंखला)	**-**	4,000.00
11.20% 31.03.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय (45वीं शृंखला)	**-**	8,020.00
10.70% 15.06.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय (46वीं शृंखला)	**6,325.00**	6,325.00
11.00% 31.07.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय (48वीं शृंखला)	**2,250.00**	2,250.00

11.95% 31.10.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय (50वीं शृंखला-1)	**18,590.00**	18,590.00
11.95% 31.10.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय (50वीं शृंखला-2)	**15,580.00**	15,580.00
11.90% 30.11.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय (50वीं शृंखला-3)	**5,850.00**	5,850.00
11.40% 15.12.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय (52वीं शृंखला)	**26,300.00**	26,300.00
10.45% 30.09.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय (54वीं शृंखला)	**19,000.00**	19,000.00
10.00% 30.06.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय (56वीं शृंखला)	**-**	24,650.00
9.90% 20.07.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय (57वीं शृंखला)	**-**	33,040.00
9.90% 30.07.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय (59वीं शृंखला)	**-**	11,690.00
9.00% 28.09.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय (60वीं शृंखला)	**-**	38,100.00
8.75% 31.12.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय (61वीं शृंखला)	**-**	21,400.00
8.35% 07.03.2009 को सममूल्य पर प्रतिदेय (62वीं शृंखला)	**16,270.00**	16,270.00
6.90% 27.09.2009 को सममूल्य पर प्रतिदेय (64वीं शृंखला)	**24,000.00**	24,000.00
6.00% 31.01.2010 को सममूल्य पर प्रतिदेय (66वीं शृंखला)	**27,400.00**	27,400.00
6.05% 31.03.2014 को सममूल्य पर प्रतिदेय (69वीं शृंखला)	**66,920.00**	66,920.00
6.60% 31.03.2014 को सममूल्य पर प्रतिदेय (72वीं शृंखला)	**58,550.00**	-
6.90% 08.10.2014 को सममूल्य पर प्रतिदेय (73वीं शृंखला)	**23,390.00**	-
7.20% 17.03.2015 को सममूल्य पर प्रतिदेय (75वीं शृंखला)	**50,000.00**	-
6.00% 15.03.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय (76वीं शृंखला)	**102,000.00**	-
पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय-शृंखला-I	**250,426.07**	341,638.65
पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय-शृंखला-2	**159,426.25**	159,426.25
पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय-शृंखला-3	**136,267.90**	116,715.20
पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय-शृंखला-4	**199,274.30**	-
इनफ्रास्ट्रक्चर बांड सममूल्य पर प्रतिदेय - शृंखला-1 एवं 2	**8,650.70**	8,854.55
इनफ्रास्ट्रक्चर बांड सममूल्य पर प्रतिदेय - शृंखला-3	**1,617.15**	1,616.85
बांड एप्लीकेशन मॅनी - कैपिटल गेन बांड/इन्फ्रा बांड	**48,649.86**	19,466.41
सभी उपर्युक्त आरईसी बांडों पर उपचित और देय ब्याज	**-**	31.66
जोड़	**1,744,938.18**	1,345,689.57

टिप्पणी :

आरईसी बांडों की 36वीं शृंखला-I और II क्रमशः 25.9.2005 और 26.11.2005 को प्रतिदेय हो जाएंगे । 46वीं शृंखला और 48वीं शृंखला से 50वीं शृंखला-I, II और III, 52वीं और 54वीं शृंखलाएं तीसरे वर्ष/पांचवे वर्ष अर्थात 15.6.2005, 31.7.2005, 31.10.2005, 31.10.2005, 30.11.2005, 15.6.2006 और 30.3.2006 के अंत में पुट/कॉल ऑप्शन पर प्रतिदेय हैं । बांडों की 62वीं, 64वीं और 66वीं शृंखलाएं 5 वर्ष के अंत में अर्थात क्रमश 7.3.2007, 27.9.2007 और 31.1.2008 में पुट/कॉल ऑप्शन की सुविधा पर हैं । 69वीं और 73वीं शृंखलाएं क्रमशः छठे, सातवें, आठवें, नौवे और दसवें वर्ष के अंत में 5 समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं । बांडों की 72वीं शृंखला सातवें वर्ष के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय होगी । बांडों की 75वीं शृंखला एसटीआरपीपी के माध्यम से 5-1/2 वर्ष से 10 वर्ष तक अर्द्ध वार्षिक अंतराल पर 10 समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय होगी । 76वीं शृंखला आवंटन की संभावित तारीख अर्थात 15.3.2005 से 18वें महीने के अंत में पुट/कॉल ऑप्शन की सुविधा पर है ।

कर योग्य बांडों की 39वीं, 40वीं, 42वीं, 43वीं, 44वीं, 45वीं, 56वीं, 57वीं, 59वीं, 60वीं एवं 61वीं शृंखलाएं निगम द्वारा कॉल ऑप्शन के प्रयोग द्वारा क्रमशः 8.9.2004, 31.12.2004, 24.3.2005, 24.3.2005, 31.3.2005, 31.3.2005, 30.6.2004, 20.6.2004, 30.6.2004, 28.4.2004 और 30.11.2004 को प्रतिदेय हो गई थीं । बांडों की 75वीं और 76वीं शृंखलाओं के संबंध में बंधक विलेख अभी निष्पन्न किए जाने हैं ।

पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड 5.15% से 8.70% के बीच विभिन्न ब्याज दरों पर 3 विकल्पों के साथ देय छमाही, वार्षिक और संचयी भुगतान पर 5/7 वर्षों की अवधि के लिए जारी किए गए हैं । इन बांडों को किसी भी समय सममूल्य पर ऑप्शन रखने की सुविधा है और पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांडों-शृंखला IV के मामले में यह 3/5 वर्ष के अंत में है । इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड 5.60% से 9% के बीच विभिन्न ब्याज दरों पर 3/5 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक भुगतान के आधार पर जारी किए गए थे । इन बांडों को आवंटन की तारीख से 36 माह की अवधि तक पुट ऑप्शन की सुविधा है और पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांडों-शृंखला IV के मामले में यह 3/5 वर्ष के अंत में है । पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड और इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड आरईसी की अचल परिसंपत्तियों तथा न्यासियों की अपेक्षा के अनुसार प्राप्य संपत्तियों को कानूनी बंधन द्वारा सुरक्षित रखा गया है । इन अचल परिसंपत्तियों और प्राप्तियों का अंकित मूल्य 38.50 लाख रुपए है । तथापि, उधार ली गई राशि की सीमा तक प्रभार न्यासियों के हक में कंपनी पंजीयक के साथ सृजित किया गया है ।

पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांडों और इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडों का आवंटन होने तक प्राप्त की गई राशि को बांड आवेदन राशि-पूंजी अभिलाभ कर बांड/इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड के शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

30.00 लाख रुपए के बांड आरईसी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट द्वारा रखे गए हैं ।

अनुसूची : डी - असुरक्षित ऋण

(लाख रुपए)

	31.03.2005 को	31.03.2004 को
1.भारत सरकार से	**14,016.56**	118,335.57
(गत वर्ष के देय 15,645.22 लाख रुपए अगले वर्ष के दौरान भुगतान के लिए देय 2019.40 लाख रुपए सहित)		
2.बैंकों से सावधि ऋण		
केनरा बैंक	**20,000.00**	-
बैंक ऑफ बड़ौदा	**25,000.00**	-
उपर्युक्त पर अर्जित ब्याज	**7.92**	-
3.बैंकों से नकद ऋण सीमा		
कारपोरेशन बैंक	**28,500.00**	-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	**17,500.00**	-
बैंक ऑफ इंडिया	**20,000.00**	-
4.आरईसी बांड		
ए.(गैर-संचयी, भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)		
क) लघु अवधि		
12.5% 22.11.2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय (27वीं शृंखला)	**-**	3,000.00
14% 01.03.2006 को सममूल्य पर प्रतिदेय (29वीं शृंखला 1)	**1,291.00**	1,291.00
14% 29.03.2006 को सममूल्य पर प्रतिदेय (29वीं शृंखला 2)	**3,096.92**	3,096.92
ख) दीर्घ अवधि		
11.5% 12.12.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय (18वीं शृंखला)	**6,858.00**	6,858.00
11.5% 29.12.2009 को सममूल्य पर प्रतिदेय (21वीं शृंखला)	**6,908.00**	6,908.00
11.5% 27.12.2010 को सममूल्य पर प्रतिदेय (22वीं शृंखला)	**4,900.00**	4,900.00
12% 05.12.2011 को सममूल्य पर प्रतिदेय (23वीं शृंखला1)	**2,265.00**	2,265.00
12% 21.02.2012 को सममूल्य पर प्रतिदेय (23वीं शृंखला 2)	**3,035.00**	3,035.00
13% 17.02.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय (24वीं शृंखला)	**5,502.00**	5,502.00
13.85% 13.09.2006 को सममूल्य पर प्रतिदेय (31वीं शृंखला)	**3,500.00**	3,500.00
12.3% 26.03.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय (35वीं शृंखला)	**5,497.50**	5,497.50
बी. अन्य बांड		
7.22% 31.12.2014 को सममूल्य पर प्रतिदेय (74वीं शृंखला)	**25,000.00**	-
उपर्युक्त पर अर्जित एवं देय ब्याज	**23.38**	51.59
जोड़	**192,901.28**	164,240.58

टिप्पणीः 31.03.2005 को आरईसी लिमिटेड, सीपी फंड ट्रस्ट एवं आरईसी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट द्वारा क्रमशः 68.77 लाख रुपए एवं 16.00 लाख रुपए की राशि के बांड रखे गए हैं ।

अनुसूची : ई 1 - अचल परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1.4.2004 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	**31.03.2005 को**	31.03.2004 तक	**वर्ष के दौरान**	वर्ष के दौरान निपटाए/बट्टे खाते डाले गए	**31.03.2005 तक**	**31.03.2005 को**	31.03.2004 को
अचल परिसंपत्तियां										
फ्री होल्ड भूमि	65.90	-	-	**65.90**	-	**-**	-	**-**	**65.90**	65.90
लीज होल्ड भूमि	145.50	-	-	**145.50**	6.92	**1.47**	-	**8.39**	**137.11**	138.58
बिल्डिंग	1,794.51	362.24	-	**2,156.75**	328.80	**33.13**	-	**361.93**	**1,794.82**	1,465.71
फर्नीचर एवं जुड़नार	345.27	6.61	1.18	**350.70**	171.46	**20.86**	1.16	**191.16**	**159.54**	173.81
ई.डी.पी. उपकरण	298.37	70.60	1.88	**367.09**	214.85	**33.86**	1.88	**246.83**	**120.26**	83.52
कार्यालय उपकरण	210.43	22.81	0.84	**232.40**	127.47	**15.51**	0.61	**142.37**	**90.03**	82.96
वाहन	104.82	-	6.64	**98.18**	47.55	**9.60**	4.56	**52.59**	**45.59**	57.27
जोड़	2,964.80	462.26	10.54	**3,416.52**	897.05	**114.43**	8.21	**1,003.27**	**2,413.25**	2,067.75
प्रगतिशील पूंजी	284.64	214.17	358.27	**140.54**	-	**-**	-	**-**	**140.54**	284.64
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां कम्प्यूटर साफ्टवेयर	1.06	0.77	-	**1.83**	0.12	**0.42**	-	**0.54**	**1.29**	0.94
कुल जोड़	3,250.50	677.20	368.81	**3,558.89**	897.17	**114.85**	8.21	**1,003.81**	**2,555.08**	2,353.33
गत वर्ष	3,090.14	178.26	17.90	**3,250.50**	806.21	**103.15**	12.19	**897.17**	**2,353.33**	2,283.93

1)केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद में एसी प्लांट पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 के अनुसार इसके अधिष्ठापन वर्ष 1988–89 से 4.75% की बजाय 5.15% की दर से लगाया जा रहा है।

2)अन्य अमूर्त (इनटैनजॅबल) परिसंपत्तियों में बाहर से और एएस–26 की शर्तों के अनुसार खरीदे गए कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है। पांच वर्षों के बाद इन पर प्रभार लगाए जाने का प्रस्ताव है।

अनुसूची : ई 2 - निवेश

(लाख रुपए)

	31.03.2005 को	31.03.2004 को
दीर्घावधि निवेश (अनुद्धृत) - लागत पर		
दिनांक 01.04.2005 से लागू 30 समान अर्द्ध वार्षिक किश्तों में परिपक्व होने वाले 8% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड-।।	**141,480.00**	-
संयुक्त उद्यम में निवेश - केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड एसआईबी फंड - लागत पर (प्रत्येक 10 रुपए की 24,23,708 यूनिट)	**242.37**	-
	141,722.37	-

अनुसूची : एफ - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम राशि

(लाख रुपए)

		31.03.2005 को		31.03.2004 को
I चालू परिसंपत्तियां				
क) नकद और बैंक में जमा राशि :				
(i) मौजूद/पारगमन में नकदी/चैक (डाक संबंधी एवं अग्रदाय सहित)		2,246.13		0.51
(ii) चालू खातों में				
- भारतीय रिजर्व बैंक के पास		193.82		155.32
- अन्य अनुसूचित बैंकों के पास		21,105.26		7,453.88
(iii) अनुसूचित बैंकों के खाते में जमा		25,000.22		0.22
जोड़ - (क)		48,545.43		7,609.93
ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां				
(i) भारत सरकार के पास सार्वजनिक जमा खाते में				1,230.02
(ii) सावधि जमा पर अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं		400.19		0.04
(iii) अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं				
- ऋणों पर		5,069.26		5,025.47
- सरकारी प्रतिभूतियों पर		5,659.20		
- कर्मचारियों को दिए ऋणों पर		198.95		188.02
(iv) राज्य बिजली बोर्डों/सरकारी विभागों से वसूली योग्य राशि	183.64		185.83	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध वसूली वाले ऋणों के लिए प्रावधान	180.20	3.44	180.20	5.63
जोड़ - (ख)		11,331.04		6,449.18
II ऋण एवं अग्रिम राशि				
ग (क) ऋण				
(i) राज्य बिजली बोर्ड/निगम, सहकारी, समितियां एवं राज्य सरकारें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अरक्षित, वसूली योग्य समझी जाने वाली एवं गारंटीशुदा राशि		1,685,073.07		1,520,090.89
(ii) राज्य बिजली बोर्ड/निगम (संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/निगमों के पास सामग्री को बंधक रख कर रक्षित)				
वसूली योग्य		208,811.59		136,225.70
वर्गीकृत संदिग्ध	140.99		140.99	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध वसूली वाले	70.50	70.49	70.50	70.49
(iii) अन्य (वास्तविक संपत्तियों को बंधक ऋणों के लिए प्रावधान रखकर रक्षित)				
वसूली योग्य		199,337.84		171,156.95
वर्गीकृत संदिग्ध	2854.99		2,854.99	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध वसूली वाले ऋणों के लिए प्रावधान	2000.00	854.99	2,000.00	854.99
(iv) अन्य (असुरक्षित)- वसूली योग्य		10,000.00		
(v) ऋणों पर अर्जित एवं देय ब्याज		358.42		448.36
(vi) ऋणों पर अर्जित एवं अदेय ब्याज		82,102.53		74,239.32
(vii) कर्मचारी (सुरक्षित)		196.90		203.90
(viii) कर्मचारी (असुरक्षित)		242.70		307.62
ग (ख) अग्रिम राशि				
(असुरक्षित वसूली योग्य)				
(i) नकद या वस्तुओं के रूप में या प्राप्त होने वाली राशि की एवज में वसूल हो सकने वाले अग्रिम		131.41		55.66
(ii) अग्रिम आयकर		79,245.02		57,969.22
(iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियां		151.51		229.27
(iv) वसूली योग्य आयकर (बांड)		0.29		0.29
(v) उपदान निधि को अग्रिम राशि				110.00
जोड़ - (ग)		2,266,576.76		1,961,962.66
कुल जोड़ (क+ख+ग)		2,326,453.23		1,976,021.77

अनुसूची : जी - चालू देयताएं एवं प्रावधान

(लाख रुपए)

		31.03.2005 को		31.03.2004 को
क) चालू देयताएं				
(ए) खर्च के लेनदार				
- लघु उद्योग उपक्रमों की देय राशि		-		-
- लघु उद्योग उपक्रमों से अलावा लेनदारों को देय (पूंजी खाते पर देय राशि 40.96 लाख रुपए (गत वर्ष 19.36 लाख रुपए)		1,552.18		902.24
(बी) उधारकर्ताओं से अग्रिम प्राप्तियां		154.29		1,068.88
(सी) अन्य देयताएं		303.91		598.99
(डी) भारत सरकार से सहायता अनुदान	113,712.73		73,712.73	
घटाए : राज्य विद्युत यूटिलिटीज/ सहकारी समितियों को संवितरित राशि	109,997.06	3,715.67	63,285.00	10,427.73
(ई) अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं				
- बांडों पर	27,868.01		43,101.09	
- सरकारी/एलआईसी ऋण	19,022.60	46,890.61	6,495.64	49,596.73
(एफ) बांड्स तथा सरकारी ऋणों पर ब्याज और मूलधन जिनका दावा न किया गया हो				
- ब्याज	154.34		44.28	
- मूलधन	304.00	458.34	305.00	349.28
जोड (क)		53,075.00		62,943.85
ख) प्रावधान				
(बी) आयकर		80,887.31		57,375.44
(सी) धनकर		1.24		1.69
(डी) प्रस्तावित लाभांश		17,650.00		18,300.00
(ई) लाभांश कर		2,475.41		2,344.69
(एफ) छुट्टी नकदीकरण		598.99		530.08
(जी) उपदान		312.91		598.90
जोड़ (ख)		101,925.86		79,150.80
कुल जोड़ (क)+(ख)		155,000.86		142,094.65

अनुसूची : एच - प्रचालनों से आय

(लाख रुपए)

		31.03.2005 को समाप्त वर्ष		31.03.2004 को समाप्त वर्ष
क आगे उधार देने के प्रचालनों पर				
ऋणों पर ब्याज				
- लघु अवधि वित्तपोषण	9,695.80		20,837.91	
- दीर्घ अवधि वित्तपोषण	208,660.78	218,356.58	160,323.15	181,161.06
ख रख-रखाव प्रभार, सेवा प्रभार, प्रक्रम शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, परामर्श प्रभार आदि		570.67		269.31
ग अदला-बदली प्रीमियम		1,053.87		17,058.24
जोड़		219,981.12		198,488.61

अनुसूची : आई - अन्य आय

		31.03.2005 को समाप्त वर्ष		31.03.2004 को समाप्त वर्ष
क. निवेश/जमा प्रचालनों पर				
जमा राशि पर ब्याज	4,498.43		1,095.50	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	5,659.20	10,157.63	—	1,095.50
ख. अन्य आय				
कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज		36.52		40.52
विविध आय		18.85		44.39
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		—		1.70
वापस लाया गया अधिक प्रावधान		14.75		
जोड़		10,227.75		1,182.11

अनुसूची : जे - कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान

(लाख रुपए)

	31.03.2005 को समाप्त वर्ष	31.03.2004 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं भत्ते	**2,351.89**	3,332.43
उपदान निधि में अंशदान	**314.52**	-
भविष्य निधि एवं अन्य कर्मचारी कल्याण खर्च	**175.97**	228.39
निधियों में अंशदान	**396.80**	379.82
किराया - आवास	**50.48**	32.12
जोड़	**3,289.66**	3,972.76

अनुसूची : के - स्थापना एवं अन्य खर्च

		31.03.2005 को समाप्त वर्ष		31.03.2004 को समाप्त वर्ष
किराया - कार्यालय		**19.25**		20.71
दर एवं कर		**11.12**		8.76
बिजली एवं जल प्रभार		**32.00**		37.40
बीमा शुल्क		**2.93**		3.33
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
भवन	**141.93**		88.80	
अन्य	**17.99**	**159.92**	19.71	108.51
इंटरनेट शुल्क		**17.68**		-
छपाई एवं लेखन सामग्री		**30.60**		25.17
यात्रा एवं वाहन		**228.93**		171.90
डाक, तार एवं टेलीफोन		**58.38**		40.17
परामर्शी प्रभार		**5.23**		1.85
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि एवं अन्य में अनुदान		**226.00**		-
विविध खर्च		**291.26**		229.16
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**1.53**		-
मनोरंजन		**12.18**		8.53
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (व्यय की प्रतिपूर्ति मिलाकर)		**21.46**		14.58
वाहन अनुरक्षण		**25.71**		16.63
जोड़		**1,144.18**		686.70

अनुसूची : एल - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार उपचय प्रणाली के अधीन हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन पर वित्तीय विवरण किए गए हैं

2. राजस्व मान्यता

2.1 दो तिमाहियों या इससे अधिक के लिए ब्याज/मूलधन अतिदेय हो जाने की स्थिति में निष्क्रिय परिसंपत्तियों (भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अनुसार परिभाषित) पर आय को तभी माना गया है, जब यह प्राप्त हुई है तथा इसका पुनर्विनियोजन किया गया है ।

2.2 यदि उधार लेने वालों से अन्यथा सहमति न हुई हो तो उनसे की गई वसूली का हिसाब निम्नानुसार किया गया है (i) ब्याज, दंडात्मक ब्याज, जहां लागू हो, ब्याज पर कर सहित सबसे पुरानी देय राशि पहले समायोजित की जाएगी; (ii) मूलधन की वापसी में सबसे पुरानी देय राशि पहले समायोजित की जाएगी । जैसाकि कर्जदारों से वसूली के मामले में, जब तक अन्यथा निर्णय न लिया गया हो या विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्राप्य राशियों के प्रत्याभूतिकरण के कारण एसपीवी या अन्य से प्राप्त राशियों को इसी क्रम में विनियोजित किया जाता है अर्थात पहले ब्याज (इसमें अर्जित ब्याज परंतु देय शामिल नहीं है), दंडात्मक ब्याज एवं ब्याज कर, यदि लागू हो, पुरानी देय राशियों को पहले समायोजित किया जाता है तथा उसके बाद अतिदेय राशि एवं बकाया मूलधन का समायोजन किया जाता है । प्रत्याभूतिकरण पर अपफ्रंट आय/हानि को उसी साल मान्यता दी जाती है, जिस वर्ष यह निर्धारित एवं प्राप्त की जाती है । पीटीसी/दस्तावेजों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक न्यासी शुल्क एवं अन्य भावी खर्चों को पीटीसी/दस्तावेज धारकों को उनकी पूर्ण अदायगी होने तक उसी वर्ष में लिया जाता है, जिस वर्ष में वे खर्च उपचित होते हैं या खर्च किए जाते हैं। रिकोर्स के प्रचालन, यदि कोई हो, के विषय में एसपीवी को आरईसी द्वारा किए गए भुगतान/उधारकर्ताओं से वसूली योग्य राशि तथा आरईसी द्वारा उपलब्ध एस्क्रो तंत्र या किसी अन्य तरीके से की गई वसूली, जो व्यवहार्य हो, इसमें गारंटी देने वाले को भुगतान करने के लिए कहना भी शामिल है, को खर्च माना जाएगा । अगर आरईसी द्वारा इस तरह रिकोर्स अदायगी की जाती है तो उसे खर्च माना जाएगा, बशर्ते कि यह ब्याज के रूप में एसपीवी से प्राप्तियों के विनियोजन के बदले में की जाती हो अथवा मूलधन के रूप में एसपीवी से प्राप्तियों के विनियोजन के जरिये वसूली योग्य राशि के रूप में प्राप्त हो ।

2.3 जब यह उचित प्रत्याशा हो कि उधारकर्ताओं से बकाया वसूली की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है और उधारकर्ताओं के साथ कानूनबद्ध सहमति ज्ञापन निष्पादित कर लिया गया है तो उन ऋणों, जिनकी शर्तें संशोधित/पुनः निर्धारित की गई हैं, को आय मान लिया जाता है । तथापि, यह सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद निश्चित प्राप्ति का अनुमान लगाने का अकेला मानदंड नहीं है । इसके अतिरिक्त, संबद्ध राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई सुधार नीति, डीआरटी से प्राप्त सहमति डिक्री आदि भी इसके मार्गदर्शी मानदंड होंगे । इसके बावजूद, यह वास्तविकता है कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आरईसी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में यह बात स्वीकार की है कि चूककर्ता राज्यों से आरईसी की देय राशि वसूल करवाने में केंद्रीय विनियोजन अथवा अन्य तरीके से सहायता की जाएगी ।

2.4 ऋण के पांचवे वर्ष तक ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के लिये ऋण पर ब्याज हिसाब में नहीं लिया गया है, क्योंकि सहकारी समितियां ब्याज अदा न करने की हकदार हैं, बशर्ते कि समितियां ऋण करार के अनुसार ऐसे ब्याज की राशि के बराबर विशेष निधि बनाने के लिए सहमत हों ।

2.5 समय पर किए गए भुगतान के लिए छूट को केवल तभी हिसाब में लगाया जाता है, जब ब्याज और ऋण किस्त का भुगतान देय तारीख को अदा/प्राप्त हो गया हो ।

3. पूर्व अवधि समायोजन

3.1 कार्य की प्रकृति को देखते हुए पहले वर्षों की ब्याज आय/मूलधन की अदायगी को उसी वर्ष के हिसाब में लगाया जाता है, जिसमें इसे निर्धारित किया गया हो ।

3.2 प्रत्येक मामले में 10,000/-रु. से कम खर्च को सामान्य किस्म के लेखा शीर्ष में लेखाबद्ध किया गया है ।

4. अचल परिसंपत्तियां/मूल्यह्रास

4.1 संचित मूल्यह्रास घटाकर अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है ।

4.2 क) अपनी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति पर यथानुपात आधार पर किया जाता है । कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प के अनुसार, 16.12.1993 से पहले पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को मूलधन में परिणत उसी दर से किया जाता है जो स्ट्रेट लाइन पद्धति पर उस समय लागू था।

ख) वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्ति, यदि वह परिसंपत्ति 15 दिन से अधिक प्रयोग में आ रही है, का मूल्यह्रास खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुसार लगाने की अपेक्षा पूरे महीने के हिसाब से लगाया गया है ।

4.3 पट्टाकृत परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टे की प्राथमिक अवधि के आधार पर निकाली गई दर पर, जिसका उल्लेख संबंधित पट्टा करार में किया गया है या कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में निहित दर पर, इनमें से जो भी अधिक हो, स्ट्रेट लाइन पद्धति पर किया गया है ।

4.4 वर्ष के दौरान जो परिसंपत्तियां 5000/-रु. से कम में खरीदी गई हैं, उनका मूल्यह्रास 100% की दर पर लगाया जाता है ।

4.5 पट्टे वाली भूमि पट्टा अवधि पूरी होने पर परिशोधित कर ली गई है ।

5. कर्मचारियों को लाभ

उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए भावी देयताओं के वर्तमान मूल्य का अनुमान एवं निर्धारण वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और तद्नुसार इसके लिए प्रावधान रखा गया है।

6. अनुसंधान और विकास

अनुसंधान और विकास पर जब भी खर्च किया जाता है, राजस्व से लिया जाता है ।

7. बांड जारी करने पर खर्च

7.1 बांड जारी करके निधि जुटाने के लिए खर्च बांड जारी करने वाले वर्ष के राजस्व से लिया जाता है ।

7.2 बांडों से संबंधित ब्याज वारंट की अदायगी के लिए निगम अपना उत्तरदायित्व नामजद ब्याज वारंट बैंक के खाते में राशि जमा करा कर पूरा कर रहा है । तद्नुसार, इस भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है तथा वे नामजद खाते किताबों में नहीं दर्शाए जाते, लेकिन उनका मिलान कर लिया जाता है ।

8. निवेश

दीर्घावधि किस्म का होने के कारण निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है ।

9. ऋण और अग्रिम राशि के संबंध में प्रावधान/बट्टे खाते में डालना

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कर्जदारों के पास बकाया ऋणों के संबंध में, जिनकी गारंटी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई है, कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा संबंधित राज्य सरकारों ने अभी तक उनकी दी गई गारंटी का परित्याग नहीं किया है । उन ऋणों, जिन्हें सरकार द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है तथा उनके लिए प्रावधान किए गए हैं ।

10. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, जो निगम के सामान्य खाते में जमा है, संबंधित मंजूरियों में उल्लिखित विशिष्ट प्रयोजन के लिए हैं तथा उनका तदनुसार प्रयोग किया गया है । वर्ष के अंत में निवल शेष राशि को चालू देयताओं और प्रावधानों के खाते में दिखाया गया है ।

अनुसूची : एम -

खातों पर टिप्पणियां

1. निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है :-

(लाख रुपए)

		31.3.2005 को	31.3.2004 को
(क)	निगम के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के 2579.44 लाख रुपए शामिल हैं, पिछले वर्ष 2212.64 लाख रुपए)	5796.27	4168.30
(ख)	संविदाओं की अनुमानित राशि जिन्हें अभी पूंजी खाते में निष्पादित किया जाना शेष है एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया।	126.05	284.48
(ग)	आंध्र प्रदेश सरकार की गारंटी के अंतर्गत प्राप्त राशियों के प्रत्याभूतिकरण के कारण भावी रिकोर्स	5244.76	10489.48

1(क) के अधीन शामिल राशि में आयकर विभाग द्वारा पुनः खोले गए आयकर मामलों के प्रति 2049.58 लाख रुपए की आकस्मिक देयता शामिल हैं ।

2. वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगम को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) के रूप में पंजीकृत किया गया था । आरबीआई की दिनांक 13.1.2000 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/डी2.01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 617 का अनुपालन करती हैं, उनको तरल परिसंपत्तियों के रखरखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने और सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुपालन में छूट मिली हुई है । आरईसी कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है । आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 451सी के प्रावधानों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

3. केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद की बिल्डिंग, फ्री होल्ड भूमि एवं नई दिल्ली स्थित स्कोप काम्प्लेक्स कार्यालय का फर्नीचर एवं जुड़नार अनंतिम आधार पर पूंजीकृत किए गए हैं, क्योंकि इस संबंध में अंतिम बिलों की प्राप्ति अभी लंबित है । इस संबंध में अंतिम लागत में जो अंतर आएगा, उसे पता लगाने के उपरांत लेखाबद्ध किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2000-01 के दौरान केरल राज्य आवास मंडल (केएसएचबी) से तिरुवनंतपुरम में खरीदे गए फ्लैटों के संबंध में कुछ भूस्वामियों ने केएसएचबी द्वारा करार के अनुसार उन्हें पहले भुगतान किए गए मुआवजे पर विरोध जताया है, यदि भूस्वामियों को कुछ अधिक मुआवजा दिया जाता है तो केएसएचबी आबंटितियों से आनुपातिक राशि वसूल करेगा ।

4. लेखा नीति 2.4 का अवलोकन करें । कुछ ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों द्वारा विशेष निधि जुटाने में 31.3.2005 तक 279.25 लाख रुपए (गत वर्ष 123.80 लाख रुपए) की कमी रही तथा इन समितियों को अपेक्षित विशेष निधि जुटाने के लिए कहा गया है ।

5. निगम ने एक लाख गांवों और एक करोड़ आवासों के विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए वर्ष के दौरान सरकार से 400 करोड़ रुपए की आर्थिक-सहायता प्राप्त की है । तथापि, ऐसी आर्थिक-सहायता के बदले में कार्यक्रम के हित में संवितरण 426.95 करोड़ रुपए की सीमा तक किए गए थे । शेष 26.95 करोड़ रुपए की राशि सरकार से प्राप्त करनी होगी ।

6. कुछ उधारकर्त्ताओं को छोड़कर शेष पुष्टि प्राप्त हो गई है ।

7. वर्ष के दौरान एमपीएसईबी और झारखंड एसईबी की अतिदेयताओं का निपटान किया गया है । जबकि झारखंड एसईबी ने 170 करोड़ रुपए का नकद भुगतान करके देयताओं का निपटान किया है और मध्य प्रदेश सरकार ने 1414.80 करोड़ रुपए की राशि के 8% वाले मध्य प्रदेश सरकार बांड प्रदान करके निपटान किया है (335.20 करोड़ रुपए की शेष राशि एमपीएसईबी द्वारा समझौता ज्ञापन के अनुसार किश्तों में प्रदान की जानी है)। प्राप्त राशियों का लेखाकरण नीति के अनुसार विनियोजन किया गया है, जिसमें 546.69 करोड़ रुपए को ब्याज और शेष 1038.11 करोड़ रुपए की राशि को मूलधन के रूप में माना गया है ।

8. निगम द्वारा 650.46 लाख रुपए (गत वर्ष 530.47 लाख रुपए) की राशि से अधिग्रहीत कुछ परिसरों के संबंध में हस्तांतरण विलेख संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं ।

9. 31.3.2005 को कर्जदारों से वसूली योग्य कुल बकाया राशि 64846.00 लाख रुपए (गत वर्ष 331942.00 लाख रुपए) थी और इसे वसूल करने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं । गत वर्ष चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों, विंड फार्म उधारकर्ताओं और सहकारी

समितियों के विरूद्ध देय राशियों की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीटीआर) में दायर मुकदमे सुनवाई/कानूनी कार्रवाई के विभिन्न स्तरों पर हैं । अन्य चूककर्ता समितियों के संबंध में कोर्ट से आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं और उन पर कार्रवाई चल रही है ।

10. निगम के उधारकर्ताओं को यह विकल्प दिया गया था कि वे अपने उच्च लागत वाले ऋणों को प्रचलित निम्न ब्याज दरों वाले ऋणों में अदला-बदली प्रीमियम देकर बदल सकते हैं । आय में वर्ष के दौरान निगम को अदला-बदली प्रीमियम के रूप में प्राप्त 1053.87 लाख रुपए (गत वर्ष 17058.24 लाख रुपए) शामिल हैं ।

11. लेखा नीति सं. 7.2 के अनुसार 31.3.2005 को विनिर्दिष्ट बैंकों के ब्याज वारंट्स खातों में शेष राशि 23841.26 लाख रुपए (गत वर्ष 10079.04 लाख रुपए) है ।

12. प्रबंधन की राय के अनुसार तुलनपत्र में शामिल चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां दिखाए गए मूल्य के बराबर हैं, बशर्ते कि उन्हें सामान्य कामकाज के दौरान वसूल कर लिया जाए और सभी जानकार देनदारियों के भुगतान के लिए व्यवस्था की गई है । एएस-28 के अनुसार निगम की परिसंपत्तियों को कोई हानि नहीं हुई है।

13. सरकार द्वारा अधिकारियों के वेतनमानों का अंतिम अनुमोदन किए जाने तक सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारण से सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों के संबंध में लगभग 7.50 करोड़ रुपए की अंतरीय राशि कर्मचारियों के नाम में नियत जमाओं में रखी गई है (नियत अवधि जमा रसीदें आरईसी के नाम गिरवी रखी गई हैं)।

14. निगम के पास इस समय लेखाकरण मानक-17 के अनुसार एक से अधिक भाग रिपोर्ट करने के योग्य नहीं है।

15. इस वर्ष के लिए कोई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) नहीं रखा गया है, क्योंकि भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18.4.2002 को जारी स्पष्टीकरण सं. 6/3/2001-सीएल-5 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45-1क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचरों के मामले में डीआरआर जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

16. **निदेशकों का पारिश्रमिक :**

(लाख रुपए)

	31.3.2005 को समाप्त वर्ष	31.3.2004 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं भत्ते	**13.57**	2.19
परिलब्धियां/प्रतिपूर्ति	**5.62**	0.45
सेवानिवृत्ति लाभ	**1.88**	0.78
जोड़	**21.07**	3.42

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को स्टाफ कार इस्तेमाल करने की अनुमति है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वे मासिक प्रभार का भुगतान करके 1000 किलोमीटर तक प्रति माह की निजी यात्रा कर सकते हैं ।

17. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं :

(लाख रुपए)

	31.3.2005 को समाप्त वर्ष	31.3.2004 को समाप्त वर्ष
क) लेखा परीक्षा शुल्क – चालू वर्ष	**6.61**	5.94
– गत वर्ष	**0.54**	0.52
ख) लेखा परीक्षा शुल्क – चालू वर्ष	**2.20**	1.62
– गत वर्ष	**0.58**	0.05
ग) खर्चों की प्रतिपूर्ति	**6.98**	3.10
घ) अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	**4.54**	3.35
जोड़	**21.45**	14.58

18. निगम के निदेशकों पर ऋणों और अग्रिम सहित 1.59 लाख रुपए (पिछले वर्ष 0.18 लाख रुपए) की राशि देय है (वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि 4.01 लाख रुपए (गत वर्ष 0.37 लाख रुपए) है) ।

19. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय 13.92 लाख रुपए (गत वर्ष 2.58 लाख रुपए) था । कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 के पैरा 4 (सी) और (डी) के तहत अपेक्षित अन्य सभी सूचना शून्य हैं या लागू नहीं हैं।

20. ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं के लिए स्कीमें प्रारंभ में ब्याज वाले ऋण के रूप में मंजूर की जाती हैं तथा परियोजनाओं के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर ऋण के पात्र अंश को ऋण संवितरण की मूल तारीख से अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाता है ।

21. विगत वर्षों में पुनः अनुसूचीबद्ध किए गए लेखा के संबंध में अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज की 82102.53 लाख रुपए की राशि (गत वर्ष 74239.32 लाख रुपए) को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्राप्य होने के कारण इस वर्ष चालू परिसंपत्तियों से ऋणों में स्थानांतरित कर दिया गया है ।

22. जहां कहीं भी आवश्यक थे, गत वर्ष के आंकड़े फिर से व्यवस्थित कर दिए गए हैं, ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से इनकी तुलना की जा सके ।

23. अनुसूची 'ए' से 'एम' तुलनपत्र एवं लाभहानि खाते के अनिवार्य हिस्से हैं और उन्हें विधिवत रूप से प्रमाणित कर दिया गया है ।

24. कंपनी अधिनियम,1956 की अनुसूची 6 के भाग 4 के अनुसार तुलनपत्र सार और कंपनी के सामान्य कारोबार के ब्योरे इस प्रकार हैं :

1.	**पंजीकरण ब्योरे :-**			
	पंजीकरण संख्या	005095	राज्य कोड	55
	तुलनपत्र दिनांक	31	03	2005
		दिनांक	महीना	वर्ष
				राशि(लाख रुपए)
2.	**वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी**			**शून्य**
3.	**निधियां जुटाने और उसके विनियोजन की स्थिति**			
	कुल देयताएं	2470730.68	कुल परिसंपत्तियां	2470730.68
	निधियों के स्रोत			
	प्रदत्त पूंजी	78060.00	आरक्षित एवं अधिशेष	299830.36
	सुरक्षित ऋण	1744938.18	अरक्षित ऋण	192901.28
	निधियों का प्रयोग			
	निवल अचल परिसंपत्तियां	2555.08	निवेश	141722.37
	निवल चालू परिसंपत्तियां और ऋण	2171452.37		
4.	**कंपनी का कार्यनिष्पादन**			
	कुल कारोबार	219981.12	कुल खर्च	126543.89
	कर से पूर्व लाभ	103664.98	कर के बाद लाभ	80075.36
	प्रतिशेयर अर्जन रुपए में (10/-रुपए के शेयर पर)	10.01	लाभांश दर	30%
5.	**कंपनी के मुख्य उत्पादनों/सेवाओं का नाम**			
	मद कोड सं.	**लागू नहीं**	**वित्तीय सेंवाएं**	

ए से एम तक सभी अनुसूचियों पर हस्ताक्षर

एम.एन. प्रसाद
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक(वित्त)

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **के.बी. चांदना एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

वी.के. गुरेजा
भागीदार
सदस्य सं0 16521

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल, 2005

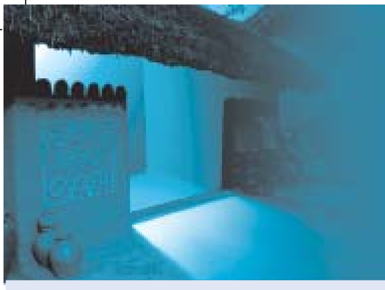

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण

(लाख रुपए)

	2004-05 के अंत में		2003-04 के अंत में	
ए प्रचालन गतिविधियों से कैश फ्लो :				
कर से पूर्व निवल लाभ एवं असाधारण मदें :	**101,725.92**		79,832.15	
समायोजन :				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**1.53**		- 1.70	
2. मूल्यह्रास (पिछली अवधि को मिलाकर)	**114.85**		103.15	
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पहले प्रचालन लाभ :	**101,842.30**		79,933.60	
वृद्धि/गिरावट :				
1. ऋण एवं अग्रिम	**-283,416.06**		- 236,678.02	
2. अन्य चालू देयताएं	**- 4,881.86**		- 39,972.50	
3. चालू देयताएं	**- 3,423.85**		- 2,233.72	
प्रचालन गविविधियों से कैश आउट फ्लो	**- 189,879.47**		- 198,950.64	
1. भुगतान किया गया अग्रिम आय कर	**- 21,275.80**		- 27,070.64	
2. भुगतान किया गया धन कर	**- 0.45**		-1.03	
प्रचालन गतिविधियों में इस्तेमाल की गई निवल नकदी		**- 211,155.72**		- 226,022.31
बी पूंजी निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.79**		2.94	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**- 231.77**		- 260.95	
वित्तीय पूंजी निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल की गई निवल नकदी		**- 230.98**		- 258.01
सी वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो				
1. बांडों का निर्गम	**506,950.75**		204,756.88	
2. बांडों का मोचन	**- 343,872.43**		- 56,651.00	
3. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से जुटाए गए सावधि ऋण	**413,200.00**		194,000.00	
4. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सावधि ऋणों/एसटीएल की चुकौती	**- 44,000.00**		- 20,000.00	
5. निवेश में वृद्धि	**- 141,722.37**			
6. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	**40,000.00**		10,000.00	
7. अनुदानों का संवितरण	**- 46,712.06**		- 14,932.98	
8. सरकारी ऋण की चुकौती	**- 104,319.01**		-102,005.53	
9. भुगतान किया गया लाभांश	**- 24,100.00**		- 7,400.00	
10. भुगतान किया गया लाभांश कर	**- 3,102.68**		- 925.00	
वित्तीय गतिविधियों से निवल कैश-इन-फ्लो		**252,322.20**		206,842.37
नकदी और समतुल्य नकदी में निवल वृद्धि/गिरावट		**40,935.50**		- 19,437.95
1 अप्रैल , 2004 को नकदी और समतुल्य नकदी		**7,609.93**		27,047.88
31 मार्च, 2005 को नकदी और समतुल्य नकदी		**48,545.43**		7,609.93
नकदी और समतुल्य नकदी में निवल वृद्धि/गिरावट		**40,935.50**		- 19,437.95

नोट : गत वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक है, पुनः व्यवस्थित एवं वर्गीकृत कर लिए गए हैं।

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.बी. चांदना एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एच. डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

एम.एन. प्रसाद
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी. के. गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या 16521

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल 2005

तुलन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार)

(गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्रूडेंशियल नार्म्स (रिजर्व बैक) डायरेक्शन्स, 1998 के पैराग्राफ 9 बीबी के अनुसार अपेक्षित ब्यौरे, जो कि आरईसी लि. पर लागू होते है)

(लाख रुपए)

विवरण	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देनदारी पक्ष :		
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रयोग किया गया ऋण और अग्रिम तथा उन पर अर्जित ब्याज लेकिन जिस पर भुगतान नहीं किया गया को मिलाकर :		
(क) ऋण पत्र :		
(i) सुरक्षित	1,292,737.23	-
(ii) असुरक्षित	67,876.80	-
(ख) भारत सरकार से सावधि ऋण	14,016.56	-
(ग) वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण	350,000.00	-
(घ) बैकों से सावधि ऋण	147,208.87	
(ङ) बैंकों से नकद उधार	66,000.00	-
परिसंपत्ति पक्ष :		
प्राप्य बिल सहित ऋणों एवं अग्रिमों का अलग-अलग ब्यौरा		
(क) सुरक्षित	491,732.76	
(ख) असुरक्षित	1,774,844.00	

सभी पट्टे पर, किराए पर एवं ऋण तथा अग्रिम परिसंपत्तियों के कर्जदारों का समूह वर्गीकरण :

श्रेणी	निवल राशि का प्रावधान		
	सुरक्षित	असुरक्षित	कुल
1. संबद्ध पार्टियां			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) समान ग्रुप की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबद्ध पार्टियां	-	-	-
2. संबद्ध पार्टियों के अलावा	491,732.76	1,774,844.00	2,266,576.76
कुल	491,732.76	1,774,844.00	2,266,576.76

अन्य सूचना

विवरण	राशि
(i) सकल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(क) संबद्ध पार्टियां	-
(ख) संबद्ध पार्टियों के अलावा	66,212.00
(ii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(क) संबद्ध पार्टियां	-
(ख) संबद्ध पार्टियों के अलावा	64,142.00
(iii) कर्ज के बदले प्राप्त परिसंपत्तियां	-

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.बी. चांदना एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एच. डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

एम.एन. प्रसाद
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी. के. गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या 16521

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल 2005

लेखा परीक्षकों की रिर्पार्ट

सेवा में
सदस्यगण, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

1. हमने **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च, 2005 के संलग्न तुलन–पत्र और उसी दिन समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते तथा कैश फ्लो विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के अधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजनानुसार लेखा परीक्षा में आश्वस्त करें कि हमारे वित्तीय विवरण अयथार्थता से मुक्त हों। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में इनको प्रकट करना शामिल होता है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल में लाए जा रहे लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण, समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के साथ प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन भी शामिल होते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय का उपयुक्त आधार है।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 277 की उपधारा(4ए) की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश, 2003 के अनुसार निगम पर जितना लागू हो सकता है, उसके अनुरूप उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम एक विवरण अनुलग्नक में संलग्न कर रहे हैं।

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अनुलग्नक में हमारी टिप्पणियों के अलावा हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैंः–
   (i) निगम के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 84(2) के अनुसार 15 लाख रुपए से अधिक के पूंजीगत व्यय वाले सभी मामले निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने से पहले भारत सरकार को अनुमोदनार्थ/प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए, केन्द्रीय सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए बिना, वर्ष के दौरान पूंजीगत निर्माण कार्यों पर व्यय की गई 716.94 लाख रुपए की राशि मौजूदा संस्था अंतर्नियमों के अनुरूप नहीं है।
   (ii) कुछ पार्टियों से प्रतीक्षित शेष पुष्टि टिप्पणी संख्या 6 में उल्लेख के अनुसार है।
   उक्त पैराग्राफ के उल्लिखित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणी के साथ ही :
   (i) अपनी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;
   (ii) हमारी राय में जहां तक इन पुस्तकों की जांच से पता चलता है कि नियम द्वारा कानूनी अपेक्षा के अनुसार लेखा की उपयुक्त खाता बहियां ठीक ढंग से रखी हैं;
   (iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते और कैश फ्लो विवरण निगम की लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं;
   (iv) हमारी राय में इस रिपोर्ट में तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाते तथा कैश फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में दिए गए लेखा मानकों के अनुसार हैं;
   (v) भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं. 2/5/2001–सीएल.वी द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(i)(जी) के प्रवाधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि पैराग्राफ 4 के अधीन उल्लिखित मदों पर विचार किए बिना इसका प्रभाव निश्चित नहीं किया जा सकता, हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त खाते, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार आवश्यक सूचनाएं प्रदान करते हैं तथा निम्नलिखित बातें इन पर लागू हैं :

(क) तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार निगम के कार्यकलाप;
(ख) लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ; और
(ग) कैश फ्लो विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो।

कृते **के.बी. चांदना एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

वी.के.गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या 16521

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अप्रैल, 2005

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2005 को **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.** के खातों के विवरण पर उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ '3' में उल्लिखित)

1. (ए) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के विवरण एवं स्थिति को दर्शाने वाले पूर्ण विवरण का उचित रिकार्ड रखा है।

   (बी) प्रत्यक्ष सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा कंपनी की सभी अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया जो हमारी राय में कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में उपयुक्त हैं। ऐसे प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगति दिखाई नहीं दी।

   (सी) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने संयंत्र और मशीनरी या परिसंपत्ति नहीं बेची है।

2. गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी की कोई माल सूची नहीं है।

3. हमें दी गई सूचना के अनुसार निगम ने उन कंपनियों से कोई रक्षित या अरक्षित कर्ज नहीं लिया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए रजिस्टर में सूचीबद्ध है।

4. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम की आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि अचल परिसंपत्तियों की खरीद एवं बिक्री के संबंध में कंपनी के कारोबार के आधार एवं प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त है।

5. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के अधीन कंपनियों व संस्थानों के साथ कोई कारोबार नहीं किया है।

6. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए और 58एए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

7. जैसा कि सूचित किया गया है कि अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए निगम ने बाजार उधारों और ऋण प्रचालनों की समीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक स्वतंत्र फर्म को हाल ही में नियत किया है। इन लेखा परीक्षकों से रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में निगम की समग्र आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति के औचित्य पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

8. गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(डी) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।

9(क) कंपनी ठेकेदारों पर लागू ठेके के कार्यों पर बिक्री कर के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती को छोड़कर भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, संपत्ति कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कर रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, संपत्ति कर के संबंध में देय ऐसी कोई अविवादित राशि, 31 मार्च, 2005 को बकाया नहीं थी, जो देय तारीख से छह महीने से अधिक बकाया हो।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर एवं संपत्ति कर की ऐसी कोई राशि नहीं थी, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराई गई।

10. कंपनी को कोई संचित हानि नहीं हुई। हमारी लेखा परीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को नकद हानि नहीं हुई।

11. हमारी राय में और हमें दी गई सचूना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या बांड धारियों को देय राशि की चुकौती करने में चूक नहीं की।

12. हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने शेयर, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जमानत के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं की।

13. हमारी राय में कंपनी चिट फंड या निधि म्यूचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है। अतः कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (xiii)के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

14. हमारी राय में कंपनी ने शेयर, प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों तथा अन्य निवेशों से किसी प्रकार का लेन–देन या व्यापार नहीं किया। तद्नुसार, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xiv) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।

15. हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से किसी अन्य द्वारा लिये गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी राय में जिस प्रयोजन के लिए सावधि ऋण आवेदित किया गया उसी के लिए जुटाया गया।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन–पत्र की समग्र जांच करने पर हम रिपोर्ट देते हैं कि लघु अवधि के लिए जुटाए गए ऋण को दीर्घ अवधि निवेश के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया गया। स्थायी कार्यशील पूंजी को छोड़कर किन्हीं दीर्घ अवधि परिसंपत्तियों में वित्तपोषित नहीं किया गया।

18. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अधिनियम की धारा 301 में शामिल सूचीबद्ध पार्टियों तथा कंपनियों को अधिमान्य शेयर आबंटित नहीं किए।

19. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी की 38.50 लाख रुपए खाता मूल्य की मुंबई में स्थित अचल परिसंपत्ति पर विधिक बंधक के रूप में 804312 लाख रुपए की ऋण की राशि के कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन बांड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड की बाबत प्रतिभूतियां सृजित की गई हैं।

20. कंपनी के सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोई राशि नहीं जुटाई।

21. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी की ओर से अथवा कंपनी द्वारा किए गए किसी कपट की घटना ध्यान में नहीं आई और न उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है।

कृते **के.बी. चांदना एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

वी.के.गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या 16521

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अप्रैल, 2005

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.,
स्कोप काम्प्लेक्स,
कोर–4, लोदी रोड,
नई दिल्ली–110 003

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 के अनुसार अपेक्षित है निगम पर लागू सीमा तक उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं :–

1. निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–1क के प्रावधान के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन किया था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10.2.1998 को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है और जिसका पंजीकरण संख्या 14000011 है।

2. दिनांक 13.1.2000 की अधिसूचना संख्या 134 से 140 के अनुसार एनबीएफसी विनियमों में संशोधन के अनुसार सरकारी कंपनियों को नकदी परिसंपत्तियों और आरक्षित निधियों की स्थापना से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों तथा सार्वजनिक निक्षेपों की स्वीकार्यता एवं विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित निर्देशों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है। इसलिए, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2004–05 के दौरान किसी सार्वजनिक निक्षेप को स्वीकार न करने के बारे में कोई संकल्प पारित नहीं किया है।

3. कंपनी ने वर्ष 2004–05 के दौरान कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

4. दिनांक 31.3.2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित एनबीएफसी पर लागू लेखाकरण मानकों और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन किया है तथा अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान किया है। आय को निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुसार स्वीकार किया गया है।

कृते **के.बी. चांदना एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

वी.के.गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या 16521

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल, 2005

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुशेष
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियों पर आरईसी प्रबंधन का पैरावार उत्तर

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
(i) निगम के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 84(2) के अनुसार 15 लाख रुपए से अधिक के पूंजीगत व्यय वाले सभी मामले निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने से पहले भारत सरकार की अनुमोदनार्थ/प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए, केंद्रीय सरकार का अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए बिना, वर्ष के दौरान पूंजीगत निर्माण कार्यों पर व्यय की गई 716.94 लाख रुपए की राशि मौजूदा संस्था अंतर्नियमों के अनुरूप नहीं है।	निदेशक मण्डल की शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि करने के लिए संस्था अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 84(2) को संशोधित किया जा रहा है।
(ii) कुछ पार्टियों से प्रतीक्षित शेष पुष्टि टिप्पणी संख्या 6 में उल्लेख के अनुसार है।	निगम ने शेष पुष्टि का मामला सभी उधारकर्ताओं के साथ उठाया है, परन्तु उनके लेखा की स्थिति के अनुसार कुछ उधारकर्ता शेष पुष्टि समय पर करने में असमर्थ हैं।
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	
(i) जैसा कि सूचित किया गया है कि अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए निगम ने बाजार उधारों और ऋण प्रचालनों की समीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक स्वतंत्र फर्म को हाल ही में नियुक्त किया है। इन लेखा परीक्षकों से रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में निगम की समग्र आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति के औचित्य पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	आंतरिक लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र फर्म ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2005 में प्रस्तुत कर दी है और इसकी जांच की जा रही है।
(ii) कंपनी ठेकेदारों पर लागू ठेके के कार्यों पर बिक्री कर के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती को छोड़कर भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, संपत्ति कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित राशि उपयुक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कर रही है।	नई दिल्ली स्थित निगम मुख्यालय के संबंध में निगम, जहां लागू हो, दिसम्बर, 2004 से निर्माण कार्यों के ठेकों पर बिक्री कर की पहले ही कटौती कर रहा है। जहां तक परियोजना कार्यालयों का संबंध है, स्रोत पर बिक्री कर की कटौती करने के लिए कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है अथवा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है, यदि लागू हो।
(iii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी की 38.50 लाख रुपए खाता मूल्य की मुंबई में स्थित अचल परिसंपत्ति पर विधिक बंधक के रूप में 804312 लाख रुपए की ऋण की राशि के कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन बांड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड की बाबत प्रतिभूतियां सृजित की गई हैं।	लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार न्यासियों की संतुष्टि के अनुरूप विधिसम्मत बंधक विलेख का कार्य किया गया है।

कृते एवं आर ई सी लि. के निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार लखीना

(अनिल कुमार लखीना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का शुद्धि पत्र

निदेशक (वित्त),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.,
नई दिल्ली–110 003

विषय : 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. के खातों पर लेखा परीक्षकों की दिनांक 29.4.2005 की रिपोर्ट से संबंधित शुद्धि पत्र।

प्रिय महोदय,

कृपया दिनांक 29.4.2005 को जारी उपर्युक्त रिपोर्ट का अवलोकन करें। कंपनी कार्य विभाग ने अपनी दिनांक 25.11.2004 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 को संशोधित कर दिया है। उपर्युक्त संशोधन के कारण 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा संबंधी रिपोर्ट के अनुबंध को संशोधित करना आवश्यक हो गया है। संबंधित परिवर्तन निम्नलिखित हैं :–

1. अनुबंध के पैराग्राफ 4 की दूसरी पंक्ति में शब्द "कार्यविधियों" के स्थान पर "प्रणालियों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. अनुबंध के पैराग्राफ 17 की अंतिम पंक्ति अर्थात "स्थायी कार्यचालन पूंजी के अलावा अल्पावधिक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए किसी दीर्घावधिक निधि का उपयोग नहीं किया गया है।" को हटा दिया जाएगा।

अतः, आपसे अनुरोध है कि इसके सभी प्रयोक्ताओं को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तथापि, यह पुष्टि की जाती है कि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संशोधन से हमारी मूल रिपोर्ट का आधारभूत ढांचा प्रभावित नहीं हुआ है और हमारी संशोधन रिपोर्ट में कोई अतिरिक्त अर्हताएं शामिल नहीं की गई हैं।

धन्यवाद।

कृते **के.बी. चांदना एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

वी.के.गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या 16521

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08 अगस्त, 2005

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति (अनुसूची-एल) 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत यह उल्लेख किया गया था कि लेखाकरण नीति संख्या 10 के अनुसार कंपनी द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को कंपनी के सामान्य बैंक खाते में जमा किया गया है और भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति की तारीख से लेकर कंपनी द्वारा इसके वास्तविक संवितरण की तारीख तक अर्जित ब्याज को कंपनी द्वारा अपनी आय के रूप में माना गया है । यह नीति अनुदान की शर्त के अनुरूप नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अनुदान के संबंध में अलग-अलग खाता रखना अपेक्षित होता है । कंपनी अपनी लेखा नीति को अनुदानों की शर्त का उल्लंघन करते हुए चालू वर्ष के दौरान जारी रखे हुए है ।	दिनांक 31.3.2004 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणी संख्या 2 पर उत्तर में हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि विद्युत मंत्रालय की स्वीकृतियों के संदर्भ में अनुदान/आर्थिक-सहायता से संबंधित खाते अलग-अलग रखे जा रहे हैं । प्रत्येक अनुदान के लिए अलग-अलग बैंक खाता रखना आवश्यक नहीं है । इस प्रकार लेखाकरण नीति संख्या 10 अनुदान की शर्तों के अनुरूप है । तथापि, जैसा कि सरकारी लेखा परीक्षा द्वारा जोर दिया गया है, हमने आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के लिए विद्युत मंत्रालय से प्राप्त आर्थिक-सहायता के संबंध में जुलाई, 2005 में एक अलग बैंक खाता खोल लिया है । एआरईपी/एजीएसपी जैसी अन्य आर्थिक-सहायता के संबंध में विद्युत मंत्रालय ने ब्याज की वसूली पहले ही कर ली है, क्योंकि राशि निगम को एनपीवी आधार पर दी गई है, ताकि ऐसी राशि को किसी अलग चालू खाते में निष्फल न रखा जा सके, क्योंकि संवितरण कई वर्षों में विस्तारित होगा।
2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति (अनुसूची-एल) कंपनी अधिनियम की धारा 617 का पालन करने वाली सरकारी कंपनियों को नकदी परिसंपत्तियां बनाए रखने, प्रारक्षित निधि के गठन, सार्वजनिक निक्षेप की स्वीकार्यता और विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई थी, ताकि इस प्रत्याशा में कि सरकारी विभाग अथवा मंत्रालय अथवा लोक उद्यम विभाग द्वारा उनके सुचारू प्रचालनों और उनकी वित्तीय स्थिति को मॉनीटर करने के लिए मानदंड निर्धारित करने जैसे दोहरे नियंत्रणों से बचा जा सके । प्रशासनिक मंत्रालय की ओर से मानदंडों के अभाव में कंपनी ने उसके द्वारा अपनाए गए मानदंडों को प्रकट नहीं किया है । कंपनी की लेखाकरण नीति संख्या 2.3 भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार नहीं है ।	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां कंपनी द्वारा अपनाए गए मानदण्डों को प्रकट करती है और ऐसे मानदंड सामान्यतया भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप होते हैं, जिनका सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी एनबीएफसी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में भी पालन किया गया है । तथापि, यह मामला मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा। जहां तक लेखाकरण नीति 2.3 का संबंध है, पुनः अनुसूचीकरण, पुनः वार्ता के मामले में आय को शामिल करने के लिए इसके संबंध में अतिरिक्त एहतियाती शर्तें रखी जाती हैं, इसलिए ये भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकशील मानदंडों के तदनुरूपी प्रावधानों की तुलना में अधिक विवेकशील उपाय होते हैं ।

ए. के. सिंह
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II
नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार लखीना

(ए. के. लखीना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 28.7.2005
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन टिप्पणियों तथा सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गई अर्हताओं को ध्यान में रखे बिना खातों की समीक्षा तैयार की गई है)

वित्तीय स्थिति

गत तीन वर्षों में कंपनी की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा सारणीबद्ध रूप में निम्न शीर्षों में दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

	2002-03	2003-04	2004-05
देयताएं			
ए) प्रदत्त पूंजी			
i) सरकार	780.60	780.60	780.60
ii) अन्य	0.00	0.00	0.00
बी) आरक्षित एवं अधिशेष			
i) मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष	1976.05	2378.77	2893.30
ii) शेयर प्रीमियम खाता	0.00	0.00	0.00
iii) आरक्षित पूंजी	105.00	105.00	105.00
सी) उधार :			
i) भारत सरकार से	2203.41	1183.35	140.17
ii) वित्तीय संस्थानों से	0.00	1500.00	3500.00
iii) विदेशी मुद्रा ऋण	0.00	0.00	0.00
iv) नकद जमा	200.00	440.00	660.00
v) बैंक से सावधि ऋण	0.00	0.00	1472.00
vi) अन्य (बांड)	10494.05	11975.12	13605.91
vii) अर्जित और देय ब्याज	0.04	0.84*	0.32
डी) चालू देयताएं और प्रावधान			
i) चालू देयताएं और प्रावधान	1169.45	1409.64*	1540.88
ii) ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	12.08	11.29	9.12
ई) आस्थगित कर देयताएं	0.00	0.00	0.00
जोड़	**16940.68**	**19784.61**	**24707.30**
2. परिसंपत्तियां			
एफ) सकल ब्लॉक	83.02	32.50	35.59
जी) घटाएं: मूल्यह्रास	61.87	8.97	10.04
एच) निवल ब्लॉक	21.15	23.53	25.55
आई) पूंजी खर्च के लिए अग्रिम	1.69	0.87	0.00
जे) निवेश	0.00	0.00	1417.22
के) चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	16915.09	19757.92	23263.02
एल) आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2.75	2.29	1.51
एम) बट्टे खाते न डाला गया विविध खर्च	0.00	0.00	0.00
एन) संचित हानि	0.00	0.00	0.00
जोड़	**16940.68**	**19784.61**	**24707.30**
ओ) कार्यशील पूंजी(के - (डी) (i) - सी (vii)	15745.60	18347.44	21721.82
पी) औसत नियोजित पूंजी	15654.11	18257.84	23051.98
क्यू) निवल मूल्य (ए+बी) (i) + बी (ii) - एम -एन)	2756.65	3159.37	3673.90
आर) प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपए में निवल मूल्य (क्यू/ए(i)	3.53	4.05	4.71

अनुपात विश्लेषण

गत 3 वर्षों के अंत में कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणाली के कुछ मुख्य वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं:-

(प्रतिशत में)

	2002-03	2003-04	2004-05
ए लिक्विडिटी अनुपात			
चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियों की तुलना में चालू देयताएं एवं प्रावधान, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के प्रावधान को निकालकर [के+एल/डी(i) + सी(vii)]	1446.60	1400.95	1509.51
बी ऋण इक्विटी अनुपात			
निवल मूल्य की तुलना में दीर्घ अवधि ऋण [(सी(i) से (vi) तक परंतु अल्प अवधि ऋण /(क्यू) को छोड़कर)]	454.23	453.52	504.62
सी लाभात्मकता अनुपात			
ए) कर से पहले लाभ			
i) औसत नियोजित पूंजी	4.90	4.39	4.50
ii) निवल मूल्य	27.81	25.37	28.22
iii) प्रचालन आय	37.70	40.38*	47.12
बी) इक्विटी की तुलना में कर के बाद लाभ	74.12	78.04	100.10
सी) प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	7.41	7.80	10.01

* कम्पनी के लेखों के अनुसार आंकडों में परिर्वतन किया गया है।

(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने गत वर्ष के 2811.22 करोड़ रुपए के मुकाबले 5062.15 करोड़ रुपए की निधियां सृजित की। यह मुख्यतः बांडों के जरिए उधार से हुआ)। आंतरिक और बाह्य स्रोतों द्वारा सृजित की गई 5062.15 करोड़ रुपए की निधियों का उपयोग वर्ष 2004-2005 के दौरान निम्नानुसार किया गया :-

(करोड़ रुपए)

निधियों के स्रोत	
ए) कर के बाद लाभ	781.36
जोड़ें : मूल्यह्रास	1.15
घटाएं : परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	(+) 0.02
प्रचालनों से आय	**782.53**
बी) प्रदत्त पूंजी में वृद्धि	—
सी) उधार में वृद्धि	4279.61
डी) अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से वसूली	0.01
वर्ष 2004-05 के लिए जुटाई गई कुल निधियां	**5062.15**
निधियों का इस्तेमाल	
ए) अचल परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजी कार्य में वृद्धि	2.32
बी) निवेश में वृद्धि	1417.22
सी) कार्यशील पूंजी में वृद्धि	3376.56
डी) लाभांश के लिए प्रावधान (लाभांश कर को मिलकार)	266.83
ई) घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां	(-)0.78
निधियों का कुल इस्तेमाल	5062.15

(करोड़ रुपए)

	2002-03	2003-04	2004-05
4. कार्यकारी परिणाम			
1) आय	2053.89	1996.71	2302.09
2) लाभ (+) / हानि (—) कर से पहले एवं पूर्व अवधि समायोजन	766.63	801.54	1036.65
3. पूर्व अवधि समायोजन	0.08	3.22	19.39
4. लाभ (+) / हानि (—) कर से पहले किन्तु मूल्यह्रास तथा पूर्ववर्ती अवधि मदों के बाद	766.71	798.32	1017.26
5. कर प्रावधान	188.11	189.15	235.90
6. कर के बाद लाभ	578.60	609.17	781.36
7. प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर को मिलाकर)	183.25	206.45	266.83

5. संवितरित ऋण

निम्नलिखित सारणी में 31.3.2005 को समाप्त तथा गत 3 वर्षों के अंत में संवितरित ऋण, ऋणों पर बकाया ब्याज, प्राप्त की गई अदायगी तथा बकाया राशि दर्शाई गई है।

(करोड़ रुपए)

वर्ष	वर्ष के शुरू में बकाया शेष				वर्ष के दौरान संवितरित ऋण	वर्ष के लिए बकाया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अदायगी	वर्ष के अंत में बकाया राशि			
	बकाया राशि की अदायगी परन्तु देय नहीं	देय अदायगी	जोड़	उपचित तथा देय ब्याज				बकाया राशि की अदायगी परन्तु देय नहीं	देय अदायगी	जोड़	उपचित तथा देय ब्याज
2002-03	12311.49	1873.85	14185.34	13.44	6466.25	1933.70	4715.94	14476.02	1459.63	15935.65	6.81
2003-04	14476.02	1459.63	15935.65	6.81	5956.37	1945.67	3587.32	16931.15	1373.55	18304.70	4.48
2004-05	16931.15	1373.55	18304.70	4.48	7440.73	442.61	4683.25	20856.33	205.85	21062.18	3.58

ए.के. सिंह
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा
परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा
परीक्षा बोर्ड–II,
नई दिल्ली

दिनांक 28.7.2005

बिजली पहुंच जाने से

खेती का काम मशीनों से होने लगेगा और

कृषि व्यवसाय को नया जीवन मिलेगा।

आरईसी कार्यालयों के पते

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पता	टेलीफोन नं.	तार का पता एवं फैक्स नं.
1	2	3	4	5
कारपोरेट आफिस		कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	24365161	रेक्ट्रिक फैक्स : 011-24360644 ई-मेल : reccorp@recl.nic.in
परियोजना कार्यालय				
1.	आंध्र प्रदेश	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	24014034 24014420 23511549 (नि.)	सिरेक्ट्रिक फैक्स : 040-24014235, 040-24015896 ई-मेल : reclhyd@sancharnet.in
2.	असम, नगालैंड अरुणाचल प्रदेश	"कमालया" (प्रथम एवं तृतीय तल) जू नारंगी तिनियाली, आर.जी. बरूआ रोड, पिनाकी पथ, (बाई लेन नं. 7) पो. आ. : सिलपुखुड़ी गुवाहाटी-781003	2450485 2454702 2380768 (नि.)	रिपो फैक्स : 0361-2454702 ई-मेल : cpmpog@sancharnet.in ई-मेल : cpmpog@sify.com
3.	बिहार	'मौर्य लोक' कांप्लेक्स ब्लॉक-सी, चतुर्थ तल डाक बंगला रोड पटना-800001	2221131 2224596 2525573 (नि.)	रेक्पो फैक्स : 0612-2224596 ई-मेल : recpatna@vsnl.net ई-मेल : pat_recl@dataone.in
4.	गुजरात, दादर व नगर हवेली	प्लाट नं. 585 टी.पी. स्कीम नं. 2 पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे, वी.एम.सी. वार्ड आफिस के सामने आत्म ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, बडोदरा - 390023	2386760 2397487 2784768 (नि.)	रेक्पो फैक्स : 0265-2397652 फोन : 2386760, 2397487 ई-मेल : recbaroda@eth.net
5.	हरियाणा दिल्ली और चंडीगढ़	बे नं. 7-8, सेक्टर-2 पंचकुला-134112	0172-2563822 2728458 (नि.)	रेक्पो फैक्स : 0172-2563864 ई-मेल : recchd@eth.net
6.	हिमाचल प्रदेश	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स फेस-II, प्रथम तल, दी रिज शिमला-171001	2653411 2804077 2624188 (नि.)	रेक्पो फैक्स : 0177-2804077 ई-मेल : recsml@emmtel.com
7.	जम्मू एवं कश्मीर	ए-157, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे जम्मू-180004	2450868 2566701 (नि.)	रेक्पो फैक्स : 0191-2450868 ई-मेल : recpojat@sancharnet.in
8.	कर्नाटक	नं. 1/5, अलसूर रोड बंगलौर-560042	25550240 25598244	पोरेक्ट्रिक फैक्स : 080-25598243 ई-मेल : ruralblr@eth.net ई-मेल : spmetla@rediffmail.com
9.	केरल एवं लक्षद्वीप	0-5, चतुर्थ तल, "सफालियम" कमर्शियल कांप्लेक्स ट्रिडा भवन, पलायम, तिरुवनंतपुरम-695034	2328662 2328579 2550835 (नि.)	रेक्पो फैक्स : 0471-2328579 ई-मेल : rectvm@eth.net

10.	मध्य प्रदेश	जेडीए बिल्डिंग, मदन महल, नागपुर रोड, जबलपुर--482001	2424696 2423994 2427677 (नि.)	रेक्पो फैक्स : 0761-2424696 ई-मेल : recjbp@yahoo.com ई-मेल : rec_jabalpur @sancharnet.in
11.	महाराष्ट्र, गोवा दमन व दीव	मित्तल टावर, 51-बी पांचवा तल, नरीमन पाइंट मुंबई-400021	22830985 22853895 22833055 26361570 (नि.)	पोरेक्ट्रिक फैक्स : 0222-2831004 0222-2831004 ई-मेल : porecmum@bom4.vsnl.net.in ई-मेल : recmumbai@eth.net
12.	मेघालय, मणिपुर एवं मिजोरम	रिनाडी ओल्ड जोवाई रोड, लाचुमियर शिलांग-793001	2210190 2225687 2220860 (नि.)	रिपो फैक्स : 0364-2225687 ई-मेल: recl_shillong@rediffmail.com
13.	उड़ीसा	दीन दयाल भवन, पांचवा तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर-751009	2536669 2536649 2553586 (नि.)	रिपो फैक्स : 0674-2536669 ई-मेल : repobbsr@yahoo.co.in
14.	राजस्थान	जे-4-ए, झालाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	2706986 2707840 2200132 (नि.)	पोरेक्ट्रिक फैक्स : 0141-2706986 ई-मेल : recpojpr@bhaskarmail.com ई-मेल : recpojpr@rediffmail.com
15.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	नं. 12 व 13, टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, 180, लूज चर्च रोड, (लूज कॉर्नर), माइलापोर, चेन्नै--600004	24672376 24670595 22385383 (नि.) 24987960	पोरेक्ट्रिक फैक्स : 044-24670595 ई-मेल : cpmchennai@yahoo.com bosh_tsc@yahoo.com
16.	उत्तर प्रदेश	19/8, इंदिरा नगर, विस्तार, रिंग रोड लखनऊ-226016	2317376 2316446 2331787 (नि.)	रिपो फैक्स : 0522-2716815 ई-मेल : recup@hclinfinet.com ई-मेल : recuppo@yahoo.co.in
17.	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह	ए ई ब्लाक, परिसर सं. 643 सैक्टर-I, साल्ट लेक सिटी कोलकाता-700064	23343884 23341652 23341646 (नि.)	पोरेक्ट्रिक फैक्स : 033-23344923 ई-मेल : recpokol@vsnl.net
प्रशिक्षण केंद्र				
केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान (सायर)		शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	24015897 24018583 24015901 27170888 (नि.)	सिरेक्ट्रिक फैक्स : 040-24015896 ई-मेल : cire@sancharnet.in
उप कार्यालय बिहार		त्रिपाठी कालोनी, कबरू बाई पास रोड, केनरा बैंक के निकट पो.आ. डोरेंडा रांची-834002	2481372 301136 (नि.)	ई-मेल : v2vltd2003@sify.com

आरईसी

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

पंजीकृत कार्यालय : कोर - 4, स्कोप कॉम्पलेक्स 7 लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003. फोन: 2436 5161, फैक्स: 2436 0644
ई–मेल: reccorp@recl.nic.in ग्राम: RECTRIC वेबसाइट: www.recindia.com, www.recindia.nic.in